SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
सीमा शुल्क पर
मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन

संघ सरकार
राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 25
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
सीमा शुल्क पर
मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन

संघ सरकार
राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 25
(अनुपालन लेखापरीक्षा- सिविल)

लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर.. को प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	अध्याय	पैरा स.	पृष्ठ
प्राक्कथन			i
कार्यकारी सारांश			iii
शब्दों एवं संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली			ix
सीमा शुल्क राजस्व	I	1.1 से 1.15	1
सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	II	2.1 से 2.8	23
राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)	III	3.1 से 3.18	31
सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं और विदेश व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन	IV	4.1 से 4.7	79
अनुलग्नक			121

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग-सीमा शुल्क विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशक के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

सरकार ने ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में काफी निवेश किया है, जिसका मकसद एक व्यापक, कागज रहित, पूर्णतया: स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में संव्यवहार संबंधी सूचना उपलब्ध कराना है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने कुछ स्थानों पर संव्यवहारों की परीक्षण जांच के बजाय, डेटा की शत-*प्रतिशत* समीक्षा करने का प्रयास किया। पूर्ण आंकड़ों की उपलब्धता से संव्यवहार की परीक्षण जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा की भौतिक यात्राओं की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। यद्यपि, चूंकि विभाग ने अखिल भारतीय संव्यवहारों के लिए पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए थे, इसलिए 70 में से 47 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में पारंपरिक तरीके से लेखापरीक्षा की गई।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं, जो वर्ष 2023-24 की अवधि के परीक्षण लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए और साथ ही वे मामले भी हैं, जो पिछले वर्षों में देखे गए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए जा सके।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

भारत में वस्तुओं के आयात और कुछ वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क लगाए जाते है और सीमा शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित होती हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अंतर्गत राजस्व विभाग (डीओआर) अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। सीमा शुल्क का उदग्रहण एवं संग्रहण तथा सीमा पार निवारक कार्यों को देश भर में सीबीआईसी द्वारा 70 सीमा शुल्क आयुक्तलयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान 413 सीमा शुल्क पत्तनों (206-ईडीआई, 22-गैर-ईडीआई और 185-एसईज़ेड पत्तनों) के माध्यम से ₹36.18 लाख करोड़ के निर्यात (4.96 करोड़ संव्यवहार) और 441 सीमा शुल्क पत्तनों (191-ईडीआई, 10- गैर-ईडीआई और 240-एसईज़ेड पत्तनों) के माध्यम से ₹56.16 लाख करोड़ के आयात (4.35 करोड़ संव्यवहार) हुए।

वि.व. 24 के दौरान, लेखापरीक्षा ने संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय प्राधिकरणों को 1,684 अभ्युक्तियों वाले 195 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जिसका कुल राजस्व निहितार्थ ₹472 करोड़ था।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। अध्याय I में राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग के कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा सीमा शुल्क प्राप्तियों, भारत के आयात एवं निर्यात, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) के प्रदर्शन, सीमा शुल्क प्राप्तियों के बकाया और विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों के बारे में उच्च स्तरीय सांख्यिकीय सूचना का अवलोकन दिया गया है। अध्याय II में सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन किया गया है। अध्याय III में 'राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना' विषय पर एक विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) है और अध्याय IV में सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं और विदेश व्यापार नीति

की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों के अननुपालन के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम हैं।

अध्याय I: विहंगावलोकन- सीमा शुल्क राजस्व

वि.व. 24 में सीमा शुल्क प्राप्तियों में 9.25 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वि.व 20 से वि.व 24 तक की पांच वर्ष की अवधि में, वि.व 20 की तुलना में वि.व 24 में सीमा शुल्क प्राप्तियों में 113 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान, जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों ने 0.54 *प्रतिशत* और 0.85 *प्रतिशत* के बीच एक भिन्न प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार, सकल कर राजस्व (जीटीआर) के अनुपात में सीमा शुल्क प्राप्तियां इसी अवधि में 5.44 *प्रतिशत* और 7.37 *प्रतिशत* के बीच घटती-बढ़ती रही।

{पैराग्राफ 1.6.1 एवं 1.6.2}

वि.व 24 में आयात में 2.33 *प्रतिशत* की कमी आई, जबकि इसी अवधि में निर्यात में 0.07 *प्रतिशत* की मामूली गिरावट दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.7.4}

विदेशी मुद्रा की आय और बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, एसईज़ेड ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, नई गतिविधियों के उद्भव, उपभोग का स्वरूप और सामाजिक जीवन में परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र प्रभाव प्राप्त किया है। वि.व 20 में एसईज़ेड से निर्यात ₹7.97 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व 24 में ₹13.55 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 70.01 *प्रतिशत* की समग्र वृद्धि दर्ज की।

{पैराग्राफ 1.9.1 एवं 1.9.2}

वि.व 24 के दौरान, विशेष आर्थिक क्षेत्र में कुल निवेश ₹7.07 लाख करोड़ था, जिससे 31.94 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित हुए। वि.व 20 के स्तर (₹5.72 लाख करोड़) की तुलना में निवेश 23.72 *प्रतिशत* (₹7.07 लाख करोड़) बढ़ा, जबकि इसी अवधि के दौरान रोजगार में 42.70 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की।

{पैराग्राफ 1.9.3}

वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान सीमा शुल्क के बकाया शुल्क में लगातार वृद्धि हुई। मार्च 2024 तक कुल सीमा शुल्क राजस्व बकाया ₹1,10,643 करोड़ था, जो

मार्च 2023 (₹55,853 करोड़) की तुलना में 49.52 *प्रतिशत* की वृद्धि को दर्शाता है। कुल मिलाकर, वि.व. 20 (₹45,052 करोड़) की तुलना में वि.व. 24 (₹1,10,643 करोड़) में सीमा शुल्क बकाया 145.59 *प्रतिशत* बढ़ा है। विवाद रहित बकाया राशि के अवधि विश्लेषण से पता चला है कि कुल ₹25,540 करोड़ में से ₹4,330 करोड़ (16.95 *प्रतिशत*) पांच वर्ष से अधिक समय से अप्राप्य पड़े हुए थे।

{पैराग्राफ 1.11.3 एवं 1.11.9}

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ₹1,10,643 करोड़ की सीमा शुल्क बकाया राशि वाले 20 ज़ोनों में से 10 ज़ोनों का हिस्सा 90.81 *प्रतिशत* (₹1,00,480 करोड़) है। 20 ज़ोनों में 11,920 चूककर्ता थे (दिनांक 31 मार्च, 2024 तक) जिनसे सीमा शुल्क राजस्व की वसूली के लिए ₹7,992 करोड़ का बकाया था। बकाया राशि के लंबित रहने एवं मंद गति से वसूली के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों पर रिक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मंत्रालय को विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 1.11.7 से 1.11.10}

अध्याय II: सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस वर्तमान प्रतिवेदन में 106 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) सम्मिलित हैं, जिनसे वि.व. 24 के दौरान ₹667 करोड़ के राजस्व का प्रभाव देखा गया है। मंत्रालयों/विभागों ने 106 में से 105 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर दिया और 104 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में शामिल ₹54 करोड़ के धन मूल्य को स्वीकार कर लिया, जिसमें एससीएन जारी करने, एससीएन का अधिनिर्णयन के रूप में सुधारात्मक उपाय किए तथा सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 56 मामलों में ₹21 करोड़ की वसूली की।

{पैराग्राफ 2.6}

अध्याय III: राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)

महानिदेशालय विदेश व्यापार और सीमा शुल्क द्वारा आरओएससीटीएल योजना के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की

प्रभावशीलता और योजना के समग्र कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

₹603.08 करोड़ के राजस्व से संबंधित प्रणालीगत और अनुपालन संबंधी मुद्दों को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा परिणामों को मंत्रालय को सूचित किया गया है। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **₹62.40** लाख की आंशिक वसूली की सूचना दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करना स्वचालित किया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण कमियां और सत्यापन संबंधी कमियां बनी रहीं, जो दर्शाता है कि स्वचालन प्रक्रियागत सरलीकरण और व्यापार सुगमता के अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

मुख्य प्रणालीगत कमियों में स्क्रिप्स का अनियमित या अधिक जारी होना सम्मिलित था, जिसमें प्रतिबंधित ईकाई सूची में रखी गई ईकाईयां सम्मिलित थीं, उचित आशय के बिना अथवा वास्तविक पात्रता से अधिक स्क्रिप्स जारी करना, दोहरे निर्यात लाभों का लाभ उठाना और नियामक समय-सीमा के अंदर ई-स्क्रिप सृजन में देरी सम्मिलित थी। इन कमियों में कुल **₹130.39 करोड़** (डीजीएफटी के अंतर्गत **₹97.62 करोड़** और सीमा शुल्क के अंतर्गत **₹32.77 करोड़**) का राजस्व निहितार्थ था।

(ii) अनुपालन परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने निर्यात आय के गैर-प्राप्ति या देरी से प्राप्ति, निर्यातित उत्पादों के गलत वर्गीकरण, गलत अनुसूचियों के कारण गलत प्रोत्साहन दरों को अपनाना, गलत विनिमय दरों के अनुप्रयोग और स्क्रॉल सृजन में देरी या गलत जारी करने के कारण कुल **₹472.69 करोड़** (डीजीएफटी के अंतर्गत **₹158.63 करोड़** और सीमा शुल्क के अंतर्गत **₹314.06 करोड़**) के अनुचित एवं अनियमित अनुदान की पहचान की।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि:

(i) डीजीएफटी को प्रतिबंधित इकाई सूची में सम्मिलित इकाईयों को स्क्रिप्स जारी करने से रोकने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षी नियंत्रण को मजबूत करना

चाहिए और उचित आशय के बिना अनियमित जारी किए जाने की जवाबदेही तय करनी चाहिए (पैरा 3.7.1)।

(ii) डीजीएफटी प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदनों का प्रसंस्करण केवल क्षेत्राधिकारी आरए द्वारा ही किया जाए। आरओएससीटीएल लाभों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक संभव हो, स्वचालित सत्यापन पर विचार किया जा सकता है जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल और अपवाद रिपोर्टिंग द्वारा का सहारा लिया जाए (पैरा 3.8.4)।

(iii) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली को डीजीएफटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है ताकि प्रतिबंधित इकाई सूची में आईईसी के लिए आरओएससीटीएल लाभों को स्वचालित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके, जबकि ऐसे लाभों की अनुमति केवल उन मामलों में दी जा सके जहां एक स्थगन आदेश जारी किया गया है और यह मान्य है (पैरा 3.12.1)

(iv) फेमा, 1999 के अंतर्गत निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी के लिए अनुवर्ती तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि निर्यात आय प्राप्त न होने के मामलों में ब्याज सहित अयोग्य आरओएससीटीएल क्रेडिट की वसूली सुगम हो सके (पैरा 3.13.1)।

(v) विभाग गलत वर्गीकरण और अधिक प्रोत्साहन दावों को रोकने के लिए, जहाँ तक संभव है, वैधता नियंत्रण को बेहतर बनाने पर विचार कर सकता है (पैरा 3.13.2)।

(vi) विभाग अतिरिक्त भुगतानों को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आरओएससीटीएल लाभों की गणना करने के लिए ईडीआई प्रणाली एलईओ तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों को लागू करें (पैरा 3.13.3)।

(vii) विभाग को आरओएससीटीएल लाभों के शीघ्र वितरण की सुविधा के लिए प्रणाली आधारित निगरानी के माध्यम से समय पर स्क्रॉल का सृजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए (पैरा 3.13.4)।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.16}

अध्याय IV: सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ, अधिसूचनाओं एवं विदेश व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

47 सीमा शुल्क आयुक्तालयों, डीजीएफटी के 13 क्षेत्रीय प्राधिकरणों और आठ विकास आयुक्तों की नमूना लेखापरीक्षा में आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग के कारण लागू सीमा शुल्क के कम मूल्यांकन और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं के उल्लंघन के दृष्टांत सामने आए।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- आयात का गलत वर्गीकरण (**पैराग्राफ 4.4.1 से 4.4.15**)
- अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग (**पैराग्राफ 4.5.1 से 4.5.12**)
- निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन (**पैराग्राफ 4.6.1 से 4.6.9)**।
- अन्य अनियमितताएं (**पैराग्राफ 4.7.1 से 4.7.2)**

आयातकों/निर्यातकों से 105 मामलों में देय कुल ₹64 करोड़ के कुल राजस्व के 104 मामलों को विभाग ने स्वीकार कर लिया था तथा 56 मामलों में कुल ₹20 करोड़ की वसूली की सूचना दी थी।

{पैराग्राफ 4.4.1 से 4.7.2}

शब्दो और संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्ताक्षर	विस्तृत रूप
एए	अग्रिम प्राधिकार
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एसीयू	एशियाई समाशोधन इकाई
एडीडी	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
एडीजीएफटी	अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार
एईओ	अधिकृत आर्थिक संचालक
एएनएफ	आयात निर्यात फॉर्म
एओ	निर्धारण अधिकारी
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बी ई	बिल ऑफ एंट्री
बी ई	बजट अनुमान
बीओ	बैक ऑफिस
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीआरसी	बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र
सीए	सनदी लेखाकार
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीसी	सीमा शुल्क आयुक्तालय
सीई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सीकेडी	कंप्लीटली नॉक्ड डाउन
कमिश्नरेट/आयुक्तालय	सीमा शुल्क आयुक्तालय
सीपीसी	केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण
सीआरए	सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीएसईज़ेड	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष
सीवीडी	प्रतिपूरक शुल्क
डीसी	एकदिश धारा
डीसी	विकास आयुक्त

संक्षिप्ताक्षर	विस्तृत रूप
डीसी	उपायुक्त सीमा शुल्क
डीईएल	प्रतिबंधित इकाई सूची
डीजी	महानिदेशक
डीजीएफटी	महानिदेशालय विदेश व्यापार
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीपीसी	कर्तव्य, शक्ति एवं शर्तें
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईसीएम	इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा अंतरपरिवर्तन
ईईएफसी	विनिमय अर्जक की विदेशी मुद्रा
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
ईपीसीजी	निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुएं
ईएक्सआईएम	निर्यात एवं आयात
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीडीआर अधिनियम	विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएम	सरकारी ई-बाज़ार
जीओआई	भारत सरकार
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीटीआर	सकल कर राजस्व
एचबीपी	प्रक्रियाओं की पुस्तिका
एचएसएन	नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा अंतरपरिवर्तन प्रणाली
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड

संक्षिप्ताक्षर	विस्तृत रूप
आईजीएसटी	एकीकृत माल एवं सेवा कर
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली)
आईटी/आईटीईएस	सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली
जेडीजीएफटी	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार
जेएनसीएच	जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस
केएएसईज़ेड	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
एलसीडी	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले
एलईओ	निर्यात आदेश
एमईआईएस	भारत से वस्तु निर्यात योजना
एमओसीआई	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनएसईज़ेड	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
ओआईओ	मूल आदेश
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीबीए	परिसर आधारित लेखापरीक्षा
पीसीए	पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा
पीएन	सार्वजनिक नोटिस
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीएनसी	पूर्व सूचना परामर्श
पीआरसीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
पीआरईवी	निवारक
पीवीसी	पॉलीविनाइल क्लोराइड
₹	रुपया
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकरण
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र
आरई	संशोधित अनुमान

संक्षिप्ताक्षर	विस्तृत रूप
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरओडीटीईपी	निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की छूट
आरओएससीटीएल	राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट
एसएडी	विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
एसबी	शिपिंग बिल
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसडी	संरक्षा शुल्क
एसईईपीजेड	सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
एसईआईएस	भारत से सेवा निर्यात योजना
एसईज़ेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएससीए	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एसडब्ल्यूएस	सामाजिक कल्याण अधिभार
टीबीए	थीम आधारित लेखापरीक्षा
टीपीएस	टारगेट प्लस योजना
यूएनएसडी	संयुक्त राष्ट्र का सांख्यिकी प्रभाग
वीएसईज़ेड	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाईओवाई	वर्ष दर वर्ष

अध्याय I

सीमा शुल्क राजस्व

1.1 सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 सीमा शुल्क भारत में वस्तुओं के आयात एवं भारत से कुछ वस्तुओं के निर्यात पर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की 83वीं प्रविष्टि)। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क लगाया जाता है तथा शुल्कों की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियंत्रित होती हैं।

1.2 सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 सीमा शुल्क राजस्व आधार में आयातक एवं निर्यातक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी किए गए आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) सम्मिलित हैं। मार्च, 2024 तक विदेश व्यापार महानिदेशालय, दिल्ली द्वारा जारी किए गए 20,14,850 आयातक-निर्यातक कोड सक्रिय थे। वि.व. 24 के दौरान 413 सीमा शुल्क पत्तनों (206-ईडीआई, 22-गैर-ईडीआई एवं 185-एसईज़ेड पत्तनों) के माध्यम से ₹36.18 लाख करोड़ मूल्य का निर्यात (4.96 करोड़ संव्यवहार) और 441 सीमा शुल्क पत्तनों (191-ईडीआई, 10-गैर-ईडीआई और 240-एसईज़ेड पत्तनों) के माध्यम से ₹56.16 लाख करोड़ का आयात (4.35 करोड़ संव्यवहार) हुआ।

1.3 प्रशासनिक विभागों का संगठन और कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अंतर्गत राजस्व विभाग (डीओआर) भारत सरकार का शीर्ष विभाग है, जो दो सांविधिक बोर्डों अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघीय करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिनका गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत किया गया है।

1.3.2 आयात पर सीमा शुल्क, आईजीएसटी का उद्ग्रहण एवं संग्रहण तथा सीमा पार निवारक कार्यों का प्रबंधन सीबीआईसी द्वारा देश भर में प्रधान मुख्य आयुक्तों/ मुख्य आयुक्तों की अध्यक्षता वाले 11 ज़ोनों के माध्यम से किया जाता है।

देश भर में फैले सीमा शुल्क आयुक्तालयों के साथ विशेष रूप से सीमा शुल्क एवं सीमा शुल्क (निवारक) के 11 ज़ोन, नौ संयुक्त वस्तु एवं नौ संयुक्त माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ज़ोन हैं। इन ज़ोनों का नेतृत्व प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त करते हैं। अनन्यतः सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक), सीमा शुल्क (अपील) एवं सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा) के 70 आयुक्तालय हैं।

1.3.3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अंतर्गत वाणिज्य विभाग (डीओसी) डीजीएफटी के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) तैयार करता है, उसे लागू करता है एवं उसकी निगरानी करता है, जो निर्यात एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली नीति एवं रणनीति का बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। इसके अलावा, डीओसी को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड), राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन एवं व्यापार सुविधा, एवं कुछ निर्यात उन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास तथा विनियमन से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

1.3.4 एफटीपी को क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने एवं लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी हैं। वि.व. 24 के दौरान, पूरे भारत में 25 आरए थे। यद्यपि, ऐसे लाइसेंसों का निष्पादन/कार्यान्वयन सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से किया जाता है।

1.4 सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), अतिरिक्त शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) सम्मिलित थे। फ़रवरी 2018 से सभी आयातों पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के स्थान पर सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) भी लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) एवं संरक्षा शुल्क (एसडी) जहां भी लागू हो, देय है।

1.4.2 दिनांक 01 जुलाई 2017 से, पेट्रोलियम उत्पादों और मानव उपभोग के लिए मादक पेय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए आयात पर सीवीडी और एसएडी को आईजीएसटी में समाहित कर लिया गया है। तंबाकू उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और आईजीएसटी दोनों ही देय बने हुए हैं। आईजीएसटी, मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के अतिरिक्त सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निर्दिष्ट विलासिता एवं दोषपूर्ण वस्तुओं पर लागू होता है। शिक्षा उपकर, एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) एवं सुरक्षा शुल्क की देयता अपरिवर्तित रहती हैं।

1.5 बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का प्राप्ति बजट, सरकार के कर एवं गैर-कर राजस्व के बजट अनुमान का आकलन करता है। वास्तविक प्राप्तियों के साथ बजट अनुमानों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का एक संकेतक है। अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण वास्तविक आंकड़ें अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।

1.5.2 वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां **तालिका 1.1** में दी गई हैं।

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान ₹ करोड़ में	संशोधित अनुमान ₹ करोड़ में	वास्तविक प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं बजट अनुमान के बीच अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं बजट अनुमान के बीच अंतर *प्रतिशत*	वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के बीच अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के बीच अंतर *प्रतिशत*
वि.व. 20	1,55,904	1,25,000	1,09,283	(-)46,621	(-)29.90	(-)15,717	(-)12.57
वि.व. 21	1,38,000	1,12,000	1,34,750	(-)3,250	(-)2.36	(+)22,750	(+)20.31
वि.व. 22	1,36,000	1,89,000	1,99,728	(+)63,728	(+)46.86	(+)10,728	(+)5.68
वि.व. 23	2,13,000	2,10,000	2,13,372	(+)372	(+)0.17	(+)3,372	(+)1.61
वि.व. 24	2,33,100	2,18,680	2,33,119	(+)19	(+)0.008	(+)14,439	(+)6.6

स्रोतः संबंधित वर्षों के लिए केंद्रीय बजट और वित्त लेखें और वित्त मंत्रालय (सीबीआईसी) का पत्र संख्या 307/46/2022-पीएसी-सी.शु. दिनांक 07.03.2025

1.5.3 वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतर (-)12.57 *प्रतिशत* से 20.31 *प्रतिशत* के बीच रहा। इसी अवधि के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतर (-)29.90 *प्रतिशत* से 46.86 *प्रतिशत* के बीच रहा।

1.5.4 वि.व. 24 के दौरान वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां अपने बजट अनुमान की तुलना में (+)0.008 *प्रतिशत* (₹19 करोड़) बढ़ीं, जबकि वि.व. 22 के दौरान वे (+)46.86 *प्रतिशत* (₹63,728 करोड़) अधिक थी। वि.व. 24 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां संशोधित अनुमान से थोड़ी अधिक हैं क्योंकि संशोधित अनुमान, नवंबर 2024 तक राजस्व रुझानों के आधार पर तय किए गए थे। यद्यपि, मंत्रालय ने कहा कि वि.व. 24 में सीमा शुल्क संग्रहण पिछले दो महीनों में वि.व. 24 के दौरान पिछले महीनों में डेटा प्रवाह में विसंगति के कारण भिन्न थे, क्योंकि पिछले दो महीनों का संग्रहण वि.व. 24 के लिए कुल संग्रहण का 23.60 *प्रतिशत* था।

राजस्व विभाग (सीबीआईसी) ने संशोधित अनुमान/बजट अनुमान के अंतर के बारे में (मार्च 2025) कहा कि सीमा शुल्क संरचना को सरकार की सतर्क नीति द्वारा निर्देशित किया गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके, जिसमें मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के अंतर्गत मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल पर कम आयात शुल्क लगाने एवं अनावश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। सरकार की इस नीति को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखते हुए, मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों, पिछले राजस्व प्रवृत्तियों एवं अनुमानित कर में वृद्धि के आधार पर विभिन्न निर्धारणों के अंतर्गत फरवरी 2024 के दौरान बजट की प्रस्तुति के समय वि.व. 24 के लिए बजट अनुमानों के लिए सीमा शुल्क के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

राजस्व विभाग ने आगे बताया कि संशोधित लक्ष्य तय करते समय विभाग ने सीमा शुल्क संग्रहण की प्रवृत्तियों की समीक्षा की एवं साथ-साथ ही मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की। तदनुसार, संशोधित अनुमान चरण में सीमा शुल्क लक्ष्य को संशोधित किया गया था।

राजस्व विभाग ने वि.व. 24 के दौरान संशोधित अनुमान की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि का श्रेय इस तथ्य को भी दिया कि विभाग नियमित रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर सीमा शुल्क दर संरचना में बदलाव जैसे कदम उठाता है। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद, शुल्क संरचना में बदलाव की समस्या से निपटने के लिए सीमा शुल्क संरचना में बदलाव किए गए थे।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

1.6.1 **तालिका 1.2** में वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व (जीटीआर) और सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की सापेक्ष वृद्धि दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत	सकल घरेलू उत्पाद ₹ करोड़ में	सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹ करोड़ में	सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर ₹ करोड़ में	अप्रत्यक्ष करों के प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व. 20	1,09,283	(-)7.24	2,01,03,593	0.54	20,10,059	5.44	8,59,122	12.72
वि.व. 21	1,34,750	23.30	1,98,54,096	0.68	20,27,102	6.65	10,76,891	12.51
वि.व. 22	1,99,728	48.22	2,35,97,399	0.85	27,09,315	7.37	12,97,797	15.39
वि.व. 23	2,13,372	6.83	2,68,90,473	0.79	30,54,192	6.99	13,91,164	15.34
वि.व. 24	2,33,119	9.25	3,01,22,956	0.77	34,65,519	6.73	15,05,954	15.48

स्रोतः संबंधित वर्षों के लिए केंद्रीय बजट और वित्त लेखें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से जीडीपी के आंकड़ें, एमओएसपीआई प्रेस नोट दिनांक 30 मई 2025।

1.6.2 वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि दर ने वि.व. 24 के दौरान 9.25 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाई थी एवं पिछले पांच वर्षों (वि.व. 20 से वि.व. 24) में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वि.व. 20 की तुलना में वि.व. 24 में 113 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों (वि.व. 20 से वि.व. 24) में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.54 *प्रतिशत* से 0.85 *प्रतिशत* की रेंज में उतार-चढ़ाव का रुख दर्शाती रहीं। इसी अवधि के दौरान जीटीआर (सकल कर राजस्व) के प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां भी 5.44 *प्रतिशत* से 7.37 *प्रतिशत* के बीच उतार-चढ़ाव वाली प्रवृत्ति की रहीं थी।

1.6.3 वि.व. 24 के दौरान, जीडीपी में सीमा शुल्क प्राप्तियों का *प्रतिशत* (0.77 *प्रतिशत*) वि.व. 23 में 0.79 *प्रतिशत* की तुलना में कम था। जीटीआर (सकल कर राजस्व) की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां भी वि.व. 23 में 6.99 *प्रतिशत* की तुलना में घटकर वि.व. 24 में 6.73 *प्रतिशत* तक हो गई।

1.6.4 वि.व. 24 के दौरान, सीमा शुल्क प्राप्तियों का जीडीपी अनुपात एक *प्रतिशत* (0.77 *प्रतिशत*) से भी कम था, जबकि जीटीआर के प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.73 *प्रतिशत* थी। हालांकि, अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 15.48 *प्रतिशत* थीं।

1.7 भारत का आयात और निर्यात

1.7.1 शीर्ष दस आयात व्यापारिक साझेदार

वि.व. 24 के दौरान भारत के प्रमुख आयात व्यापार साझेदार चीन, रूस, यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और कोरिया थे। वि.व. 23 और वि.व. 24 के दौरान इन शीर्ष दस आयात व्यापारिक साझेदारों से आयात ने इस अवधि के दौरान किए गए भारत के कुल आयात के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व किया **(तालिका 1.3)**।

तालिका 1.3: शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों से आयात में में वर्ष दर वर्ष वृद्धि वि.व. 23 की तुलना में वि.व. 24 में

क्र. सं.	देश	आयात वि.व. 24 (₹ करोड़ में)	आयात वि.व. 23 (₹ करोड़ में)	वि.व. 23 की तुलना में वि.व. 24 में वृद्धि %	वि.व. 24 के कुल आयात में प्रतिशतता हिस्सा	वि.व. 23 में कुल आयात में प्रतिशतता हिस्सा
1	चीन	8,42,386	7,90,932	6.51	15.00	13.76
2	रूस	5,06,386	3,74,003	35.40	9.02	6.50
3	यूएई	3,97,826	4,27,406	-6.92	7.08	7.43
4	यूएसए	3,49,319	4,08,621	-14.51	6.22	7.11
5	सऊदी अरब	2,60,116	3,37,572	-22.94	4.63	5.87
6	इराक	2,48,196	2,75,202	-9.81	4.42	4.79
7	इंडोनेशिया	1,93,863	2,30,815	-16.01	3.45	4.01
8	स्विट्जरलैंड	1,76,010	1,26,758	38.86	3.13	2.20
9	सिंगापुर	1,75,548	1,89,828	-7.52	3.13	3.30
10	कोरिया	1,75,040	1,70,632	2.58	3.12	2.97
	कुल योग	**33,24,690**	**33,31,768**			
	प्रतिशत			*-0.21*	**59.20**	**57.95**
भारत का कुल आयात		**56,16,042**	**57,49,801**		**100**	**100**

स्रोत: एक्सिम डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 23 की तुलना में वि.व. 24 में दस प्रमुख आयात-व्यापार साझेदारों से होने वाले आयात में कमी का रुझान देखा गया। हालाँकि, वि.व. 24 में स्विट्जरलैंड से

आयात में 38.86 *प्रतिशत* की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई, और सऊदी अरब से आयात में 22.94 *प्रतिशत* की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

1.7.2 शीर्ष दस निर्यात-व्यापारिक साझेदार

वि.व. 24 के दौरान, भारत के मुख्य निर्यात व्यापारिक साझेदार यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली थे। वि.व. 23 और वि.व. 24 के दौरान इन शीर्ष दस निर्यात व्यापारिक साझेदारों को किया गया निर्यात, उस अवधि में भारत के कुल निर्यात का लगभग आधा था **(तालिका 1.4)**।

तालिका 1.4: शीर्ष दस निर्यात व्यापारिक साझेदारों को निर्यात में वि.व. 23 की तुलना में वि.व. 24 में वृद्धि

क्र. सं.	देश	आयात वि.व. 24 (₹ करोड़ में)	आयात वि.व. 23 (₹ करोड़ में)	वि.व. 23 की तुलना में वि.व. 24 में वृद्धि%	वि.व. 24 में कुल आयात में प्रतिशतता हिस्सा	वि.व. 23 में कुल आयात में प्रतिशतता हिस्सा
1	यूएसए	6,41,766	6,30,152	1.84	17.73	17.40
2	यूएई	2,95,094	2,53,852	16.25	8.15	7.01
3	नीदरलैंड	1,85,260	1,74,409	6.22	5.12	4.82
4	चीन	1,37,966	1,22,774	12.37	3.81	3.39
5	सिंगापुर	1,19,392	96,185	24.13	3.30	2.66
6	यूके	1,06,964	91,715	16.63	2.96	2.53
7	सऊदी अरब	95,714	86,271	10.95	2.64	2.38
8	बांग्लादेश	91,652	97,785	-6.27	2.53	2.70
9	जर्मनी	81,459	81,397	0.08	2.25	2.25
10	इटली	72,553	69,763	4.00	2.00	1.93
	कुल योग	**18,27,823**	**17,04,303**			
			प्रतिशत	***7.25***	***50.51***	***47.06***
भारत का कुल निर्यात		**36,18,952**	**36,21,550**		**100**	**100**

स्रोत: एक्सिम डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 24 में शीर्ष दस प्रमुख निर्यात व्यापार साझेदारों को किए गए निर्यात में, वि.व. 23 की तुलना में बढ़ोतरी का रुझान देखा गया। हालांकि, वि.व. 24 के दौरान सिंगापुर को किए गए निर्यात में सबसे ज़्यादा 24.13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि बांग्लादेश को किए गए निर्यात में 6.27 *प्रतिशत* की कमी आई।

1.7.3 कुल व्यापार के आधार पर भारत का अपने शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार असंतुलन

वि.व. 24 के दौरान, भारत का अपने शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों (यूएसए, चीन, यूएई, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, हांगकांग और कोरिया) के साथ व्यापार असंतुलन, कुल व्यापार असंतुलन {(-)₹19,97,090 करोड़} का 89.84 *प्रतिशत* {(-)₹17,94,125 करोड़} था। वि.व. 24 के दौरान शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों से आयात और निर्यात का विवरण **तालिका 1.5** में दर्शाया है।

तालिका 1.5: वि.व. 24 के लिए भारत के शीर्ष दस व्यापारिक साझेदार

वि.व. 24		मूल्य: ₹ करोड़ में			
रैंक	**देश**	**निर्यात**	**आयात**	**कुल व्यापार**	**व्यापार संतुलन**[1]
1	यूएसए	6,41,766	3,49,319	9,91,085	2,92,448
2	चीन	1,37,966	8,42,386	9,80,353	-7,04,420
3	यूएई	2,95,094	3,97,826	6,92,921	-1,02,732
4	रूस	35,288	5,06,386	5,41,674	-4,71,098
5	सऊदी अरब	95,714	2,60,116	3,55,831	-1,64,402
6	सिंगापुर	1,19,392	1,75,548	2,94,940	-56,156
7	इराक	27,767	2,48,196	2,75,962	-2,20,429
8	इंडोनेशिया	49,515	1,93,863	2,43,379	-1,44,348
9	हांगकांग	68,299	1,69,363	2,37,662	-1,01,064
10	कोरिया	53,115	1,75,040	2,28,155	-1,21,925
शीर्ष 10 देशों का कुल योग		*15,23,918*	*33,18,043*	*48,41,961*	*-17,94,125*
भारत का कुल योग		**36,18,952**	**56,16,042**	**86,92,838**	**-19,97,090**
भारत के कुल व्यापार में शीर्ष 10 देशों का हिस्सा *प्रतिशत*		*42.11*	*59.08*	*55.70*	*89.84*

स्रोत: निर्यात-आयात आँकड़े, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.7.4 वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान भारत का कुल आयात और निर्यात

तालिका 1.6 वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान भारत के आयात एवं निर्यात की वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

---

[1] *व्यापार संतुलन, निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। नकारात्मक आंकड़ें नकारात्मक व्यापार संतुलन को दर्शाते हैं, जिसमें आयात, निर्यात से ज़्यादा होता है।*

तालिका 1.6: वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान भारत का आयात एवं निर्यात

वर्ष	आयात ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	निर्यात ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़ में
वि.व .20	33,60,954	(-)6.50	22,19,854	(-)3.81	(-)11,41,100
वि.व. 21	29,15,958	(-)13.24	21,59,043	(-)2.74	(-)7,56,915
वि.व. 22	45,72,771	56.82	31,47,021	45.76	(-)14,25,750
वि.व. 23	57,49,801	25.74	36,21,550	15.08	(-)21,28,251
वि.व. 24	56,16,042	(-)2.33	36,18,952	(-)0.07	(-)19,97,090

स्रोत: एक्सिम डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 24 में भारत का कुल निर्यात मूल्य ₹36,18,952 करोड़ की तुलना में वि.व. 23 में निर्यात ₹36,21,550 करोड़ था इस तरह इसमें (-)0.07 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वि.व. 24 में भारत का कुल आयात मूल्य ₹56,16,042 करोड़ की तुलना में वि.व. 23 में ₹57,49,801 करोड़ था, इसमें भी (-)2.33 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान आयात की वर्ष-वार वृद्धि दर में कोविड महामारी (वि.व. 20 से वि.व. 21) के कारण (-)13.24 *प्रतिशत* से 56.82 *प्रतिशत* तक का उतार-चढ़ाव देखा गया। इसी अवधि में निर्यात की वृद्धि दर में भी (-)3.81 *प्रतिशत* से 45.76 *प्रतिशत* तक का उतार-चढ़ाव देखा गया। हालांकि, वि.व. 23 की तुलना में वि.व. 24 में कुल व्यापार का व्यापार संतुलन बेहतर हुआ क्योंकि निर्यात में आई कमी की तुलना में आयात में अधिक कमी आई।

1.8 वि.व. 24 के दौरान आयात एवं निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की साझेदारी

1.8.1 वि.व. 24 के दौरान, 'खनिज ईंधन एवं उनके आसवन के उत्पाद' वस्तु के लिए सबसे ज़्यादा ₹18,13,985 करोड़ का आयात दर्ज किया गया, जो भारत के कुल आयात में 32.30 *प्रतिशत* का सबसे बड़ा हिस्सा है। वि.व. 24 के दौरान आयात की जाने वाली शीर्ष पांच प्रमुख वस्तुओं का प्रतिशतता हिस्सा **तालिका 1.7** में वर्णित है। वि.व. 24 के दौरान भारत के कुल आयात में इन वस्तु समूहों की हिस्सेदारी 67.97 *प्रतिशत* थी, जो कि कुल आयात का लगभग दो-तिहाई है।

तालिका 1.7: वि.व. 24 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वस्तु का नाम	आयात मूल्य (₹ करोड़ में)	कुल आयात का *प्रतिशत*
1	खनिज ईंधन, खनिज तेल एवं उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम (अध्याय-27)	18,13,985	32.30
2	विद्युत मशीनरी एवं उपकरण तथा उनके पुर्ज़े; ध्वनि रिकॉर्डर एवं पुनरुत्पादक, टेलीविज़न छवि, ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, एवं उनके पुर्ज़े (अध्याय-85)	6,56,670	11.69
3	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या अर्द्ध-कीमती पत्थर, बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातु से जुड़े हुए एवं उनकी वस्तुएं; नकली आभूषण; सिक्के (अध्याय-71)	6,50,015	11.57
4	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण; उनके पुर्ज़े (अध्याय-84)	4,75,313	8.46
5	कॉर्बनिक रसायन (अध्याय-29)	2,21,365	3.94
	उप-योग	**38,17,349**	**67.97**
6	अन्य (अध्याय-27, 85, 71, 84, 29 को छोड़कर)	17,98,693	32.03
	कुल योग	**56,16,042**	**100**

स्रोत: एक्सिम डाटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.8.2 वि.व. 24 के दौरान, 'खनिज ईंधन एवं उनके आसवन के उत्पाद' में ₹7,25,404 करोड़ का सबसे अधिक निर्यात भी दर्ज किया गया, जो भारत के कुल निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा 20.04 *प्रतिशत* का है। वि.व. 24 के दौरान निर्यात की शीर्ष पांच प्रमुख वस्तुओं की प्रतिशतता हिस्सेदारी के साथ **तालिका 1.8** में दर्शाई गई है। वि.व. 24 के दौरान निर्यात में पांच प्रमुख वस्तु समूहों की हिस्सेदारी भारत के कुल निर्यात का 47.37 *प्रतिशत* थी, जो कि कुल निर्यात का लगभग आधा है।

तालिका 1.8: वि.व. 24 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वस्तु का नाम	आयात मूल्य (करोड़ में)	कुल आयात का *प्रतिशत*
1	खनिज ईंधन, खनिज तेल एवं उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम (अध्याय-27)	7,25,404	20.04
2	विद्युत मशीनरी एवं उपकरण तथा उनके पुर्ज़े; ध्वनि रिकॉर्डर एवं पुनरुत्पादक, टेलीविज़न छवि, ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, एवं उनके पुर्ज़े (अध्याय-85)	2,84,963	7.87

क्र. सं.	**वस्तु का नाम**	**आयात मूल्य (करोड़ में)**	**कुल आयात का *प्रतिशत***
3	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या अर्द्ध-कीमती पत्थर, बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातु से जुड़े हुए एवं उनकी वस्तुएं; नकली आभूषण; सिक्के (अध्याय-71)	2,72,097	7.52
4	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण; उनके पुर्ज़े (अध्याय-84)	2,48,866	6.88
5	फार्मास्युटिकल उत्पाद (अध्याय-30)	1,83,052	5.06
	उप-योग	**17,14,382**	**47.37**
6	अन्य (अध्याय-27, 85, 71, 84, 30 को छोड़कर)	19,04,570	52.63
	कुल	**36,18,952**	**100**

स्रोत: एक्सिम डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रदर्शन

1.9.1 एसईज़ेड नियमों द्वारा समर्थित, एसईज़ेड अधिनियम, 2005, दिनांक 10 फरवरी, 2006 को प्रभावी हुआ, जिसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर 'एकल खिड़की मंज़ूरी' के लिए प्रावधान किया गया। एसईज़ेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, एसईज़ेड की स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग वस्तुओं के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडबल्यूजेड) के रूप में की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसित ऐसे प्रस्तावों पर एसईज़ेड के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा विचार किया जाता है। एसईज़ेड अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन
- वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
- घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- रोज़गार के अवसरों का सृजन
- बुनियादी सुविधाओं का विकास

फरवरी 2006 में एसईज़ेड नियमों की अधिसूचना के बाद, दिनांक 01 अप्रैल 2024 तक, वाणिज्य विभाग ने एसईज़ेड स्थापित करने के लिए 423 औपचारिक अनुमोदन दिए थे, जिनमें से 375 को अधिसूचित किया गया था, उनमें से केवल 280 एसईज़ेड ही परिचालन में थे **(अनुलग्नक 1)** यानी कुल स्वीकृत एसईज़ेड का

66.19 *प्रतिशत*। दिनांक 01 अप्रैल 2024 तक, एसईज़ेड में कुल 6,279 इकाईयां स्वीकृत थीं।

1.9.2 एसईज़ेड योजना ने भारत एवं विदेश दोनों जगह के निवेशकों के बीच ज़बरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की है, जो देश में निवेश के प्रवाह एवं अतिरिक्त रोज़गार सृजन से स्पष्ट है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, एसईज़ेड ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार, नई गतिविधियों के उद्भव, उपभोग के प्रतिरूप एवं सामाजिक जीवन में बदलाव के मामले में महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र प्रभाव हासिल किया है। वि.व. 20 से वि.व. 24 की अवधि के लिए एसईज़ेड प्रदर्शन के तीन मापदंड (i) निर्यात प्रदर्शन, (ii) निवेश, एवं (iii) रोज़गार नीचे **तालिका 1.9** में दिए गए हैं।

तालिका 1.9: एसईज़ेड का प्रदर्शन

	वि.व. 20	वि.व. 21	वि.व. 22	वि.व. 23	वि.व. 24
निर्यात प्रदर्शन (₹ करोड़ में)	7,96,669 (14%)*	7,59,524 (-5%)*	9,90,747 (30%)*	12,63,578 (28%)*	13,55,220 (7.25)*
निवेश (₹ करोड़ में)	5,71,735 (13%)*	6,17,499 (8%)*	6,49,705 (5%)*	6,60,184 (2%)*	7,07,341 (7.14)*
रोज़गार (व्यक्तियों को)	22,38,305 (8%)*	23,58,136 (5%)*	26,96,180 (14%)*	28,95,612 (7%)*	31,94,104 (10.31)*

*स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय *कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हैं*

वि.व. 24 में एसईज़ेड से निर्यात ₹13.55 लाख करोड़ रहा, जो वि.व. 20 (₹7.96 लाख करोड़) में किए गए निर्यात की तुलना में समग्र वृद्धि 70.11 *प्रतिशत* की थी। वि.व. 24 में निर्यात वृद्धि प्रतिशतता वि.व. 23 की तुलना में 7.25 *प्रतिशत* बढ़कर निर्यात ₹13.55 लाख करोड़ हो गया था। वि.व. 21 में कोरोना महामारी के घटते प्रभावों के बाद वि.व. 22 में निर्यात में वृद्धि देखने को मिली। हालांकि, पिछले वर्षों की तुलना में वि.व. 22 में निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 30 *प्रतिशत* से लगातार घटकर वि.व. 24 में 7.25 *प्रतिशत* हो गई **(तालिका 1.9 तथा अनुलग्नक 1)**।

1.9.3 वि.व. 24 में एसईज़ेड में कुल ₹7.07 लाख करोड़ का निवेश किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 31.94 लाख लोगों के लिए रोज़गार का सृजन हुआ। वि.व. 20 में निवेश में किए गए ₹5.72 लाख करोड़ के निवेश की तुलना में में

वि.व. 24 (₹7.07 लाख करोड़) में 23.72 *प्रतिशत* की क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान, सृजित रोज़गार में 42.70 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई **(तालिका 1.9)**।

1.10 वि.व. 22 से वि.व. 24 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों की संग्रहण लागत

1.10.1 संग्रहण-लागत सीमा शुल्क के संग्रहण पर होने वाली लागत है तथा इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण एवं अन्य व्यय सम्मिलित हैं। वि.व. 22 से वि.व. 24 की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों की संग्रहण लागत नीचे **तालिका 1.10** में दी गई है।

तालिका 1.10: वि.व. 22 से वि.व. 24 के दौरान संग्रहण लागत

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष	वि.व. 22	वि.व. 23	वि.व. 24
राजस्व-सह-आयात/निर्यात एवं व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	833	928	799
निवारक एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4,279	5,275	5,878
आरक्षित निधि, जमा खाता में अंतरण एवं अन्य व्यय	19	23	15
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट	12,016	13,175	15,019
राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट	9,176	7,659	8,033
भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) के अंतर्गत छूट	23,051	1,248	123
भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के अंतर्गत छूट	4,099	2,610	1,252
टारगेट प्लस योजना (टीपीएस) के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन	766	129	37
अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट	213	61	91
कुल व्यय	**54,452**	**31,109**	**31,247**
सीमा शुल्क प्राप्तियां	*1,99,728*	*2,13,372*	*2,33,119*
सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण लागत	**27.26**	**14.58**	**13.40**

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए संघ सरकार के वित लेखे

1.10.2 सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के संदर्भ में व्यक्त, संग्रहण लागत वि.व. 22 में 27.26 *प्रतिशत* एवं वि.व. 24 में 13.40 *प्रतिशत* थी। संग्रहण लागत

में कमी 'एमईआईएस के अंतर्गत छूट, एसईआईएस के अंतर्गत छूट, टीपीएस के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन, राज्य एवं केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट के अंतर्गत व्यय' में कमी के कारण थी।

1.11 सीमा शुल्क के बकाया

1.11.1 सीमा शुल्क के बकाये की वसूली क्षेत्राधिकार आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी है। उन्हें आयुक्तालयों के भीतर कार्यरत वसूली प्रभाग के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करनी होती है। हर साल, प्रत्येक आयुक्तालय के लिए वसूली लक्ष्य तय किए जाते हैं। वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान सीमा शुल्क के बकाये की वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

वि.व. 24 में ₹13,449 करोड़ के वसूली लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने ₹2,029 करोड़ (15.09 *प्रतिशत*) की वसूली की, जिससे ₹11,420 करोड़ (84.91 *प्रतिशत*) की राशि शेष रह गई **(तालिका 1.11)**।

तालिका 1.11: वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान निर्धारित वसूली लक्ष्य एवं प्राप्ति

वर्ष	बकाया लक्ष्य (₹ करोड़ में)	प्राप्त लक्ष्य (₹ करोड़ में)	लक्ष्य की कमी (₹ करोड़ में)	कमी की प्रतिशतता
वि.व. 20	4,044	1,952	(-)2,092	(-)51.73
वि.व. 21	4,108	1,128	(-)2,980	(-)72.54
वि.व. 22	3,767	1,673	(-)2,094	(-) 55.59
वि.व. 23	9,707	1,898	(-)7,809	(-)80.45
वि.व. 24	13,449	2,029	(-)11,420	(-)84.91

स्रोत: वि.व. 23 व वि.व. 24 हेतु वित्त मंत्रालय का पत्र संख्या एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 07.03.2025

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि विभाग ने सीमा शुल्क बकाया वसूलने के लिए सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था। वि.व. 24 में लक्ष्य में कमी (-)84.91 *प्रतिशत* थी। पिछले पांच वर्षों से सीमा शुल्क बकाया की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार कमी रही। कुल कार्मिकों की संख्या में रिक्तियों ने बकाया वसूली लक्ष्य को प्रभावित किया हो सकता है। जनवरी, 2024 तक कार्मिकों की कुल संख्या में 39.32 *प्रतिशत* की कमी थी।

बोर्ड ने समय-समय पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं सीमा शुल्क के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली से संबंधित निर्देश/परिपत्र जारी किए हैं। जुलाई, 2017 में

जीएसटी लागू होने के बाद हुए बदलावों को देखते हुए, अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा शुल्क के बकाया की वसूली की प्रक्रिया को अद्यतन एवं संशोधित करना अनिवार्य हो गया है।

1.11.2 सीमा शुल्क का बकाया विभाग द्वारा लगाए गए शुल्क हैं, लेकिन विभिन्न कारणों जैसे कि अधिनिर्णयन के लंबित रहने, विवादित दावों एवं अनंतिम निर्धारणों के कारण वसूल नहीं किए जा सके। दिनांक 31 मार्च 2024 तक कुल सीमा शुल्क बकाया राशि ₹1,10,643 करोड़ थी। वि.व. 20 से वि.व. 24 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया को नीचे दी गई **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: सीमा शुल्क बकाया

वर्ष	विवादित सीमा शुल्क का बकाया (₹ करोड़ में)	अविवादित सीमा शुल्क का बकाया (₹ करोड़ में)	कुल बकाया (₹ करोड़ में)	कुल बकाया में विवादित बकाया की प्रतिशतता	कुल बकाया की तुलना में अविवादित बकाया की प्रतिशतता
वि.व. 20	36,951	8,101	45,052	82.02	17.98
वि.व. 21	34,215	8,386	42,601	80.32	19.68
वि.व. 22	41,917	9,867	51,784	80.95	19.05
वि.व. 23	42,241	13,612	55,853	75.63	24.37
वि.व. 24	85,103	25,540	1,10,643	76.92	23.08

स्रोत: वि.व. 23 एवं 24 के लिए वित्त मंत्रालय का पत्र सं. एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 07.03.2025

1.11.3 वि.व. 20 से वि.व. 24 के दौरान सीमा शुल्क बकाया में निरंतर वृद्धि हुई। मार्च, 2024 तक लंबित सीमा शुल्क राजस्व का कुल बकाया (₹1,10,643 करोड़) मार्च, 2023 (₹55,853 करोड़) तक लंबित की तुलना में 49.52 *प्रतिशत* बढ़ गया और लगभग दोगुना हो गया। वि.व. 20 की तुलना में वि.व. 24 में सीमा शुल्क का कुल समग्र बकाया 145.59 *प्रतिशत* बढ़ गया था।

1.11.4 कुल बकाया राशि के अनुपात में विवादित बकाया राशि वि.व. 20 में 82.02 *प्रतिशत* से थोड़ी घटकर वि.व. 24 में 76.92 *प्रतिशत* हो गई और यह ₹85,103 करोड़ थी।

1.11.5 दिनांक 31 मार्च 2024 तक लंबित विवाद रहित बकाया (₹25,540 करोड़) कुल बकाया राशि (₹1,10,643 करोड़) का 23.08 *प्रतिशत* था। पिछले वर्ष की तुलना में वि.व. 24 (23.08 *प्रतिशत*) में विवाद रहित बकाया कम हो गया था।

1.11.6 **तालिका 1.12** से पता चलता है कि वि.व. 23 की तुलना में वि.व. 24 में विवादित और विवाद रहित बकाया लगभग दोगुना हो गया है। वि.व. 23 से वि.व. 24 तक विवादित और विवाद रहित बकाया दोनों की दोगुनी वृद्धि सीमा शुल्क विभाग के राजस्व वसूली तंत्र में एक गंभीर कमजोरी का संकेत देती है, जो संभवतः संग्रहण प्रक्रियाओं में अक्षमता, कानूनी देरी या अपर्याप्त क्रियान्वयन से उत्पन्न होती है।

1.11.7 कुल 20 ज़ोनों {11 सीमा शुल्क ज़ोनों एवं नौ संयुक्त (सीमा शुल्क एवं जीएसटी ज़ोनों)} में से, 10 ज़ोनों में वि.व. 24 के दौरान लंबित कुल बकाया का 90.81 *प्रतिशत* (₹1,00,480 करोड़) बकाया था, जैसा कि **तालिका 1.13** में दिखाया गया है।

तालिका 1.13: दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सीमा शुल्क राजस्व का ज़ोन-वार बकाया

रैंक	मुख्य आयुक्त ज़ोन	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	विवाद रहित राशि (₹ करोड़ में)	दिनांक 31.03.2024 तक लंबित राशि (₹ करोड़ में)
1	मुंबई-III सीमा शुल्क	37,478	12,491	49,969
2	अहमदाबाद सीमा शुल्क	10,752	2,058	12,809
3	बेंगलुरु सीमा शुल्क	8,076	1,022	9,098
4	दिल्ली सीमा शुल्क	4,874	3,213	8,087
5	मुंबई-II सीमा शुल्क	6,225	541	6,766
6	मुंबई- I सीमा शुल्क	2,444	509	2,954
7	दिल्ली निवारक	2,426	527	2,952
8	चेन्नई सीमा शुल्क	1,685	1,070	2,755
9	भोपाल सीई एवं जीएसटी	1,547	1,173	2,720
10	कोलकाता सीमा शुल्क	2,089	280	2,368
	शीर्ष 10 का उप-योग	**77,596**	**22,884**	**1,00,480**
11	अन्य का कुल योग	7,507	2,589	10,163
	कुल योग	**85,103**	**25,540**	**1,10,643**

स्रोत: वि.व. 24 के लिए वित्त मंत्रालय का पत्र सं. एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 07.03.2025

1.11.8 वि.व. 24 में सीमा शुल्क के बकाया की सबसे अधिक मात्रा मुख्य सीमा शुल्क आयुक्तालय मुंबई-III में थी, जिसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सीमा शुल्क, मुंबई-II, मुंबई-I, दिल्ली निवारक, चेन्नई, भोपाल-सीई एवं जीएसटी तथा कोलकाता सीमा शुल्क ज़ोन का स्थान था।

1.11.9 वि.व. 20 से वि.व. 24 के लिए सीमा शुल्क राजस्व का अवधि-वार बकाया **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: वि.व. 20 से वि.व. 24 के लिए अवधि-वार सीमा शुल्क राजस्व बकाया की लंबितता

वर्ष	*विवादित राशि (₹ करोड़ में)*				*विवाद-रहित राशि (₹ करोड़ में)*				*कुल योग*
	5 *वर्ष से कम*	*पांच वर्ष लेकिन <* 10 *वर्ष*	10 *वर्ष से अधिक*	*कुल (कॉलम* 2+3+4)	5 *वर्ष से कम*	*पांच वर्ष लेकिन <* 10 *वर्ष*	10 *वर्ष से अधिक*	*कुल (कॉलम* *(*6+7+8)	*(कॉलम* 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वि.व. **20**	29,226	6,128	1,597	**36,951**	6,243	864	994	**8,101**	**45,052**
वि.व. **21**	25,077	7,599	1,539	**34,215**	6,285	918	1,183	**8,386**	**42,601**
वि.व. **22**	31,558	8,436	1,923	**41,917**	7,667	966	1,234	**9,867**	**51,784**
वि.व. **23**	31,603	7,253	3,385	**42,241**	10,086	1,989	1,537	**13,612**	**55,853**
वि.व. **24**	72,326	9,270	3,507	**85,103**	21,210	2,696	1,634	**25,540**	**1,10,643**

स्रोत: वि.व. 23 एवं 24 के लिए वित्त मंत्रालय का पत्र सं. एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 07.03.2025

विवाद-रहित बकाए का अवधि-वार विश्लेषण से पता चला है कि कुल ₹25,540 करोड़ में से ₹4,330 करोड़ (16.95 *प्रतिशत*) पांच वर्ष से अधिक समय से अप्राप्य पड़ा हुआ था। इनमें से ₹1,634 करोड़ की राशि की वसूली 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित थी।

1.11.10 इसके अलावा, 20 ज़ोनों में (दिनांक 01 अप्रैल 2023 तक) 13,027 चूककर्ता थे, जिनसे ₹5,908 करोड़ का सीमा शुल्क राजस्व वसूली के लिए देय था। वि.व. 24 के दौरान 1,630 नए चूककर्ता जुड़े, जिनकी राजस्व देनदारी ₹2,619 करोड़ थी। कुछ मामलों में वसूली के बाद दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ₹7,992 करोड़ के बकाये वाले 11,920 चूककर्ता थे। बकाया राशि की लंबितता एवं मंद वसूली के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों पर रिक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मंत्रालय को विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.12.1 सीबीआईसी एवं उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं के आंतरिक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा महानिदेशालय (डीजी लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए तकनीकी लेखापरीक्षा एवं प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) द्वारा किए गए भुगतान एवं लेखें की

लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। महानिदेशालय (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसका प्रमुख महानिदेशक (लेखापरीक्षा) हैं, तथा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में सात क्षेत्रीय इकाईयां हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं। डीजीए की प्रत्येक ज़ोनल इकाई का मुख्य आयुक्त एवं उसके अधीन आयुक्तालयों की ज़ोनल इकाईयों पर क्षेत्र-वार क्षेत्राधिकार नियंत्रण होता है।

1.12.2 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 पोस्ट क्लियरेंस लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए एक वैधानिक ढांचे का प्रावधान करता है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने दो प्रकार की पोस्ट क्लियरेंस लेखापरीक्षा की योजना बनाई थी अर्थात संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) एवं परिसर आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए)।

1.12.3 संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) का अर्थ है सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करने एवं किसी भी कम उदग्रहण या गैर-उदग्रहण की जांच के लिए बिल ऑफ एंट्री (आयात दस्तावेज)/ शिपिंग बिल (निर्यात दस्तावेज) की जांच करना। टीबीए में आम तौर पर लेखापरीक्षक को परिसर का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो इसमें क्षेत्रीय लेखापरीक्षा भी की जा सकती है। वि.व. 23 के दौरान, टीबीए में कुल 5,43,916 बीई की लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी। लेखापरीक्षा 8,67,669 बीई के लिए की गई थी, जो कि नियोजित लेखापरीक्षा से अधिक थी क्योंकि इसमें पिछले वर्ष के कुछ बीई सम्मिलित थी। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने ₹799.50 करोड़ के शुल्क अपवंचन का पता लगाया, जिसमें से ₹146.39 करोड़ का शुल्क वसूला गया था।

1.12.4 परिसर आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए) का अर्थ है कि सीमा शुल्क के सही निर्धारण तथा कानूनी अनुपालना का आयातकों एवं निर्यातकों के परिसर में सत्यापन किया जाएगा। पीबीए के लिए लेखापरीक्षितों की पहचान जोखिम मापदंडों के आधार पर की जाएगी। अधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) स्तर-1/स्तर-2/स्तर-3 के लिए क्रमशः दो/तीन/पांच साल में एक बार पीबीए आयोजित किया जाएगा। वि.व. 23 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए नियोजित 174 इकाईयों के मुकाबले, 176 इकाईयों की वास्तव में लेखापरीक्षा की गई, क्योंकि इसमें पिछले वर्ष की कुछ इकाईयां सम्मिलित थीं। पीबीए के दौरान महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा ₹274.91 करोड़

के शुल्क अपवंचन का पता लगाया गया था। इसमें से ₹64.54 करोड़ का शुल्क वसूल कर लिया गया था।

1.12.5 प्रधान सीसीए, सीबीआईसी एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के भुगतानों एवं लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। सीबीआईसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वि.व. 24 के दौरान प्रधान सीसीए द्वारा ₹208.95 लाख[2] की राशि की 80 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इंगित की गई जो कि दिनांक 31 मार्च 2024 तक लंबित थीं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं थीं:

(क) अधिक भुगतान- ₹84.76 लाख (23 मामले);

(ख) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के निकाय/निजी पक्ष से सरकारी बकाया की वसूली न करना- ₹11.04 लाख (18 मामले);

(ग) अनियमित क्रय- ₹40.28 लाख (14 मामले);

(घ) सरकारी धन का अवरोधन- ₹67.39 लाख (11 मामले);

(ङ) अन्य अनियमितताएं: अनियमित व्यय/एलटीसी अग्रिम/विशेष प्रकृति की कोई अन्य मद- ₹5.48 लाख (14 मामले);

वि.व. 23 में लंबित अनियमितताओं की राशि (₹42,669 करोड़) में वि.व. 24 (₹208.95 लाख) की तुलना में कमी का रुझान रहा।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक ने (फरवरी 2025) कहा कि वि.व. 23 में बताई गई ₹42,669 करोड़ की बकाया रकम में से ₹42,664 करोड़ की राशि अधिनिर्णयन मामलों से जुड़ी थी और इसे बकाया वसूली नहीं माना जाना चाहिए था, क्योंकि अधिनिर्णयन विभाग तथा करदाताओं के बीच एक नियमित, बार-बार होने वाली क्रिया है। इसके अलावा, वि.व. 23 के दौरान ₹2.11 करोड़ की राशि गवर्नमेंट ई-बाजार में सरकारी निधि के अवरूद्ध होने से जुड़ी थी, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लैप्स (समाप्त) हो जाती है, इसलिए इसे भी वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया वसूलियों से अलग किया जाना चाहिए था।

---

[2] *वि.व.24 हेतु एमओएफ पत्र सं.आईए/एनजेड/मुख्या./सीएजी/सूचना/2023-24/179, दिनांक 18.02.2025*

1.13 कर अपवंचन और जब्ती

1.13.1 वि.व. 24 के दौरान डीआरआई द्वारा पता लगाए गए कर-अपवंचन के मामलों के संबंध में सीबीआईसी/डीआरआई-एमओएफ द्वारा प्रस्तुत सूचना (फरवरी/मार्च 2025) के अनुसार, शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व. 20 में 761 से घटकर वि.व. 24 में 532 हो गई, और हालांकि, इस अवधि के दौरान मूल्य ₹2,183 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,609 करोड़ हो गया था **(अनुलग्नक 2)**। पता लगाए गए मामलों में की गई वसूली का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

1.13.2 वित्त मंत्रालय के अनुसार, वि.व. 24 के दौरान जब्त की गई प्रमुख वस्तुएं (मूल्य के अनुसार) नशीले पदार्थ, सोना, सिगरेट, भारतीय मुद्रा, हीरे/कीमती पत्थर, विदेशी मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, वाहन/जहाज, चांदी एवं अन्य हैं। डीआरआई द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों का मूल्य कुल मूल्य ₹3,789 करोड़ में से ₹2,273 करोड़ (60 *प्रतिशत*) था।

1.14 मानव संसाधन

1.14.1 सीबीआईसी में सीमा शुल्क संरचनाओं के लिए सभी स्तरों पर मानव संसाधन का कैडर-वार सुव्यवस्थीकरण/पुनर्गठन, अंतिम बार वर्ष 2017-18 में किया गया था। कुल मिलाकर 10,491 सीमा शुल्क अधिकारियों/कार्मिकों के पद रिक्त थे (जनवरी 2024 तक)। ये रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों (26,681) का 39.32 *प्रतिशत* थे।

तालिका 1.15: सीबीआईसी में मानव संसाधन

इस दिनांक पर	स्वीकृत पद			कुल	कार्यरत पद			कुल
	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह क, ख एवं ग	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह क, ख एवं ग
01.01.2022	1,280	16,811	8,588	**26,679**	814	9,530	3,791	**14,135**
01.07.2022	1,282	16,807	8,592	**26,681**	763	9,680	3,706	**14,149**
01.01.2023	1,162	16,807	8,592	**26,681**	683	9,918	3,508	**14,175**
01.01.2024	1,162	16,807	8,592	**26,681**	930	11,361	3,826	**16,190**

	रिक्ति							
इस दिनांक पर	**समूह क**	*प्रतिशत*	**समूह ख**	*प्रतिशत*	**समूह ग**	*प्रतिशत*	**कुल समूह क, ख एवं ग**	**कुल** *प्रतिशत*
01.01.2022	466	36.41	7,281	43.31	4,797	55.86	12,544	47.02
01.07.2022	519	40.48	7,127	42.40	4,886	56.57	12,532	46.97
01.01.2023	479	41.22	6,889	40.99	5,084	59.17	12,506	46.87
01.01.2024	232	19.97	5,446	32.40	4,766	55.47	10,491	39.32

स्रोतः वि.व. 23 एवं 24 के लिए महानिदेशालय(एचआरडी)-सीबीआईसी का पत्र दिनांक 05-03-2025

1.15 निष्कर्ष

भारत का कुल निर्यात मूल्य वि.व. 23 में ₹36,21,550 करोड़ की तुलना में वि.व. 24 में ₹36,18,952 करोड़ था, जिसमें (-)0.07 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत का कुल आयात मूल्य वि.व. 23 में ₹57,49,801 करोड़ की तुलना में वि.व. 24 में ₹56,16,042 करोड़ था, जिसमें भी (-)2.33 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

वि.व. 24 के दौरान आयात एवं निर्यात दोनों में गिरावट दर्ज की गई। तथापि, चूंकि निर्यात की तुलना में आयात में ज्यादा गिरावट आई, इसलिए व्यापार घाटा वि.व. 23 में ₹21,28,251 करोड़ से घटकर वि.व. 24 में ₹19,97,090 करोड़ हो गया था।

सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 27, 85, 71, 84 और 29 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का वि.व. 24 के दौरान भारत के कुल आयात में 68 *प्रतिशत* का हिस्सा था। जबकि सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 27, 85, 71, 84 और 30 के अंतर्गत आने वाली पांच प्रमुख वस्तुओं का वि.व. 23 के दौरान निर्यात में हिस्सा भारत के कुल निर्यात का 47 *प्रतिशत* था।

कुल 20 ज़ोनों {11 सीमा शुल्क ज़ोनों और नौ संयुक्त (सीमा शुल्क और जीएसटी ज़ोनों)} में से 10 ज़ोनों में वि.व. 24 के दौरान लंबित कुल बकाया (₹1,10,643 करोड़) का 90.81 *प्रतिशत* (₹1,00,480 करोड़) था। वि.व. 24 में सीमा शुल्क बकाये की सबसे अधिक मात्रा सीमा शुल्क मुख्य आयुक्तालय मुंबई-III में थी, इसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सीमा शुल्क, मुंबई-II, मुंबई-I,

दिल्ली निवारक, चेन्नई, भोपाल-सीई एवं जीएसटी तथा कोलकाता सीमा शुल्क ज़ोन का स्थान था।

विभाग ने सीमा शुल्क बकाया वसूलने के लिए सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। वि.व. 24 में लक्ष्य में कमी (-)84.91 *प्रतिशत* थी (**तालिका 1.11**)। पिछले पांच वर्षों (वि.व. 20 से वि.व. 24) से सीमा शुल्क बकाया की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार कमी रही।

विवाद-रहित बकाया राशि के अवधि-वार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹25,540 करोड़ में से ₹4,330 करोड़ (16.95 *प्रतिशत*) पांच वर्षों से अधिक समय से अप्राप्य पड़े हुए थे, जिसमें से ₹1,634 करोड़ की राशि की वसूली दस वर्षों से अधिक समय से लंबित थी।

अध्याय II

सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी का अधिकार

2.1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान किया गया है कि सीएजी संघ एवं राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किए जाते हो।

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियम, कानून एवं प्रक्रियाएं राजस्व के प्रभावी आकलन और संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं तथा उनका उचित रूप से पालन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (संशोधन), 2020, प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

2.1.2 सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क के उदग्रहण एवं संग्रहण, सीमा शुल्क के किसी अन्य उदग्रहण, एफटीपी के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयात एवं निर्यात के संव्यवहारों एवं समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए विशिष्ट अनुपालन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित संव्यवहार वित्तीय वर्ष (वि.व.) 24 से संबंधित हैं, लेकिन कुछ मामलों में समग्र चित्रण प्राप्त करने के लिए पूर्व अवधि के संव्यवहारों की भी समीक्षा की गई है।

2.2 लेखापरीक्षा की सीमा

2.2.1 सीएजी लेखापरीक्षा दल द्वारा जोखिम आधारित नमूने के आधार पर चयनित अभिलेखों की जांच करता है (समग्र अखिल भारतीय डेटा के अभाव में)। लेखापरीक्षा में सीबीआईसी की विभिन्न कार्यात्मक संरचनाओं के अभिलेखों के साथ-

साथ आयात, निर्यात एवं प्रतिदाय से संबंधित सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचना के संव्यवहार अभिलेखों के नमूने सम्मिलित हैं। सीएजी विभागीय कार्यों, जैसे अधिनिर्णयन, बकाया की वसूली एवं निवारक कार्यों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच करता है।

2.2.2 इसके अलावा, एफटीपी के अंतर्गत आयातकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त सीमा शुल्क छूट लाभों के संबंध में एमओसीआई के अंतर्गत विदेश व्यापार के महानिदेशालय (डीजीएफटी) के संबंधित आरए के अभिलेखों की जांच की जाती है। इसी प्रकार, सीएजी विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यातोन्मुखी इकाई एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) के विकास आयुक्तों (डीसी) की लेखापरीक्षा करता है, जिसमें केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले एसईज़ेड के लेखों का प्रमाणीकरण भी सम्मिलित है।

2.3 लेखापरीक्षा परिक्षेत्र

2.3.1 सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा परिक्षेत्र में सीबीआईसी, इसकी सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाएं एवं पत्तनों (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) से जुड़े, गैर-ईडीआई एवं एसईज़ेड दोनों) एवं वहां निष्पादित संव्यवहार सम्मिलित हैं जैसे बिल ऑफ एंट्री एवं शिपिंग बिल।

2.3.2 सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं को 11 सीमा शुल्क ज़ोनों और नौ संयुक्त (सीमा शुल्क एवं जीएसटी) ज़ोनों में विभाजित किया गया है, जिनमें 20 ज़ोनों में 70 प्रधान आयुक्त/आयुक्त हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुख्य आयुक्त करता है। दिनांक 01 अप्रैल 2024 तक, 44 सीमा शुल्क कार्यकारी आयुक्तालय, 13 सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, नौ सीमा शुल्क अपील आयुक्तालय एवं चार सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय थे।

2.3.3 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा परिक्षेत्र में डीजीएफटी, उसके आरए और एसईज़ेड/ईओयू/एसटीपी के डीसी सम्मिलित हैं। डीजीएफटी, एमओसीआई का एक संबद्ध कार्यालय है, जिसकी अध्यक्षता विदेश व्यापार महानिदेशक करते हैं, जो भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को तैयार करने एवं उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इस क्षमता में, डीजीएफटी निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट

स्क्रिप्स/प्राधिकार जारी करता है तथा 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित निर्यात दायित्वों की पूर्ति की निगरानी करता है।

2.3.4 एसईज़ेड और ईओयू के माध्यम से लागू निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का लेखापरीक्षण एसईज़ेड/ईओयू के संबंधित डीसी के कार्यालयों में किया जाता है।

2.4 लेखापरीक्षिती डेटा तक पहुंच

लेखापरीक्षा, सीमा शुल्क संव्यवहार के डेटा पर निर्भर करता है ताकि यह आश्वासन मिल सके कि राजस्व की हानि को रोकने के लिए कानूनों को सही ढंग से लागू किया गया है। अखिल भारतीय डेटा तक पूर्ण पहुंच का अभाव, लेखापरीक्षा जांच को विशिष्ट सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं में चयनित संव्यवहारों की नमूना जांच तक सीमित करता है एवं राजस्व प्राप्तियों को प्रमाणित करने में में सीमित आश्वासन देता है।

मार्च 2015 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा वि.व. 19 से वि.व. 24 की अवधि के लिए अखिल भारतीय आयात एवं निर्यात संव्यवहार डेटा (जून 2019/जुलाई/सितंबर 2020/2022/ 2023 /2024) मांगा गया था, जो बार-बार अनुरोध के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ। अखिल भारतीय संव्यवहार संबंधी डेटा के अभाव में 70 आयुक्तालयों में से 47 का भौतिक रूप से दौरा करके तथा भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीआरए) मॉड्यूल एवं आयात सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (आईसीआरए) मॉड्यूल इंटरफेस का उपयोग करके लेखापरीक्षा की गई, जिनकी अपनी सीमाएं थीं।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा सीआरए मॉड्यूल एवं आईसीआरए मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई सीमित पहुंच के माध्यम से नमूना जांच में प्राप्त परिणामों के आधार पर, जहां तक संभव हो सका, जोखिम वाले कुल संव्यवहार की संख्या का परिमाणन किया है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण, वे हैं जो वि.व. 24 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा कुछ मामलों में वे हैं जो पिछले वर्ष के भी हैं।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना

वि.व. 24 के दौरान 70 में से 47 (67 *प्रतिशत*) आयुक्तालयों में संव्यवहार की नमूना जांच की गई। सीमा शुल्क आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा में 44 कार्यकारी आयुक्तालयों में से 31, 13 निवारक आयुक्तालयों में से 13, नौ अपील आयुक्तालयों में से एक और चार में से दो लेखापकीक्षा आयुक्तालयों सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी द्वारा अपने आरए के माध्यम से एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंसों/प्राधिकारों की, लेखापरीक्षा, 25 क्षेत्रीय प्राधिकरणों में से 13 और आठ विकास आयुक्तों (डीसी) में की गई थी।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा परिक्षेत्र और नमूना

मंत्रालय	लेखापरीक्षित इकाई	लेखापरीक्षा परिक्षेत्र	लेखापरीक्षा नमूना
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीआईसी)	**मुख्य आयुक्तालय सीमा शुल्क एवं निवारक**	11	9
	प्रधान आयुक्तालय/ आयुक्तालय	70	47
	कार्यकारी आयुक्तालय	44	31
	अनन्य निवारक आयुक्तालय	13	13
	अपील आयुक्तालय	9	01
	लेखापरीक्षा आयुक्तालय	4	02
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग - डीजीएफटी)	**क्षेत्रीय प्राधिकरण**	25	13
	विकास आयुक्त	9	8

2.6 लेखापरीक्षा प्रयास

2.6.1 वि.व. 24 के दौरान, संबंधित आयुक्तालय/आरए/डीसी को 195 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए, जिनमें 1,684 अभ्युक्तियां सम्मिलित थीं एवं कुल ₹472 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था।

2.6.2 लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण एवं उच्च मूल्य के मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पहले मंत्रालयों (एमओएफ/ एमओसीआई) को टिप्पणियों के लिए भेजा गया। इस प्रतिवेदन में 106 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ 'राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना' पर एक एसएससीए भी सम्मिलित है, जिनका कुल राजस्व निहितार्थ

₹667 करोड़ का है तथा जो दोनों मंत्रालयों को अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के दौरान जारी किए गए थे।

2.6.3 मंत्रालयों/विभागों ने जारी की गई 106 में से 105 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर दिया और 104 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, एससीएन जारी करने, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में ₹54 करोड़ के धन मूल्य से संबंधित सुधारात्मक उपाय किए और सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 56 मामलों में ₹20 करोड़ की वसूली की सूचना दी गई।

2.6.4 विदेश व्यापार नीति भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के लिए निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करता है। डीजीएफटी और सीमा शुल्क द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रणों तथा आरओएससीटीएल योजना के कार्यान्वयन के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) आयोजित की गई एवं **अध्याय** III में ₹603.08 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ परिणामों को अभिलेखित किया गया।

2.6.5 **अध्याय IV में**, लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी के चयनित क्षेत्रीय प्राधिकरणों और सीमा शुल्क आयुक्तालयों में बिल ऑफ एंट्री/शिपिंग बिल तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण परिणामों को अभिलेखित किया, जिससे ₹64.36 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था। लेखापरीक्षा परिणाम 'आयातों के गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 4.4.1 से 4.4.15)', 'आईजीएसटी अधिसूचना के अनुप्रयोग में त्रुटियां (पैराग्राफ 4.5.1 से 4.5.4)', 'छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग (पैराग्राफ 4.5.5 से 4.5.12)', 'निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन (पैराग्राफ 4.6.1 से 4.6.9)' और 'अन्य अनियमितताएं (पैराग्राफ 4.7.1 से 4.7.2)' से संबंधित थे। लेखापरीक्षा परिणामों में कुछ प्रणालीगत मुद्दे एवं निरंतर अनियमितताओं शामिल थीं।

(क) प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मुद्दे देखें, जिनमें आरएमएस ने निर्धारित दरों से कम दरों पर निकासी की अनुमति दी थी। आरएमएस को ऐसे मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि निर्धारित आयात शर्तों का

अनुपालन किया जा सके तथा बीई के प्रणाली से गुजरने पर लागू शुल्क स्वत: ही प्रभारित हो।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है तथा प्रतिवेदन के अध्याय IV में भी उन पर चर्चा की गई है।

(i) 'रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव एवं रोलिंग स्टॉक के लिए पुर्ज़े' के आयात पर आईजीएसटी का कम उदग्रहण (पैराग्राफ 4.5.4)।

(ii) अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण ऑटोमोटिव उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स के आयात पर बीसीडी का कम उदग्रहण (पैराग्राफ 4.5.8)।

(ख) निरंतर अनियमितताएं

आयातों के गलत वर्गीकरण तथा 'आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क का गैर उदग्रहण' के ऐसे ही मामले पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को चिन्हित किए गए थे, लेकिन सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों में इनको इंगित किया जाना जारी है, जबकि सीबीआईसी ने आश्वासन दिया है कि उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए जागरूक किया गया है। कुछ मामले नीचे उल्लिखित हैं:

(i) 'विटामिन/प्रो-विटामिन' आयात का 'पशु आहार सामग्री' के रूप में गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 4.4.2)।

(ii) आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क का गैर उदग्रहण (पैराग्राफ 4.7.2)।

2.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वि.व. 20 से वि.व. 24 से संबंधित पांच प्रतिवेदनों में, लेखापरीक्षा ने 517 लेखापरीक्षा पैराग्राफों (**तालिका 2.2**) को शामिल किया है, जिसमें ₹2,474 करोड़ का राजस्व निहितार्थ सम्मिलित है। सरकार ने 494 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹350 करोड़ की राशि से संबंधित अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है और मई 2026 तक 341 पैराग्राफों में ₹213 करोड़ की राशि वसूल कर ली है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वर्ष	सम्मिलित पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावी वसूलियां	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वि.व. 20	137	143	130	127	93	40
वि.व. 21	105	86	93	71	59	65
वि.व. 22	119	831	118	76	90	72
वि.व. 23	50	747	49	21	43	15
वि.व. 24	106	667	104	55	56	21
कुल	**517**	**2,474**	**494**	**350**	**341**	**213**

स्रोतः पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं एटीएन

2.8 आभार

हम सीमा शुल्क विभाग, डीसी-एसईज़ेड एवं डीजीएफटी का नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा और एसएससीए के संचालन से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं सूचना प्रदान करके लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में किए सहयोग के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

अध्याय III

'राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

'राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट' (आरओएससीटीएल) योजना, भारत सरकार द्वारा वस्त्र निर्यात सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए शुरू की गई एक निर्यात प्रोत्साहन पहल है। इस योजना का मकसद भारतीय टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इसके लिए कुछ ऐसे राज्य और केंद्रीय करों की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो माल एवं सेवा कर(जीएसटी) फ्रेमवर्क के अंतर्गत वापस नहीं किए जाते हैं।

आरओएससीटीएल योजना को दिनांक 07 मार्च 2019 को पुरानी 'राज्य शुल्कों की छूट' (आरओएसएल) योजना की जगह पर शुरू किया गया था। इसे भारत की निर्यात इंसेंटिव पॉलिसीज़ को विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) नियमों के अनुरूप बनाने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें लाभों को सिर्फ़ उत्पादन और वितरण प्रक्रिया के दौरान लगने वाले वास्तविक कर और शुल्कों की प्रतिपूर्ति तक ही सीमित रखा गया था। शुरू में, इस योजना को महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) ने दिनांक 07 मार्च 2019 से दिनांक 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए कार्यान्वित किया था। इसके बाद, दिनांक 01 जनवरी 2021 से दिनांक 31 मार्च 2024[3] तक राजस्व विभाग (डीओआर) ने इसे प्रशासित किया और बाद में इसे दिनांक 31 मार्च 2026[4] तक बढ़ा दिया गया।

यह योजना परिधान और बने बनाए वस्त्रों-तैयार कपड़ों सहित तथा घरेलू वस्त्र उत्पादों जैसे कि बिछावन, तौलिए और पर्दों के निर्यात पर लागू होती है, जैसा कि विशिष्ट सामंजस्यीकृत प्रणाली कोडों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। छूट अन्तर्निहित करों जैसे ईंधन पर वैट, बिजली शुल्क, मंडी कर, स्टाम्प शुल्क, परिवहन

---

[3] *वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना एफ सं.. 12015/11/2020-टीटीपी. दिनांक 13.08.2021*

[4] *वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना एफ सं 12015/11/2020-टीटीपी, दिनांक 08.02.2024*

पर राज्य शुल्क, और ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को शामिल करती हैं, जो अन्यथा मौजूदा कर वापसी तंत्र के माध्यम से वसूली योग्य नहीं हैं।

आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत लाभ क्रेडिट शुल्क स्क्रिप्स के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं और विभिन्न सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। निर्यातकों को शिपिंग बिल के माध्यम से निर्यात के समय लाभ का दावा करने के अपने मांग पत्रकी घोषणा करने की आवश्यकता होती है और आईसगेट पोर्टल के माध्यम से दावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जाता है।

कुल मिलाकर, आरओएससीटीएल योजना निर्यात लागत को कम करने, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और श्रम-गहन वस्त्र क्षेत्र में रोजगार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे भारत के वस्त्र निर्यात के विकास और स्थिरता में योगदान मिलता है।

इस योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (कपड़े/गार्मेंट्स और मेकअप) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, वे कपड़ा उत्पाद जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं, अन्य उत्पादों के साथ आरओडीटीईपी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जैसा कि वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

3.2. आरओएससीटीएल योजना का सांख्यिकीय अवलोकन

डीजीएफटी से प्राप्त आरओएससीटीएल योजना पर अखिल भारतीय डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25[5] की अवधि के दौरान ₹10,201 करोड़ के क्रेडिट शुल्क से जुड़े कुल 80,701 स्क्रिप्स जारी किए गए थे। वर्ष-वार विवरण आगे दर्शाया गया हैः

[5] *वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान दिखाए गए मामले उन विषयों से संबंधित थे जो मुकदमेबाजी और विभाग (डीजी मुख्यालय) द्वारा समीक्षा के कारण लंबित थे।*

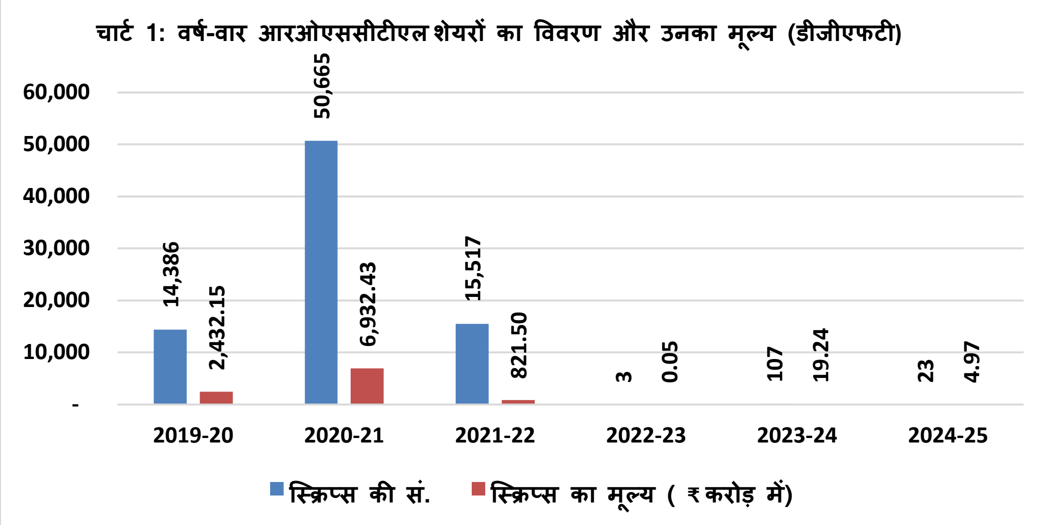

डीजी सिस्टम्स (सीमा शुल्क) नई दिल्ली, डीओआर द्वारा उपलब्ध कराए गए आरओएससीटीएल आंकड़ों की जांच से पता चला है कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान ₹12,633 करोड़ के क्रेडिट शुल्क से जुड़े 95,652 स्क्रिप्स जारी किए गए थे। जारी किए गए स्किप्स का वर्ष-वार विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

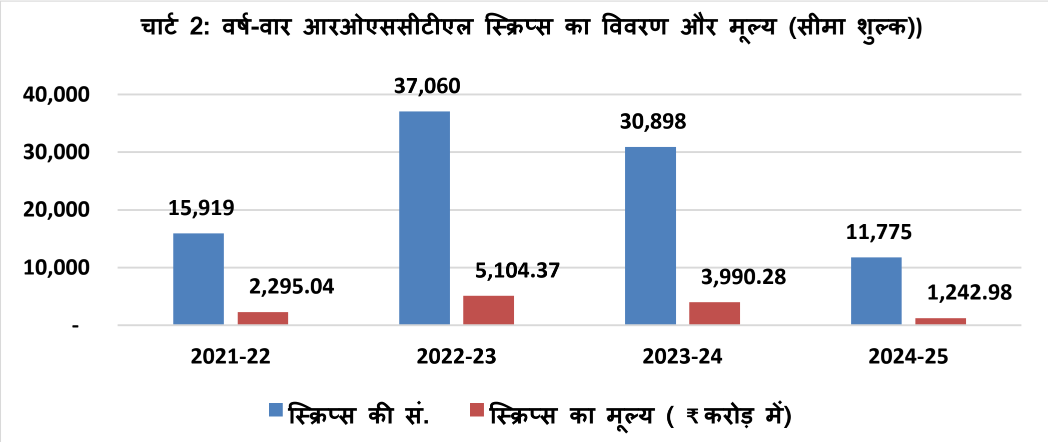

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह एसएससीए निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया गया था:

I. **आरम्भ से अंत तक डिजिटलीकरण**

क्या स्क्रिप्स के प्रसंस्करण, जारी करने, पात्रता निर्धारण, उपयोग और हस्तांतरण को शामिल कर आरम्भ से अंत तक डिजिटलीकरण के संबंध में आरओएससीटीएल योजना के निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था।

II. निर्यात आय की निगरानी

क्या निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्यात आय की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी निगरानीतंत्र मौजूद है और क्या ऐसा तंत्र निर्यात आय की प्राप्ति नहीं होने या देरी से प्राप्ति के मामलों में वसूली कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त है।

III आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन तथा प्रभाव विश्लेषण

(क) क्या आन्तरिक नियंत्रण उपाय योजना के कार्यान्वयन में राजस्व हानि, दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं?

(ख) क्या विभिन्न सरकारी हितधारकों-यानी वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सीमा शुल्क, डीजीएफटी और आरबीआई के बीच एक प्रभावी समन्वय तंत्र मौजूद है तथा क्या ऐसा समन्वय प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है?

(ग) क्या योजना वैश्विक स्तर पर वस्त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लाभकारी है (प्रभाव विश्लेषण)?

3.4 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र, लेखापरीक्षा सीमा और नमूना

3.4.1 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र

इस लेखापरीक्षा में एसएससीए के उद्देश्य से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई), डीजीएफटी सहित इसके क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) और संबंधित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचना शामिल थे। लेखापरीक्षा में दो अलग-अलग अवधियों के दौरान किए गए निर्यात के संबंध में जारी किए गए आरओएससीटीएल स्क्रिप्स/लाभों की जांच की गई:

- दिनांक 07 मार्च 2019 से दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक (डीजीएफटी द्वारा जारी), और
- दिनांक 01 जनवरी 2021 से दिनांक 31 मार्च 2024 तक (सीमा शुल्क द्वारा जारी)

3.4.2 लेखापरीक्षा सीमा और नमूना

लेखापरीक्षा में परीक्षण जांच और डेटा विश्लेषण का एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया गया। डीजीएफटी के 18 आरए का एक नमूना विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। इन चयनित आरए के अंतर्गत ₹1,304 करोड़ की राशि के 2,251 स्क्रिप्स की

लेखापरीक्षा जांच की गई। इसके अलावा, 22 सीमा शुल्क आयुक्तालयों का एक नमूना भी चुना गया था। इन आयुक्तालयों से कुल ₹1,663.37 करोड़ के 2,236 स्क्रिप्स की जांच की गई।

हालांकि, चूंकि आरओएससीटीएल योजना पूरी तरह से डेटा संचालित है, इसलिए जहां भी संभव हुआ, उपलब्ध डेटासेट पर लेखापरीक्षा जांच की गई। तदनुसार, अखिल भारतीय डेटा विश्लेषण के परिणामों के साथ-साथ चयनित इकाईयों में की गई लेखापरीक्षा जांच से उत्पन्न लेखापरीक्षा परिणामों को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है। आरए-वार और आयुक्तालय-वार चयनित स्क्रिप्स का नमुना विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: डीजीएफटी और सीमा शुल्क के लिए चयनित नमूना

क्र. सं.	आरए नाम	स्क्रिप्स की संख्या
1	अहमदाबाद	100
2	सूरत	100
3	जयपुर	200
4	बेंगलुरु	204
5	लुधियाना	100
6	पानीपत	100
7	चेन्नई	100
8	कोयंबटूर	100
9	कोच्चि	200
10	दिल्ली	200
11	इंदौर	185
12	भोपाल	15
13	हैदराबाद	47
14	कोलकाता	200
15	कानपुर	100
16	वाराणसी	100
17	मुंबई	190
18	पुणे	10
	कुल	**2,251**

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप्स की संख्या
1	अहमदाबाद	100
2	मुंद्रा	100
3	जोधपुर	200
4	एसीसी बेंगलुरु	152
5	बेंगलुरु शहर	44
6	मंगलोर	4*
7	अमृतसर	37
8	लुधियाना	163
9	निर्यात-IV, चेन्नई	100
10	तूतीकोरिन	100
11	कोच्चि	200
12	दिल्ली	100
13	तुगलकबाद	100
14	इंदौर	200
15	हैदराबाद	9*
16	विशाखापत्तनम	27*
17	एयर कार्गो कोलकाता	100
18	कोलकाता पत्तन	100
19	लखनऊ	100
20	नोएडा	100
21	एसीसी मुंबई	50
22	एनएस-II मुंबई	150
	कुल	**2,236**
	* डीजी-सिस्टम्स, सीबीआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में उपलब्ध स्क्रिप्स जो हमारे नमूने के मानदंडों को पूरा करते हैं।	

3.5 लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा पद्धति

3.5.1 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड मुख्य रूप से मौजूदा कानून, निर्धारित मैनुअलों एवं नियमों, सरकारी अधिसूचनाओं, सार्वजनिक सूचनाओं और योजना के कार्यान्वयन से संबंधित परिपत्रों से प्राप्त किए गए थे। मानदंडों को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोतों की एक उदाहरण सूची निम्नानुसार हैः

(i) विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

(ii) प्रक्रियाओं की पुस्तिका (एचबीपी) 2015-20 समय-समय पर अद्यतन के रूप में।

(iii) डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक अधिसूचना/परिपत्र आदि।

(iv) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992।

(v) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975।

(vi) सीबीआईसी की आरओएससीटीएल पर अधिसूचनाएं, परामर्शरी और परिपत्र।

(vii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999।

(viii) वस्त्र मंत्रालय ने आरओएससीटीएल पर अधिसूचनाएं और परिपत्र जारी किए।

(ix) आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अधिनियम और नियम, 2017 (समय-समय पर संशोधित)।

3.5.2 लेखापरीक्षा पद्धति

सीएजी के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश (2016) और सीएजी के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (2020) के अनुसार लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में डीजीएफटी और आरओएससीटीएल योजना से संबंधित सीमा शुल्क डेटा का विश्लेषण शामिल था, तथा शिपिंग बिलों एवं संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल थी, ताकि योजना के अंतर्गत दावा किए गए लाभों की शुद्धता की पुष्टि की जा सके।

दिनांक 05 मई, 2026 को राजस्व विभाग और डीजीएफटी के साथ एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया है और उन्हें इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

3.6 डीजीएफटी और सीमा शुल्क के लेखापरीक्षा परिणाम

यह देखते हुए कि इस योजना को शुरू में डीजीएफटी द्वारा दिसंबर 2020 तक प्रशासित किया गया था और बाद में राजस्व विभाग द्वारा किया गया था, लेखापरीक्षा के परिणामों को अलग-अलग किया गया है और इस प्रतिवेदन में तदनुसार प्रस्तुत किया गया है। डीजीएफटी के अंतर्गत लेखापरीक्षा परिणामों में 12 अभ्युक्तियां शामिल हैं, जो पैराग्राफ 3.7.1 से 3.9.2 में उल्लेखित हैं, जिनका राजस्व प्रभाव **₹256.25 करोड़** है। सीमा शुल्क के अंतर्गत लेखापरीक्षा परिणामों में 13 अभ्युक्तियां शामिल हैं, जो पैराग्राफ 3.12.1 से 3.14.1 में उल्लेखित हैं, जिसका राजस्व प्रभाव **₹346.83 करोड़** है।

3.6.1 बजट प्रबंधन और नियंत्रण

वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के दौरान आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत छूट के लिए निधि का वार्षिक आवंटन नीचे **तालिका 3.2** में दिखाया गया हैः

तालिका 3.2: 2019 से 2024 के दौरान आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आवंटन (₹ करोड़ में) स्रोतः वस्त्र मंत्रालय	6,615	4,829	6,946	7,641	8,405
वास्तविक व्यय	इस सूचना के लिए वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली से सूचना मांगी गई थी। हालांकि, मई 2026 तक मंत्रालय ने कहा कि व्यय विवरण डीजीएफटी और राजस्व विभाग से प्राप्त किया जाएं। राजस्व विभाग ने (मई 2026) कहा कि बजट प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत देयताओं की तिमाही निगरानी की जाती है। इसलिए, यह मामला डीओआर/सीबीआईसी से संबंधित नहीं है और आवश्यक इनपुट, व्यय विभाग से मांगा जा सकता है। डीजीएफटी से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026) ।				

अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (खंड. ii) दिनांक 07 मार्च, 2019 के अनुसार, वस्त्र मंत्रालय और वाणिज्य विभाग को डीओआर के परामर्श से आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व के वित्तीय प्रभावों का आकलन करने की

आवश्यकता है, जो अनुमानित निर्यात और ड्रॉबैक समिति/नॉर्म्स समिति द्वारा अनुशंसित दरों के आधार पर है।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12015/11/2020-टीटीपी दिनांक 13 अगस्त 2021 के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण में उपयुक्त प्रविष्टियों के माध्यम से बजट नियंत्रण किया जाना है।

योजना के अंतर्गत व्यय और देनदारियों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जानी आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित आवंटन से अधिक न हो और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए ताकि व्यय को स्वीकृत बजट के दायरे में बनाए रखा जा सके।

सभी चयनित 18 आरए और 22 सीमा शुल्क आयुक्तों से बजट आवंटन एवं उसके सापेक्ष वास्तविक व्यय से संबंधित जानकारी/अभिलेख (नवंबर 2024-जुलाई 2025) की मांग की गई थी। हालांकि, किसी भी आरए या सीमा शुल्क आयुक्तालयों द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा योजना के अंतर्गत राजस्व के वित्तीय प्रभावों के आकलन पर बजट नियंत्रण के अभ्यास पर टिप्पणी करने में असमर्थ था।

3.6.2 डीजीएफटी के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने अखिल भारतीय विश्लेषण के माध्यम से आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरू किए गए सुविधा उपायों के कार्यान्वयन की जांच की और मुद्दों की निम्नलिखित श्रेणियों में पहचान की:

i. प्रणालीगत मुद्दे **(पैरा 3.7.1 से 3.7.5)**
ii. अनुपालन के मुद्दे **(पैरा 3.8.1 से 3.8.5)**
iii. आंतरिक नियंत्रण **(पैरा 3.9.1 से 3.9.2)**

तालिका 3.3 में लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.3: अभ्युक्तियों का सारांश

क्र. सं.	विषय	अभ्यकितयों की संख्या	राशि (₹लाख में)
1	प्रणालीगत मुद्दे	5	9,762
2	अनुपालन के मुद्दे	5	15,863
3	आंतरिक नियंत्रण	2	कोई धन मूल्य नहीं
	कुल	**12**	**25,625**

3.7 प्रणालीगत मुद्दे

सरलीकृत प्रक्रियाओं, कागज रहित प्रसंस्करण और व्यापार सुविधा में सुधार के माध्यम से व्यापार सुगमता में सुधार के लिए पूरी तरह से डेटा संचालित पहल आरओएससीटी योजना शुरू की गई थी। इस योजना को आवेदनों की प्राप्ति और स्क्रिप्स जारी करने के लिए एक प्रणाली संचालित तंत्र के माध्यम से लागू किया गया था, जिसमें आरए और निर्यातकों के बीच कोई भौतिक मिलन-बिन्दू नहीं था।

लेखापरीक्षा ने इन सुविधा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए दिनांक 07 मार्च 2019 से दिनांक 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए चयनित आरए के डेटा का विश्लेषण किया। विश्लेषण ने स्वचालित प्रक्रियाओं में कमियों और विसंगतियों का खुलासा किया जैसा कि अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.7.1 प्रतिबंधित इकाई सूची में सूचीबद्ध इकाईयों/आयातक-निर्यातक कोड धारकों को आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करना

प्रक्रियाओं की पुस्तिका (एचबीपी) 2015-20 (सार्वजनिक सूचना सं. 83 दिनांक 29 मार्च 2019) के पैरा 4.95 (एम) के अनुसार, डीजीएफटी की प्रतिबंधित इकाई सूची (डीईएल) में सूचीबद्ध इकाईयों/ आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) धारक, आरओएससीटीएल लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।.

214 आईईसी की जांच से पता चला कि तीन आरए[6] ने डीईएल में सूचीबद्ध पांच आईईसी धारकों को ₹4.84 करोड़ की राशि के 28 स्क्रिप्स जारी किए **(अनुलग्नक 3)**। ये सभी आईईसी धारक डीईएल सूची में बने हुए हैं, जैसा कि डीजीएफटी की वेबसाइट से सत्यापित किया गया है।

आरए लुधियाना में, मेसर्स. 'ए' एक्सपोर्ट्स को दिनांक 12 सितंबर 2019 को डीईएल आदेश नं. 9/174/एएम19/ईसीए/एलडीएच जारी करने के बावजूद, अक्टूबर-दिसंबर 2020 के दौरान इस आईईसी धारक को ₹1.72 करोड़ की राशि के सात आरओएससीटीएल स्क्रिप्स, बिना किसी स्थगन या डीईएल आदेश को वापस लेने के अभिलेख के, जारी किए गए ।

---

[6] *बेंगलुरु, लुधियाना, पानीपत*

विभाग ने डीईएल में सूचीबद्ध आईईसी धारकों को आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रणाली नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया और न ही ऐसी कार्रवाइयों के लिए कोई उचित कारण दर्ज किया गया, जोकि निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन है। यह डीजीएफटी ढांचे में प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करता है और इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र की कमी का संकेत देता है।

आरए लुधियाना ने (मई 2026) कहा कि मेसर्स. 'ए' एक्सपोर्ट्स और दो अन्य को डीईएल के आदेशों का स्थगन दिया गया था, जिसके दौरान डीईएल प्रतिबंध लागू नहीं थे। तदनुसार, आरओएससीटीएल स्क्रिप्स स्थगन अवधि के दौरान जारी किए गए थे और तब नहीं, जब डीईएल आदेश लागू था।

हालांकि, स्थगन देने के, इसकी वैधता अवधि या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था। इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, इस अवधि के दौरान जारी किए गए आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की मान्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

आरए पानीपत ने उत्तर दिया (दिसंबर 2025) कि फर्म को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें उपयोग की गई राशि को वापस करने या आपत्ति के सापेक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था।

अनुशंसा संख्या 1

डीजीएफटी को प्रतिबधित इकाई सूची में शामिल इकाईयों को स्क्रिप्स जारी करने से रोकने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षी नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए और उचित आशय के बिना अनियमित स्क्रिप्स जारी करने के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/डीजीएफटी ने (अप्रैल 2026) में कहा कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में अधिसूचित आरओएससीटीएल योजना को डीजीएफटी द्वारा दिनांक 07 मार्च 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक निर्यात के लिए लागू किया गया था और वर्तमान में सीबीआईसी द्वारा प्रशासित किया गया था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ऑनलाइन मॉड्यूल को एनआईसी प्लेटफॉर्म से

टीसीएस आधारित प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त या गलत लाभों को रोकने के लिए बेहतर नियंत्रण है।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने उसके बाद की अवधि के दौरान भी अनियमित/अतिरिक्त स्क्रिप्स जारी करने के इसी तरह के उदाहरण देखे, जब योजना सीबीआईसी द्वारा प्रशासित की गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाबद्ध प्रणाली नियंत्रण पूरी तरह प्रभावी नहीं थे।

3.7.2 आरओएससीटीएल क्रेडिट शूल्क का अधिक अनुदान

वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 07 मार्च 2019 की अधिसूचना में कहा गया है कि आरओएससीटीएल लाभ का मूल्य शिपिंग बिल/वस्तुओं की संचयी आरओएससीटीएल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

17,981 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की जांच से पता चला कि तीन आरए (चेन्नई, कोयम्बटूर और कोलकाता) ने 46 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स में अनियमित रूप से ₹23.05 लाख का अतिरिक्त लाभ दिया है, जो शिपिंग बिलों / वस्तुओं के अनुसार स्वीकार्य कुल छूट से अधिक है **(अनुलग्नक 4)**।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, आरए कोयंबटूर (जून 2025) ने उत्तर दिया कि अतिरिक्त क्रेडिट शुल्क, मूल आवेदन अवधि के दौरान एमईआईएस लाभों का लाभ नहीं उठाने के कारण हो सकता है, और यह कि आरओएससीटीएल को पूर्ण मूल्य पर जारी किया जा सकता है क्योंकि यह पहले से ही एमईआईएस का लाभ उठाने के अलावा प्रदान किया गया था।

स्पष्टीकरण विशेष रूप से लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे को संबोधित नहीं करता है। स्क्रिप्स निर्यातकों के शिपिंग बिल से प्रणाली द्वारा सृजित किए जाते हैं और स्क्रिप्स का कुल मूल्य वस्तु-वार आरओएससीटीएल राशि से अधिक नहीं हो सकता है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने आरए-चेन्नई के संबंध में (मई 2026) कहा कि फर्म को मांग पत्र जारी किया गया है।

आरए कोयंबटूर ने (मई 2026) में कहा कि दिनांक 29 जनवरी, 2020 को जारी सार्वजनिक अधिसूचना सं. 58 के अनुसार, एमईआईएस लाभ अध्याय 61, 62 और 63 के अंतर्गत निर्यात के लिए मान्य नहीं थे, जो दिनांक 07 मार्च, 2019 को या

उसके बाद किए गए थे। दिनांक 07 दिनांक 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर 2019 के दौरान के निर्यातों के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता थी। प्रणाली, पहले से ही प्रदान किए गए किसी भी एमईआईएस को शिपिंग बिलों से समायोजित करने के बाद आरओएससीटीएल पात्रता की स्वचालित गणना करती है, और केवल शुद्ध पात्र आरओएससीटीएल राशि को मंजूरी दी जाती है, इस प्रकार किसी भी दोहरे लाभ से बचा जाता है।

आरए कोयंबटूर के उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में उठाए गए मुख्य मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है। चिंता यह नहीं है कि क्या सिस्टम ने आरओएससीटीएल पात्रता की गणना करते समय पहले की एमईआईएस राशि को समायोजित किया था, बल्कि क्या इस तरह के समायोजन के बाद जारी किए गए स्क्रिप का मूल्य शिपिंग बिलों /वस्तुओं के अनुसार आरओएससीटीएल पात्रता से अधिक हो गया था।

आरए कोलकाता से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

3.7.3 बिना आशय के आरओएससीटीएल लाभों का अनुचित अनुदान

एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.14 (ए) के अनुसार, अध्याय 4 की किसी भी योजना के अंतर्गत दायर किए गए निर्यात शिपमेंट के लिए आरओएससीटीएल पुरस्कारों का दावा करने के लिए आशय की घोषणा (एसबी के आशय के कॉलम में 'वाई') अंकित करने की आवश्यकता होती है।

42,356 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की जांच से पता चला कि लाभ तब भी प्रदान किए गए थे जब आशय के कॉलम में 'एन' अंकित था, जिसके परिणामस्वरूप 16 आरए द्वारा 1,255 स्क्रिप्स में ₹13.83 करोड़ रुप की राशि के आरओएससीटीएल लाभ का अनुचित अनुदान किया गया **(अनुलग्नक 5)**।

आरए पुणे में, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 की ₹53.40 लाख मूल्य का एक स्क्रिप गलत तरीके से एक आईईसी धारक को जारी किया गया था, जिसने संबंधित शिपिंग बिलों में लाभ का दावा नहीं किया था।

इसी प्रकार, आरए दिल्ली में, दिनांक 30 मार्च, 2021 को एक आईईसी धारक को गलत तरीके से ₹29.29 लाख की राशि की एक स्क्रिप जारी की गई थी, जिसने संबंधित शिपिंग बिलों में लाभ का दावा नहीं किया था।

इस पर ध्यान दिलाए जाने पर, आरचेन्नई, इंदौर, जयपुर, सूरत, बैंगलोर और कानपुर ने कहा (सितंबर 2025/जनवरी/मई 2026) कि ₹2.23 लाख[7] की राशि की वसूली की गई है और/या शेष मामलों में विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है।

आरए पानीपत ने (मार्च 2025) उत्तर दिया कि लाभ की गणना ऑनलाइन मोड प्रणाली में स्वचालित रूप से की गई थी। आरए पानीपत का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह दावे की पात्रता की जांच करे।

आरए अहमदाबाद ने उत्तर दिया (मई 2025) कि इस मामले को डीजीएफटी मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है (मई 2026)।

आरए कोयंबटूर, लुधियाना, मुंबई और हैदराबाद ने उत्तर दिया (जून-अक्टूबर 2025/फरवरी 2026) कि एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.14 में निर्धारित आशय की घोषणा केवल एमईआईएस योजना के लिए थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि पैरा 3.14 (ए), एफटीपी के अध्याय 4, 5 या 6 की किसी भी योजना के अंतर्गत किए गए निर्यात पर भी लागू होता है।

आरए कोच्चि ने उत्तर दिया (जून 2025) कि फाइलें न तो बैक ऑफिस पोर्टल पर उपलब्ध थीं और न ही ई-कॉम आरए सिस्टम के माध्यम से सुलभ थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यह इस मुद्दे को संबोधित नहीं करता है कि विभाग ने दावे की पात्रता की जांच करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे किया।

शेष आरए से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026) ।

3.7.4 एक ही शिपिंग बिल का उपयोग करके कई आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करना

वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2019 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिनांक 07 मार्च, 2019 से दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के दौरान किए गए निर्यात के लिए डीजीएफटी कार्यालयों द्वारा आरओएससीटीएल योजना लागू की जा रही थी।

---

[7] आरए चेन्नई, आरए इंदौर और आरए जयपुर

डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए 16,936 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की जांच से पता चला कि एक ही शिपिंग बिल के लिए कई स्क्रिप्स जारी किए गए थे, जिनमें से कुछ डुप्लिकेट बाद में रद्द कर दिए गए थे। निम्नलिखित विसंगतियों को पायी गई:

(क) दो या अधिक स्किप्स के लिए एकल शिपिंग बिल के उपयोग के कारण पांच आरए द्वारा 173 शिपिंग बिलों में ₹2.84 करोड़ का अतिरिक्त आरओएससीटीएल लाभ प्रदान किया गया था **(अनुलग्नक 6 ए)**।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, आरए -पानीपत, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और लुधियाना ने कहा कि निर्यातकों को वसूली नोटिस जारी किए गए हैं; अंतिम परिणाम प्रतिक्षित है। शेष आरए के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

(ख) लुधियाना राज्य में, उसी एसबी के प्रति पुराने स्क्रिप्स की वैधता अवधि के दौरान/बाद नए स्क्रिप्स जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप छः मामलों में ₹2.37 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हुआ। **(अनुलग्नक 6 बी)**

इस बात पर ध्यान दिलाने पर, डीजीएफटी ने (मई 2026) कहा कि कई आरओएससीटीएल स्क्रिप्स फर्म को जारी नहीं किए गए थे। आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत धोखाधड़ी के कारण पहले के स्क्रिप्स को रद्द करने के बाद डीजीएफटी मुख्यालय, नई दिल्ली से मंजूरी के बाद नए स्क्रिप्स जारी किए गए थे। डीजीएफटी प्रणाली के माध्यम से संशोधित स्क्रिप मूल्य और वैधता के साथ पुनः जारी करने की फाइलें बनाई गईं, तथा अनुमोदित फाइलों को सही रूप में जारी करने के लिए आरए प्रणाली में प्रेषित किया गया था।

हालांकि, सत्यापन के लिए डीजीएफटी मुख्यालय के अनुमोदन, पहले के स्क्रिप्स के रद्द करने के आदेश या सिस्टम-जनरेट किए गए पुनः जारी करने के अभिलेख जैसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। सहायक दस्तावेजों के अभाव में, पुनः जारी किए गए आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की यथार्थता और नियमितता की जांच नहीं की जा सकी।

यदि शिपिंग बिल के पुनः उपयोग के बारे में उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली होती तो अनियमितता से बचा जा सकता था। यह

प्रणाली में कमियों को उजागर करता है, जिससे इसके दुरुपयोग और संभावित धोखाधड़ी के जोखिम बढ़ जाता है।

3.7.5 भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) के अनियमित लाभ की वसूली न करना

दिनांक 07 मार्च 2019 (अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2019) से किए गए निर्यात के लिए आरओएससीटीएल योजना की शुरूआत के बाद, ऐसे निर्यात के लिए एमईआईएस लाभ वापस ले लिया गया (सार्वजनिक सूचना 58/2015-20 दिनांक 29 जनवरी 2020)। इसलिए, दिनांक 07 मार्च 2019 के बाद निर्यात के लिए भुगतान किए गए किसी भी एमईआईएस लाभ को आरओएससीटीएल लाभों से वसूला जाना चाहिए।

डीजीएफटी से प्राप्त आरओएससीटीएल के आंकड़ों के अनुसार, 6,060 आईईसी धारकों से दिनांक 07 मार्च 2019 से दिनांक 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान भुगतान किए गए एमईआईएस लाभों की वसूली लंबित थी। 248 आईईसी धारकों के विश्लेषण से पता चला कि 18 आरए[8] में ₹73.51 करोड़ की वसूली लंबित है **(अनुलग्नक 7)**।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने (मई 2026) कहा कि आरए बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, कानपुर, लुधियाना, पानीपत, सूरत, वडोदरा, वाराणसी और विशाखापत्तनम ने मांग नोटिस और एससीएन जारी किए हैं। विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

आरए, जयपुर ने ₹3.77 लाख की वसूली की सूचना दी।

आरए कोयंबटूर (जुलाई 2025) ने उत्तर दिया कि उसी शिपिंग बिल/वस्तु हेतु आरओएससीटीएल स्क्रिप्स के सापेक्ष एमईआईएस लाभों के समायोजन के प्रमाण की मांग करते हुए पत्र जारी किए गए हैं।

आरए मुंबई ने (दिसंबर 2025) कहा कि शिपिंग बिल नंबर, फाइल संख्या जैसे विवरण जिनके संबंध में एमईआईएस लाभों की वसूली लंबित है, अनुपलब्ध थे।

---

[8] *अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, कानपुर, लुधियाना मुंबई, पानीपत, राजकोट, श्रीनगर, सूरत, वडोदरा, वाराणसी और विशाखापत्तनम*

फाइल संख्या और शिपिंग बिल नंबरों के अभाव में वसूली प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं था।

कोयंबटूर के संबंध में डीजीएफटी, नई दिल्ली ने (मई 2026) में कहा कि दिनांक 29 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 58 के अनुसार, अध्याय 61, 62 और 63 के अंतर्गत निर्यात के लिए एमईआईएस लाभ प्रभावी दिनांक 07 मार्च 2019 को आरओएससीटीएल योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चूंकि आरओएससीटीएल पोर्टल शुरू में संचालित नहीं हो पा रहा था, इसलिए दिनांक 07 मार्च 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर 2019 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में एमईआईएस स्क्रिप्स अस्थायी रूप से जारी किए गए थे। आरओएससीटीएल मॉड्यूल के परिचालन के बाद, डीजीएफटी प्रणाली ने आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करते समय पहले की एमईआईएस राशि को समायोजित किया, जिससे एक ही शिपिंग बिल के लिए किसी भी दोहरे लाभ को रोका जा सके।

चूंकि डीएफजीटी ने दस्तावेजी साक्ष्य या प्रणाली-जनित अभिलेख प्रदान नहीं किए थे, जो आरओएससीटीएल पात्रता के प्रति एमईआईएस लाभों के समायोजन को दिखाते हैं, इसलिए दोहरे लाभों की रोकथाम को सत्यापित नहीं किया जा सका।

संबंधित आरए से अंतिम प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

3.8 अनुपालन के मुद्दे

डीजीएफटी द्वारा योजना के प्रशासन के दौरान अनुपालन के मुद्दों को आगे प्रस्तुत किया गया हैः

3.8.1 बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (बीआरसी) प्राप्त नहीं करना

एचबीपी 2015-20 (सार्वजनिक सूचना संख्या 83/2015-16 दिनांक 29 मार्च 2019) के पैरा 4.96 (डी) के अनुसार, आरओएससीटीएल रियायतें, इस शर्त पर है कि बीआरसी द्वारा समर्थित बिक्री आय की प्राप्ति फेमा, 1999 के अंतर्गत अनुमत समय निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर मिल जाए हैं। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आय प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह माना जाता है कि छूट कभी भी मान्य नहीं थी। आरए, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत वसूली कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

(क) 60,600 शिपिंग बिलों की जांच से पता चला कि 15 आरए[9] से संबंधित ₹153.38 करोड़ की आरओएससीटीएल छूट वाले 7,153 शिपिंग बिलों के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक किए गए निर्यात के लिए बीआरसी दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लंबित थे (**अनुलग्नक 8 ए**), यह सुझाव देते हुए कि विदेशी मुद्रा में बिक्री की आय की प्राप्ति नहीं हुई थी, जैसा कि **तालिका 3.4** में विस्तृत किया हैः

तालिका 3.4: दिनांक 31 मार्च 2025 तक आरओएससीटीएल स्क्रिप्स के लिए लंबित बीआरसी

देरी की अवधि	मामलों की संख्या	प्रतिशतता
3 से 4 वर्ष	2,121	30
4 से 5 वर्ष	4,135	58
5 वर्ष से अधिक	897	12
कुल	**7,153**	

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने (मई 2026) कहा कि आरए-बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, जयपुर, कानपुर, वाराणसी, पानीपत, लुधियाना और सूरत द्वारा निर्यातकों को मांग नोटिस एवं एससीएन जारी किए गए हैं तथा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

आरए, सूरत और मुंबई ने अतिरिक्त रूप से उल्लेख किया कि 29 मामलों में लंबित बीआरसी की प्रतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

आरए कोच्चि ने (जून 2025) उत्तर दिया कि उनको संबंधित फाइलें सुलभ नहीं है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित आईईसी धारकों से बीआरसी प्राप्त करना विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और अभिलेखों/फाइलों की सुलभता के मुद्दों को आंतरिक रूप से हल करने की आवश्यकता है।

अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

[9] *अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, बेंगलुरु, लुधियाना, पानीपत, कोच्चि, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, कानपुर, वाराणसी, मुंबई और पुणे*

(ख) इसी तरह, 46 शिपिंग बिलों से संबंधित ₹28.34 लाख की राशि की आरओएससीटीएल छूट जो तीन[10] आरए से संबंधित है, निर्यात आय की आंशिक प्राप्ति के कारण निर्यातक से वसूली की जानी थी (**अनुलग्नक 8 बी**)।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी-जुलाई 2025), आरए अहमदाबाद ने उत्तर दिया (मई 2025) कि इस मामले की सूचना डीजीएफटी मुख्यालय को दी गई है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि निर्यात आय की प्राप्ति नहीं करने के मुद्दे को संबंधित आरए द्वारा निर्यातकों के साथ उठाया जाना आवश्यक है।

आरए बेंगलुरु और हैदराबाद से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

3.8.2 न्यायिक अधिकार क्षेत्र के आरए के प्रावधानों के विरुद्ध आरओएससीटीएल स्क्रिप्स का जारी करना

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2019 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या 83/2015-20 में कहा गया है कि आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे स्किप्स के जारी करवाने के लिए एचबीपी के पैराग्राफ 3.06 (बी) के अनुसार केवल संबंधित क्षेत्राधिकारी आरए के पास आवेदन करें। आवेदकों को इस शर्त के अनुपालन की पुष्टि करने वाली एक घोषणा प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है।

200 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की जांच से पता चला है कि आरए दिल्ली ने एक स्क्रिप दिनांक 12 मई 2020 को ₹65.64 लाख (फाइल दिनांक 08 मई 2020) को एक आईईसी धारक को जारी किया गया था, जो आरए-चेन्नई में 'मेसर्स. 'बी' एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट' के नाम से पंजीकृत है। तदनुसार, फर्म आरए दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी। हालांकि, ऑनलाइन प्रणाली ने आवेदन को संसाधित किया और आरए दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से स्क्रिप जारी किया जो क्षेत्राधिकारी आरए से संबंधित प्रावधानों के विपरीत है (**अनुलग्नक 9**) ।

इस ओर ध्यान दिलाया गया (फरवरी 2026), और उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026).

---

[10] *अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद*

3.8.3 गलत वर्गीकरण के कारण आरओएससीटीएल प्रोत्साहनों का अधिक अनुदान

वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं.14/26/2016-आईटी दिनांकित 08 मार्च 2019 ने सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 61, 62 और 63 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए आरओएससीटीएल प्रोत्साहनों की अलग-अलग दरें निर्धारित कीं। विभिन्न निर्यात वस्तुओं के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन दरें निर्दिष्ट की गईं, और प्रत्येक ऐसी वस्तु को एक अद्वितीय क्रमांक संख्या किया गया।

24,197 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स अभिलेखों की जांच से प्रोत्साहन के गलत अनुदान के मामले सामने आए, जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया हैः

(क) अनुसूची 1 और 2 की गलत क्रम संख्याओं का चयन करने के कारण वस्तु विवरण की तुलना में 3,489 शिपिंग बिलों वाले 972 स्क्रिप्स में 15 आरए[11] द्वारा ₹2.97 करोड़ की अतिरिक्त आरओएससीटीएल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया (**अनुलग्नक 10 ए**) ।

आरए-लुधियाना में, मेसर्स. 'सी' लि. द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं (बेड लिनन, टेबल-लिनन, टॉयलेट-लिनन और किचन-लिनन जो कपास एवं सिंथेटिक फाइबर वाले मिश्रण से बने होते हैं) जो आरओएससीटीएल क्रम सं.630202बी के अंतर्गत वर्गीकरणीय है, को क्रम सं.630201बी (कपास से बनी वस्तुएं) के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप 63 स्किप्स में ₹75.13 लाख की राशि के आरओएससीटीएल लाभों का अधिक अनुदान दिया गया।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, डीजीएफटी-नई दिल्ली ने (मई 2026) कहा कि ₹14.69 लाख[12] की राशि वसूल कर ली गई है। यह भी कहा गया कि शेष निर्यातकों से अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, आरए-बेंगलुरु, चेन्नई, लुधियाना और सूरत ने फर्मों को डिमांड नोटिस/एससीएन जारी कर उन्हें अतिरिक्त लाभ जमा करने का निर्देश दिया था, अन्यथा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

---

[11] *अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, बेंगलुरु, लुधियाना, पानीपत, चेन्नई, कोयंबटूर, कोच्चि, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे*

[12] *आरए कोयंबटूर (₹1.57 लाख), इंदौर (₹2.46 लाख), जयपुर (₹0.97 लाख), और मुंबई (₹9.69 लाख)*

आरए अहमदाबाद (मई 2025) ने कहा कि इस मामले के संबंध में डीजीएफटी (मुख्यालय) को सूचित कर दिया गया है।

आरए पानीपत और कोच्चि ने (अप्रैल 2025) उत्तर दिया कि पोर्टल पर अतिरिक्त अनुदान की जांच हेतु आरओएससीटीएल का कोई डेटा/अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

आरए पानीपत और कोच्चि के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे, क्योंकि दावों को मंजूरी देने के समय विभाग के पास आरओएससीटीएल लाभ संबंधी प्रासंगिक डेटा उपलब्ध थे।

शेष आरए से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

(ख) आरए दिल्ली और कोलकाता द्वारा जारी 34 शिपिंग बिलों से संबंधित 19 स्क्रिप्स में, अध्याय 42 और 56 के अंतर्गत आने वाले चमड़े और जूट से बने सामानों को गलत तरीके से अध्याय 62 और 63 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.27 लाख की राशि के आरओएससीटीएल लाभों का अनियमित अनुदान दिया गया (**अनुलग्नक 10 बी**)।

दोनों आरए से कोई उत्तर नहीं मिला (मई 2026)।

3.8.4 अनुसूचियों के गलत अनुप्रयोग के कारण आरओएससीटीएल का अधिक अनुदान

वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी दिनांक 08 मार्च 2019 के अंतर्गत निर्धारित आरओएससीटीएल दर निर्देशिका में, चार (04) अनुसूचियां शामिल हैं। वस्तु-स्तर की घोषणा हेतु, अनुसूची 1 और 2 के अनुसार के क्रम संख्या के बाद जुडा 'बी' आरओएससीटीएल की सामान्य दरों को दर्शाता है, जबकि अनुसूची 3 और 4 के अनुसार क्रम संख्या के साथ जुडा 'डी' विशेष प्राधिकार के अंतर्गत लागू आरओएससीटीएल कम दरों को दर्शाता है।

(क) 23,443 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की जांच से पता चला कि हालांकि निर्यातकों ने अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत क्रम संख्या के साथ 'डी' को जोड़कर आरओएससीटीएल प्रोत्साहन के लिए चुना था, लेकिन प्रोत्साहन की गणना डीजीएफटी ऑनलाइन प्रणाली द्वारा अनुसूची 1 और 2 में निर्धारित सामान्य दरों के अनुसार की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप 293 शिपिंग बिलों वाले

117 स्क्रिप्स में चार[13] आरए द्वारा ₹79.18 लाख की राशि के आरओएससीटीएल प्रोत्साहन का अधिक अनुदान प्रदान किया गया **(अनुलग्नक 11 ए)**।

उदाहरण के लिए, आरए कोलकाता में, एक निर्यातक को ₹16.98 लाख के लिए दिनांक 13 मार्च, 2020 को एक स्क्रिप जारी किया गया था। निर्यातक ने अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत आरओएससीटीएल लाभ का दावा किया, जिसकी गणना ₹13.18 लाख तक की गई। हालांकि, ऑनलाइन प्रणाली ने अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत लाभों की गणना ₹25.15 लाख के रूप में की, जिसके परिणामस्वरूप ₹11.97 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी-अप्रैल 2025), आरए कोच्चि ने (जून 2025) उत्तर दिया कि उसके पास उक्त आरओएससीटीएल स्क्रिप्स को जारी करने वाली फाइलें सुलभ नहीं है, क्योंकि फाइलें न तो बीओ पोर्टल पर उपलब्ध हैं और न ही ई-कॉम आरए प्रणाली के माध्यम से सुलभ हैं।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आरए के पास आरओएससीटीएल लाभ प्रदान करते समय संबंधित डेटा उपलब्ध होना चाहिए था। आरए ने अतिरिक्त आरओएससीटीएल लाभों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

डीजीएफटी नई दिल्ली ने बताया कि (मई 2026) कि आरए लुधियाना ने वसूली के लिए फर्म को पत्र जारी किए थे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी। जबकि शेष आरए के लिए मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

(ख) इसके अलावा, आरए लुधियाना में, उपर्युक्त तर्कों के कारण प्रोत्साहन की अतिरिक्त राशि की गणना करते समय, यह देखा गया कि दो मामलों में, अनुसूची 1 और 2 की दरों के अनुसार प्रदान किया गया प्रोत्साहन, अनुसूची 3 और 4 की दरों की तुलना में कम था। यह अनुसूची 3 और 4 में मूल्य प्रतिबंधों को शामिल नहीं करने के कारण था (**अनुलग्नक 11 बी**)।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने (मई 2026) उत्तर दिया कि आरए लुधियाना ने वसूली के लिए फर्मों को पत्र जारी किए हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

---

[13] *लुधियाना, कोच्चि, दिल्ली और कोलकाता*

अनुशंसा संख्या 2

डीजीएफटी प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदनों का प्रसंस्करण केवल क्षेत्राधिकारी आरए द्वारा ही किया जाए। आरओएससीटीएल लाभों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक संभव हो, स्वचालित सत्यापन पर विचार किया जा सकता है जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल और अपवाद रिपोर्टिंग द्वारा का सहारा लिया जाए।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने (मई 2026) कहा कि इस योजना को वर्तमान में सीबीआईसी द्वारा लागू किया जा रहा है। आरओएससीटीएल ऑनलाइन मॉड्यूल को एनआईसी द्वारा विकसित पहले के प्लेटफॉर्म से अधिक मजबूत टीसीएस आधारित प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त या गलत लाभों को रोकने के लिए बेहतर नियंत्रण और सत्यापन शामिल हैं।

नियंत्रण और सत्यापन में वृद्धि वाले अधिक मजबूत टीसीएस आधारित प्रणाली में स्थानांतरण के बावजूद, अतिरिक्त लाभों से जुड़ी अनियमितताओं के मामले अभी भी देखे गए थे, जैसा कि "सीमा के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन" वाले भाग के अंतर्गत निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है, जो यह दर्शाता है कि प्रणाली-सुरक्षा-सावधानियां पूरी तरह से प्रभावी नहीं थी और उन्हें आगे समीक्षा की आवश्यकता है।

विदेशी मुद्रा की प्राप्ति न होने के मामलों के उत्तर में, डीजीएफटी ने कहा कि आरओएससीटीएल योजना, पश्च-आय-प्राप्ति के आधार पर संचालित होती है और निर्यात आय की समय पर प्राप्ति और ई-बीआरसी के अपलोड को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। यहां आगे कहा गया कि स्क्रिप उपयोग के अभिलेखों का सीबीआईसी द्वारा रख-रखाव किया जाता हैं, जो दिनांक 31 दिसम्बर 2020 के बाद किए गए निर्यात के लिए आरओएससीटीएल योजना को लागू कर रहा है। वसूली कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।

प्रत्युत्तर में विदेशी मुद्रा प्राप्ति के मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया, जो आवधिक निगरानी के बाद भी लंबित थे। बीआरसी प्राप्त होने को लागू करने या वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु अनुवर्ती तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3.8.5 आरओएससीटीएल लाभों की गणना हेतु विनिमय दर को गलत अपनाना

एचबीपी 2015-20 के पैरा 9.12 (डी) के अनुसार, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए, निर्यात आदेश (एलईओ) की तारीख, को ही निर्यात की गणना के लिए आधार माना जाएगा। तदनुसार, आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों की गणना के लिए, निर्यात मूल्य को उस महीने के लिए जिसमें एलईओ दिनांक आती है, लागू मासिक विनिमय दर को लागू करके भारतीय (आईएनआर) में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है ।

(क) 6,531 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की जांच से पता चला कि आरओएससीटीएल लाभों की गणना के लिए एलईओ दिनांक पर लागू विनिमय दर को सहसंबंधित करने के लिए सिस्टम में एक अंतर्निहित मापदंड नहीं थे। यह देखा गया कि आरओएससीटीएल लाभों की गणना शिपिंग बिलों में घोषित एफओबी मूल्य के आधार पर की गई थी, जिसमें विदेशी मुद्रा मूल्य को संबंधित एलईओ दिनांक पर प्रचलित विनिमय दरों के बजाय शिपिंग बिल तिथियों के अनुरूप विनिमय दरों को अपनाकर भारतीय रूपये में परिवर्तित किया गया था।

गलत विनिमय दरों को अपनाने के कारण, सात आरए (बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, पानीपत और पुणे) द्वारा 2,676 शिपिंग बिलों से संबंधित 1,057 स्क्रिप्स में लाभार्थियों को ₹47.56 लाख की अतिरिक्त आरओएससीटीएल छूट दी गई (**अनुलग्नक 12 ए**)।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा कि आरए मुंबई (₹4.81 लाख) और बेंगलुरु (₹1.79 लाख) द्वारा ब्याज सहित ₹6.60 लाख की वसूली की गई है। इसके अलावा, आरए बेंगलुरु, मुंबई और लुधियाना ने शेष आईईसी धारकों को शेष राशि की वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किए थे।

आरए पानीपत ने (अप्रैल 2025) उत्तर दिया कि गलत विनिमय दर की जांच के लिए आरओएससीटीएल का कोई डेटा/अभिलेख उपलब्ध नहीं था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दावों को मंजूरी देते समय और आरओएससीटीएल लाभ प्रदान करते समय प्रासंगिक डेटा आरए के पास उपलब्ध होना चाहिए था। शेष आरए के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026) ।

(ख) इसी प्रकार, तीन आरए (बेंगलुरु, दिल्ली और लुधियाना) द्वारा एलईओ दिनांक पर प्रचलित विनिमय दरों की तुलना में अधिक विनिमय दरों को अपनाने के कारण अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के रूप में ₹1.95 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया (**अनुलग्नक 12 बी**)।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया कि आरए बेंगलुरु और लुधियाना ने आईईसी धारकों को राशि की वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किए थे।

आरए, दिल्ली के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

3.9 आंतरिक नियंत्रण

डीजीएफटी में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को आगे के पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है:

3.9.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की कार्यप्रणाली के माध्यम से आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत जांच

एचबीपी, 2015-20 के पैराग्राफ 4.95 (एच) में संशोधन (सार्वजनिक सूचना सं. 58 दिनांक 29 जनवरी 2020) में कहा गया है कि आरए, आरएमएस के अंतर्गत हर सप्ताह जारी किए गए आरओएससीटीएल आवेदनों के दो *प्रतिशत* की जांच करेंगे, इस तरह की जांच के लिए मामले डीजीएफटी प्रणाली द्वारा यादृच्छिक रूप से ऑनलाइन सृजित किए जाने हैं।

डीजीएफटी की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के प्रतिवेदन के अनुसार, अप्रैल 2020 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान डीजीएफटी द्वारा कुल 65,781 आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी किए गए थे। एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.95(एच) के प्रावधानों के अनुसार, 1,316 मामलों के लिए जारी स्क्रिप्स के दो *प्रतिशत* को आरएमएस के अंतर्गत जांच के लिए चुना जाना आवश्यक था।

हालांकि, लेखापरीक्षा से पता चला कि विभाग ने उक्त अवधि के दौरान आरएमएस जांच के लिए केवल 301 मामलों का चयन किया, जैसा कि **तालिका 3.5** में दिया गया है, जो निर्धारित आवश्यकता से काफी कम था।

तालिका 3.5: आरएमएस के लिए चयनित आरओएससीटीएल स्क्रिप्स

अवधि	जारी किए गए स्क्रिप्स की संख्या	चुने जाने वाले मामले (दो *प्रतिशत*)	चुने गए मामलें	मामलों का कम चयन	कम चयन की प्रतिशतता
दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021	50,284	1,316	301	1,015	77
दिनांक 01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022	15,497				
कुल	**65,781**	**1,316**	**301**	**1,015**	**77**

इस प्रकार, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान आरएमएस के ज़रिए जांच-पड़ताल हेतु मामलों/स्क्रिप्स के चयन में 77 *प्रतिशत* की भारी कमी रही। वर्ष 2019-20 के दौरान आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करने से संबंधी डेटा एमआईएस प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं था।

यह विभाग को (जनवरी 2025) सूचित किया गया था और उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

इसके अतिरिक्त, आरएमएस के अंतर्गत जांच के लिए चुने गए मामलों और इस तरह की जांच के परिणामों के बारे में 18 चयनित आरए से सूचना/अभिलेखों (जनवरी-जून 2025) की मांग की गई थी।

जबकि आरए इंदौर, पानीपत और सूरत ने (मार्च-मई 2025) उत्तर दिया कि उनके कार्यालयों के पास आरएमएस मामलों की प्राप्ति के बारे में कोई सूचना नहीं है, आरए अहमदाबाद ने (मई 2025) उत्तर दिया कि इस मामले को डीजीएफटी के संज्ञान में लाया गया है और आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026) । शेष आरए ने कोई उत्तर/अभिलेख नहीं दिया।

इस प्रकार, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आरए ने जारी किए गए आरओएससीटीएल आवेदनों के दो *प्रतिशत* की जांच की थी, जैसा कि एचबीपी के पैरा 4.95 में निर्धारित है।

मंत्रालय को (फरवरी 2026) इस बारे में सूचित किया गया था और उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

3.9.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

डीजीएफटी मुख्यालय ने जनवरी 2000 में सभी आरए में 'पोस्ट इश्यू ऑडिट विंग' (पीआईएडबल्यू) बनाने के निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य जारी किए गए स्क्रिप्स में से पांच *प्रतिशत* की जांच लेखापरीक्षा करनी थी, ताकि स्क्रिप्स के लिए आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की वैधता की जांच की जा सके।

फरवरी-जुलाई, 2025 के दौरान 18 आरए में किए गए आरओएससीटीएल स्क्रिप्स के आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई।

आरए कोयंबटूर, इंदौर और सूरत ने सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थता (मार्च-जुलाई 2025) व्यक्त की। आरए अहमदाबाद ने उत्तर दिया (मई 2025) कि इस मामले को डीजीएफटी मुख्यालय को सूचित कर दिया गया है और आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

अन्य आरए और मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

3.10 परिणामों का सारांश: डीजीएफटी से संबंधित मामले

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता तथा योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी।

(i) एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया स्वचालित थी, लेकिन स्वचालित प्रणाली में कमियां और सत्यापन कमियां बनी रहीं। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार सुगमता के लिए स्वचालन ने अपेक्षित उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है।

(ii) प्रणालीगत कमियों में डीईएल में शामिल इकाईयों को अनियमित रूप से स्क्रिप्स जारी करना, दोहरे निर्यात लाभों का लाभ उठाना, बिना आशय के स्क्रिप्स जारी करना, वास्तविक पात्रता से अधिक स्क्रिप्स जारी करना और एमईआईएस लाभों की वसूली न करना को चिह्नित किया है, जिसमें ₹97.62 करोड़ के राजस्व प्रभाव शामिल हैं।

(iii) अनुपालन के दृष्टिकोण से, आरओएससीटीएल योजना के प्रशासन में, लेखापरीक्षा ने निर्यातित उत्पादों के गलत वर्गीकरण, गलत अनुसूचियों के

कारण गलत प्रोत्साहन दरों को अपनाने, गलत विनिमय दरों के आवेदन और निर्यात की आय की प्राप्ति नहीं करने के कारण ₹158.63 करोड़ के लाभ के अनुचित और अनियमित अनुदान को देखा।

(iv) आंतरिक नियंत्रण की कमजोरी भी देखी गई क्योंकि आरएमएस के माध्यम से मामलों के चयन में कमी थी और जारी किए गए स्क्रिप्स के आंतरिक लेखापरीक्षा की सूचना का अभाव था।

3.11 सीमा शुल्क के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन

डीजी सिस्टम्स (सीमा शुल्क) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करने को सरल बनाने के लिए शुरू किए गए सुविधा उपायों की जांच की गई। लेखापरीक्षा के परिणामों को नीचे वर्गीकृत किया गया है:

i. प्रणालीगत मुद्दे **(पैरा 3.12.1 से 3.12.5)**

ii. अनुपालन के मुद्दे **(पैरा 3.13.1 से 3.13.6)**

iii. आंतरिक नियंत्रण **(पैरा 3.14.1)**

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.6: अभ्युक्तियों का सारांश

क्र. सं.	विषय	अभ्युक्तियों की संख्या	राशि (₹लाख में)
1	प्रणालीगत मुद्दे	4	3,277
2	अनुपालन के मुद्दे	8	31,406
3	आंतरिक नियंत्रण	1	कोई धन मूल्य नहीं
		13	**34,683**

3.12 प्रणालीगत मुद्दे

दिनांक 01 जनवरी, 2021 को या उसके बाद किए गए निर्यात के संबंध में आरओएससीटीएल योजना को सीमा शुल्क विभाग के माध्यम से आरंभ-से-अंत तक डिजिटलीकरण के साथ हस्तांतरणीय क्रेडिट शुल्क स्क्रिप्स जारी करने के लिए लागू किया जा रहा था, जिसे सीमा शुल्क प्रणाली के भीतर एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट शुल्क बही-खाते में रखा जाता है। लेखापरीक्षा ने दिनांक 01 जनवरी 2021 से दिनांक 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए चयनित सीमा शुल्क

आयुक्तों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करके सीमा शुल्क द्वारा जारी किए गए आरओएससीटीएल स्क्रिप्स की जांच की। विश्लेषण से स्वचालित प्रक्रिया में कमियों और विसंगतियों का पता चला है, जिनकी चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

3.12.1 प्रतिबंधित इकाई सूची में रखे गए आईईसी धारकों को आरओएससीटीएल लाभ का गलत भुगतान

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.15 के साथ पठित दिनांक 29 मार्च 2019 की सार्वजनिक सूचना सं.83 के पैरा 4.95(एम) के अनुसार, डीजीएफटी की प्रतिबंधित इकाई सूची में शामिल इकाईयों/आईईसी धारकों को छोड़कर सभी निर्यातक आरओएससीटीएल के अंतर्गत दावा करने के लिए पात्र हैं।

दिनांक 07 मार्च, 2019 से दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए ऑल इंडिया प्रतिबंधित इकाई सूची के संदर्भ में चेन्नई निर्यात-IV आयुक्तालय और तूतीकोरिन सीमा शुल्क आयुक्तालय के 3,519 आईईसी की जांच से पता चला है कि आरओएससीटीएल लाभ के रूप में 10 आईईसी धारकों (दोनों आयुक्तालयों में क्रमशः तीन और सात आईईसी धारकों) को गलती से ₹1.59 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिनके नाम प्रतिबंधित इकाई सूची में शामिल थे। ये सभी आईईसी धारक प्रतिबंधित इकाई सूची में बने हुए हैं, जैसा कि डीजीएफटी की वेबसाइट से सत्यापित किया गया है (**अनुलग्नक 13**)।

इन आयुक्तालयों से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

अनुशंसा संख्या 3

सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली (सीएएस) को डीजीएफटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है ताकि प्रतिबंधित इकाई सूची में शामिल आईईसी के लिए आरओएससीटीएल लाभों को स्वचालित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके, जबकि ऐसे लाभों को केवल उन मामलों में अनुमति दी जा सके जहां एक स्थगन आदेश जारी किया गया है और मान्य हो।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में (मई 2026) कहा कि इस योजना के संबंध में वस्त्र मंत्रालय, कार्यकारी मंत्रालय है। प्रतिबंधित इकाई सूची में जिन निर्यातकों के आईईसी शामिल हैं, उन्हें योजना के लाभों से स्वतः वंचित करने का विषय वस्त्र मंत्रालय और डीजीएफटी (डीओसी) से संबंधित नीतिगत मामला है।

राजस्व विभाग का यह दावा कि प्रतिबंधित इकाई सूची में शामिल आईईसी धारकों को लाभ देने से मना करना वस्त्र मंत्रालय की नीति का मामला है, जो उचित नहीं है, क्योंकि विदेश व्यापार नीति (पैरा 2.15) पहले से ही इस तरह की मनाही का प्रावधान करती है।

इसके अलावा, निर्यात लाभ स्क्रिप्स डीओआर/डीजीएफटी प्रणालियों के माध्यम से जारी किए गए थे। वस्त्र मंत्रालय ने केवल योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन दरों को अधिसूचित किया तथा कार्यान्वयन, प्रसंस्करण, जारी करने और एफटीपी के अंतर्गत पात्रता शर्तों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डीओआर/डीजीएफटी के पास थी।

इसलिए, मुद्दा वस्त्र मंत्रालय से नीतिगत मार्गदर्शन की अनुपस्थिति के बजाय मौजूदा एफटीपी प्रावधानों को लागू नहीं करने का है।

3.12.2 विनियामक समय-सीमा के भीतर ई-स्क्रिप्स को सृजित न करना

इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर विनियमों (सितंबर 2021) के नियम 4 और 5 में कहा गया है कि एक निर्यातक के पास सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में स्क्रॉल के सृजन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक ई-स्क्रिप्स सृजित करने का विकल्प होगा।

2,31,754 शिपिंग बिलों की जांच से पता चला है कि 15 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[14] (**अनुलग्नक 14**) से संबंधित 2,928 मामलों में, एक वर्ष की निर्धारित अवधि से परे ई-स्क्रिप्स के सृजन में देरी हुई थी। सृजन में देरी एक दिन से 469 दिनों तक थी जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया है **(तालिका 3.7)**। इससे पता चलता है कि उपरोक्त विनियमों के अनुसार प्रणाली ने समय पर ई-स्क्रिप्स के सृजन को सुनिश्चित नहीं किया।

---

[14]लुधियाना, अमृतसर, अहमदाबाद, मुंद्रा, जोधपुर, चेन्नई सी, तूतीकोरिन, कोच्चि, दिल्ली, तुगलकाबाद, हैदराबाद, कोलकाता (एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), कोलकाता (पतन), एसीसी मुंबई और एनएस-II मुंबई।

तालिका 3.7: ई-स्क्रिप्स के सृजन में देरी

देरी की अवधि	मामलों की संख्या	विलंबित मामलों की प्रतिशतता
1 महीने तक	1,289	44
1 से 3 महीने	764	26
3 से 6 महीने	467	16
6 महीने से अधिक	408	14
कुल	**2,928**	

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर मुंद्रा, अमृतसर, लुधियाना, अहमदाबाद, जोधपुर, चेन्नई (निर्यात-IV), तुतीकोरिन, कोच्चि, तुगलाकाबाद (निर्यात), दिल्ली, कोलकाता (पत्तन) और हैदराबाद के आयुक्तालयों ने (अप्रैल-जुलाई 2025) कहा कि ई-स्क्रिप्स सीमा शुल्क अधिकारियों के नियंत्रण के बिना निर्यातकों द्वारा सृजित की जाती है। सीमा शुल्क की भूमिका ई-स्क्रिप्स सृजन से पहले स्क्रॉल सृजित करने तक सीमित है। आगे यह भी बताया गया कि एक वर्ष की सीमा से परे ई-स्क्रिप्स सृजन में देरी स्वचालित प्रक्रियाओं और तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई थी। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया गया कि ईडीआई प्रणाली कार्यालयों के लिए आरओएससीटीएल ई-स्क्रिप्स सृजित करने के लिए कोई कार्यक्षमता प्रदान नहीं करती है और ई-स्क्रिप्स सृजित नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर विनियम, 2021 का उल्लंघन नहीं करता है।

राजस्व विभाग ने (मई 2026) कहा कि स्क्रॉल सृजन की तारीख से एक वर्ष के बाद ई-स्क्रिप्स के स्वतः सृजन की सुविधा, जो शुरू में अनुपलब्ध थी, को आईसगेट प्रणाली में दिनांक 15 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। तदनुसार, जहां निर्यातक एक वर्ष के भीतर ई-स्क्रिप सृजन का विकल्प नहीं चुनते हैं, प्रणाली अब स्वतः स्क्रिप सृजित करता है।

उत्तर में पुष्टि की गई है कि प्रणाली सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी और ई-स्क्रिप्स का सृजन अपर्याप्त निगरानी और नियंत्रण के लिए अपर्याप्त थी।

3.12.3 पूर्व-व्यापी मामलों में आरओएससीटीएल छूट का अनियमित अनुदान

सरकार ने पहले आरओएससीटीएल योजना को दिनांक 01 जनवरी 2021 से आरओडीटीईपी योजना में जो दिनांक 01 जनवरी 2021 को भी शुरू की जा रही थी, में समाहित करने का इरादा किया था। तदनुसार, आरओएससीटीएल के लिए

दावों के साथ शिपिंग बिल दाखिल करने की सुविधा दिनांक 01 जनवरी 2021 से बंद कर दी गई थी। बाद में, यह निर्णय लिया गया था कि आरओएससीटीएल योजना को स्वतंत्र रूप से दिनांक 01 जनवरी, 2021 से लागू किया जाए और इसे चालू करने के लिए दिनांक 24 सितंबर, 2021 को अधिसूचना सं. 77/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.) जारी किया गया था।

16,251 शिपिंग बिलों की जांच से पता चला कि दिनांक 24 सितंबर 2021 तक दाखिल किए गए 855 शिपिंग बिलों में, सात[15] सीमा शुल्क आयुक्तालयों ने उन निर्यातकों को आरओएससीटीएल का लाभ अनुमत किया, जिन्होंने वस्तु-स्तर पर आरओडीटीईपी का दावा नहीं किया था। इस चूक के कारण ₹29.57 करोड़ का आरओएससीटीएल लाभ गलत तरीके से दिया गया (**अनुलग्नक 15**)।

उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क आयुक्तालय (सामान्य) दिल्ली ने एक निर्यातक को ₹1.70 करोड़ के आरओएससीटीएल लाभ का अनुदान किया (स्क्रिप दिनांक 22 नवंबर 2021), जबकि उस निर्यातक ने वस्तु-स्तर पर आरओडीटीईपी का दावा नहीं किया था।

इसी तरह, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्तालय (पत्तन) कोलकाता ने एक निर्यातक को ₹27.96 लाख के आरओएससीटीएल लाभ का अनुदान किया (स्क्रिप दिनांक 22 नवंबर 2021), जिसने वस्तु-स्तर पर आरओडीटीईपी का दावा नहीं किया था।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च-जून 2025), तुगलकाबाद (निर्यात) दिल्ली और कोलकाता (पत्तन) आयुक्तालयों ने उत्तर दिया (मई-सितंबर 2025) कि संबंधित निर्यातकों को यह निर्देशित करते हुए कि वे अपना उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, नोटिस/पत्र जारी किए गए हैं। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है (मई 2026)।

अहमदाबाद, जोधपुर, मुंद्रा और लुधियाना आयुक्तालयों ने उत्तर दिया (अप्रैल/अक्टूबर 2025) कि निर्यातकों ने कहा है कि दावे सही तरीके से दाखिल किए गए थे। हालाँकि, इन दावों के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

---

[15] *अहमदाबाद, मुंद्रा, जोधपुर, लुधियाना, दिल्ली, तुगलकाबाद और कोलकाता (पत्तन)*

3.12.4 बाजार मूल्य सीमा का पालन न करने के कारण आरओएससीटीएल लाभों का अधिक अनुदान

दिनांक 24 सितंबर, 2021 की अधिसूचना सं.77/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.) यह प्रावधान करती है कि इस योजना के अंतर्गत अनुमत क्रेडिट शुल्क की गणना के उद्देश्य से निर्याततित माल का मूल्य ऐसे माल का घोषित निर्यात फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या प्रचलित बाजार मूल्य के 1.5 गुना, जो भी कम हो, तक होगा।

3,096 शिपिंग बिलों की जांच से पता चला कि निर्यातकों द्वारा घोषित प्रचलित बाजार मूल्य की शुद्धता की जांच के लिए कोई प्रणाली नहीं थी और निर्यातकों द्वारा घोषित एफओबी मूल्य को बिना सत्यापन के स्वीकार किया गया था। आगे की जांच से पता चला कि चार सीमा शुल्क आयुक्तालयों (बेंगलुरु-एयर कार्गो और एअरपोर्ट, बेंगलुरु-सिटी, मंगलुरु और लुधियाना) ने 278 शिपिंग बिलों में अतिरिक्त आरओएससीटीएल प्रोत्साहन प्रदान किया था, जिसकी राशि ₹1.44 करोड़ थी, क्योंकि माल के मूल्य को वर्तमान बाजार मूल्य के 1.5 गुना तक सीमित नहीं किया गया था, जैसा कि निर्धारित है (**अनुलग्नक 16**)।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, बेंगलुरु (एयर कार्गो और एअरपोर्ट), बेंगलुरु (सिटी) और मंगलौर के सीमा शुल्क आयुक्तालयों ने (नवंबर-दिसंबर 2025) कहा कि अनुलग्नक में उल्लिखित सभी निर्यातकों को लागू ब्याज के साथ अतिरिक्त आरओएससीटीएल प्रोत्साहन की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026) । लुधियाना आयुक्तालय के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)

3.13 अनुपालन के मुद्दे

आरओएससीटीएल योजना के प्रशासन में सीमा शुल्क संरचनाओं के अनुपालन के मुद्दों को अगले पैराग्राफों में वर्णित किया गया है।

3.13.1 अप्राप्त निर्यात आय पर निर्यात लाभ की वसूली न करना

अधिसूचना स.77-2021-सीमा शुल्क(एन.टी.) दिनांक 24 सितंबर, 2021 के पैरा 5 के अनुसार प्रावधान है कि अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात के प्रति योजना के अंतर्गत अनुमत क्रेडिट शुल्क, फेमा, 1999 के अंतर्गत अनुमत अवधि (यानी, निर्यात की तारीख से नौ महीने) के भीतर बिक्री आय की प्राप्ति के अधीन होगा, अन्यथा इस

तरह के क्रेडिट शुल्क को अयोग्य माना जाएगा। निर्यात की आय की प्राप्ति न होने की स्थिति में, निर्यातक स्वयं या उचित अधिकारी की मांग पर, ब्याज के साथ क्रेडिट शुल्क की राशि वापस करेगा।

(क) 1,07,130 शिपिंग बिलों की जांच से पता चला है कि 5,290 शिपिंग बिलों के संबंध में निर्यात की आय, जिसमें ₹209.20 करोड़ की आरओएससीटीएल छूट शामिल है और जो 18 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[16] से संबंधित हैं जैसाकि **तालिका 3.8** में संक्षेपित किया गया है, दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अप्राप्य थे **(अनुलग्नक 17 ए)**।

तालिका 3.8: दिनांक 31 मार्च 2025 को स्क्रिप्स के लिए अप्राप्य निर्यात आय

देरी की अवधि	मामलों की संख्या	विलंबित मामलों का प्रतिशतता
1 वर्ष 6 महीने तक	1,258	24
1 से 2 वर्ष	1,617	31
2 से 3 वर्ष	1,700	32
3 वर्ष से अधिक	715	13
कुल	**5,290**	

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, अमृतसर और लुधियाना आयुक्तालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) कि अधिकांश बीआरसी के संबंध में निर्यात आय अब प्राप्त हो गई है। शेष मामलों में, बीआरसी प्राप्त होने पर प्रेषित किए जाएंगे।

अहमदाबाद, कोलकाता (पत्तन) और तूतीकोरिन आयुक्तालयों ने उत्तर दिया (मई-सितंबर 2025) कि प्राप्त हुई राशि को जारी किए गए मांग नोटिसों के साथ मिलान किया जाएगा और कमीयुक्त मामलों में एससीएन जारी किए जाएंगे।

जोधपुर सीमा शुल्क आयुक्तालय ने (दिसंबर 2025) में कहा कि तीन एसबी के सापेक्ष ₹4.76 लाख (जिसमें ब्याज भी शामिल है) की राशि वसूल की गई है और आठ एसबी के संबंध में एससीएन जारी किए गए थे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026) ।

---

[16]अहमदाबाद, जोधपुर, बेंगलुरु (एयर कार्गो और एयरपोर्ट), बेंगलुरु, मैंगलोर, अमृतसर, लुधियाना, चेन्नई, तूतीकोरिन, दिल्ली, तुगलकाबाद, विशाखापत्तनम, कोलकाता (एयर कार्गो और एयरपोर्ट), कोलकाता, लखनऊ, नोएडा, एसीसी-मुंबई और मुंबई एनएस-II

चेन्नई निर्यात-IV आयुक्तालय ने (जून 2025) कहा कि उत्तर बीआरसी निर्यात आयुक्तालय से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, यह प्रतिक्रिया अस्वीकार्य थी, क्योंकि आरओएससीटीएल लाभों को मंजूरी देने के बाद, आयुक्तालय इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और जवाब़ देने के लिए बाध्य था।

अन्य आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2026)।

(ख) इसी प्रकार, 13 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[17] से संबंधित 855 शिपिंग बिलों के संबंध में ₹18.05 करोड़ की आरओएससीटीएल छूट निर्यात आय की आंशिक प्राप्ति के कारण निर्यातकों से वसूल की जानी थी (**अनुलग्नक 17 बी**)।

यह इंगित किए जाने पर, इंदौर आयुक्तालय ने बताया कि उसने ब्याज सहित ₹4.00 लाख की राशि (सितंबर 2025) की वसूली कर ली थी। अहमदाबाद, मुंद्रा, बेंगलुरु (एअरपोर्ट और एसीसी), बेंगलुरु (शहर), एनसीएच-मंगलोर, कोलकाता (एअरपोर्ट और एसीसी) और तूतीकोरिन आयुक्तालयों ने (मई-दिसंबर 2025) में कहा कि निर्यातकों को मांग नोटिस जारी किए गए थे और जारी किए मांग नोटिस के साथ प्राप्त राशि का मिलान करने के बाद, आगे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (मई 2026)।

चेन्नई निर्यात-IV आयुक्तालय ने (जून 2025) कहा कि इसका उत्तर बीआरसी निर्यात आयुक्तालय से प्राप्त किया जा सकता था। हालांकि, यह प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि आरओएससीटीएल लाभों को मंजूरी देने के बाद आयुक्तालय इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और जवाब देने के लिए बाध्य थे।

अनुशंसा संख्या 4

फेमा, 1999 के अंतर्गत निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी के लिए अनुवर्ती तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि निर्यात आय प्राप्त न होने के मामलों में ब्याज सहित अयोग्य आरओएससीटीएल क्रेडिट की वसूली सुगम हो सके।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में (मई 2026) कहा कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के निर्यात आंकडे प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) के माध्यम से निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी करता है, जो दिनांक 01 मार्च 2014 से

---

[17] अहमदाबाद, मुंद्रा, जोधपुर, बेंगलुरु (एयरपोर्ट और एयर कार्गो), बेंगलुरु, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोलकाता (एयर कार्गो और एयरपोर्ट), कोलकाता (पत्तन), लखनऊ, नोएडा, इंदौर और विशाखापत्तनम

चालू है। प्राप्ति के लिए निर्धारित अवधि में आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया कोई विस्तार भी शामिल है। ईडीपीएमएस के आंकड़ों के आधार पर, क्षेत्रीय संरचनाओं निर्यात आय की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा, सीबीआईसी और डीओआर ने आरबीआई के ईडीपीएमएस तथा सीएएस के बीच दिनांक 01 जनवरी 2014 से दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक के शिपिंग बिलों का एक बार के मिलान का संचालन किया और आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को अद्यतित प्रेषण अभिलेख उपलब्ध कराए गए थे।

प्रत्युत्तर में, इस आवश्यकता को पुनःरेखांकित किया है कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा वसूली की शीघ्र पहचान और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बार-बार मिलान किया जाना आवश्यक है।

3.13.2 गलत वर्गीकरण के कारण आरओएससीटीएल प्रोत्साहनों का अधिक अनुदान

डीओआर द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना सं.77/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.) में आरओएससीटीएल स्क्रिप के रूप में आरओएससीटीएल प्रोत्साहन का प्रावधान है, यह प्रोत्साहन उन सामानों के निर्यात के लिए है जो अध्याय 61, 62 और 63 के अंतर्गत आते हैं और जिनका निर्यात दिनांक 01 जनवरी 2021 या उसके बाद किया गया हो, यह प्रोत्साहन वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं.14/26/2016-आईटी दिनांक 08 मार्च 2019 में बताई गई दरों के अनुसार दिया जाएगा। निर्यात किए जाने वाले अलग-अलग सामानों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं और इन सामानों को एक यूनिक क्रम संख्या का आवंटन किया गया है।

1,15,485 शिपिंग बिलों की जांच से पता चला कि 16 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[18] द्वारा 1,150 एसबी में, वस्त्र-विवरण की तुलना में अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की गलत क्रम संख्याओं का चयन करने के कारण ₹3.66 करोड़ के अतिरिक्त आरओएससीटीएल प्रोत्साहन का भुगतान किया गया था (**अनुलग्नक 18**)।

उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना में, मेसर्स. 'सी' लि. ने आरओएससीटीएल क्र.सं.630202बी के अंतर्गत वर्गीकृत वस्तुओं (बेड लिनन, टेबल लिनन, टॉयलेट लिनन और किचन लिनन) का निर्यात किया। जो गलत तरीके से

[18] अहमदाबाद, मुंद्रा, जोधपुर, बेंगलुरु (एअरपोर्ट और एयर कार्गो), बेंगलुरु (शहर), लुधियाना, अमृतसर, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोच्चि, दिल्ली, तुगलकाबाद, इंदौर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम और कोलकाता

क्र.सं.630201बी (कपास से बनी वस्तु) के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। इस चूक के परिणामस्वरूप 60 स्किप्स में ₹1.54 करोड़ के आरओएससीटीएल लाभ का अधिक अनुदान किया गया।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मार्च-जून 2025) अमृतसर, इंदौर, कोच्चि और जोधपुर आयुक्तालयों ने कहा कि उन्होंने ब्याज सहित ₹18.52 लाख की राशि वसूल की (मार्च-नवंबर 2025) है और निर्यातकों को शेष राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

जोधपुर और आईसीडी तुगलकाबाद सीमा शुल्क आयुक्तालयों ने भी कहा कि ₹4.88 लाख[19] की राशि की वसूली की गई है।

बेंगलुरु (एअरपोर्ट और एयर कार्गो), बेंगलुरु (शहर), कोलकाता (पत्तन), अहमदाबाद, मुंद्रा, हैदराबाद, चेन्नई और तूतीकोरिन सीमा शुल्क आयुक्तालयों ने (अप्रैल-सितंबर 2025) कहा कि निर्यातकों को अपना उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस/पत्र जारी किए गए हैं। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (मई 2026)।

शेष आयुक्तालयों की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026) ।

अनुशंसा संख्या 5

विभाग गलत वर्गीकरण और अधिक प्रोत्साहन दावों को रोकने के लिए, जहाँ तक संभव है, वैधता नियंत्रण को बेहतर बनाने पर विचार कर सकता है

राजस्व विभाग ने कहा कि निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल में उल्लिखित वस्तु-विवरणों को टैरिफ वस्तु के सापेक्ष माल के संबंधित विवरण के साथ सटीक रूप से मिलान करना सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के लिए संभव नहीं है। हालांकि, निर्यात के लिए मूल्यांकन और मंजूरी के समय जोखिम-आधारित प्रतिबंध के साथ सत्यापन तंत्र उपलब्ध है, जिसमें पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा भी शामिल है।

विभाग पहले से ही शुरू की गए जोखिम-आधारित जांचों और लेखा-परीक्षणों के अलावा, नियमों के अनुसार आरओएससीटीएल लाभों के विनियमन को सक्षम करने के लिए, जहां तक संभव हो, वैधता को शामिल करने पर विचार कर सकता है।

[19]सीमा शुल्क आयुक्तालय जोधपुर (₹2.56 लाख, जिसमें ब्याज भी शामिल है), आईसीडी तुगलकाबाद (₹2.32 लाख)

3.13.3 गलत विनिमय दर के अनुप्रयोग के कारण आरओएससीटीएल का अधिक भुगतान

निर्यात प्रोत्साहन की गणना के लिए निर्यात ऑर्डर (एलईओ) की तारीख के विनिमय दरों का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा। सीबीआईसी इन आधिकारिक विनिमय दरों को समय-समय पर प्रकाशित करता है, जिन्हें ईडीआई प्रणाली में अद्यतित किया जाता है।

(क) 3,068 शिपिंग बिलों की जांच से पता चला कि सीमा शुल्क आयुक्तालय, कोलकाता और सीमा शुल्क आयुक्तालय (एअरपोर्ट और एसीसी) कोलकाता ने एलईओ तिथि के बजाय शिपिंग बिल तिथि के अनुसार विनिमय दरों का उपयोग करके आरओएससीटीएल लाभों की गणना की थी, जिसके परिणामस्वरूप 97 शिपिंग बिलों पर ₹3.12 लाख की अतिरिक्त छूट दी गई थी (**अनुलग्नक 19 ए**)।

(ख) चेन्नई और तूतीकॉरिन सीमा शुल्क आयुक्तालयों में, ईडीआई प्रणाली ने दिनांक 07 सितंबर 2023 से दिनांक 21 सितंबर 2023 की अवधि के लिए एक अमरीकी डालर का ₹82.20 के बजाय ₹82.80 के रूप में उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप 27 शिपिंग बिलों के संबंध में ₹7.55 लाख की राशि के आरओएससीटीएल लाभों का अधिक भुगतान किया गया (**अनुलग्नक 19 बी**) ।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अप्रैल 2025) तूतीकॉरिन और चेन्नई (निर्यात-IV) आयुक्तालय ने (मई/जून 2025) कहा कि निर्यातकों को मांग पत्र जारी किए गए हैं और तूतीकॉरिन सीमा शुल्क ने यह भी कहा कि ₹0.42 लाख की राशि की वसूली की गई है। मंत्रालय से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

अनुशंसा संख्या 6

विभाग अतिरिक्त भुगतानों को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आरओएससीटीएल लाभों की गणना करने के लिए ईडीआई प्रणाली एलईओ तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों को लागू करें।

राजस्व विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं करते हुए (मई 2026) कहा कि लेखापरीक्षा ने निर्यात वस्तुओं के एफओबी मूल्य की गणना हेतु निर्यात के लिए शिपिंग बिल दाखिल करने की तारीख की विनिमय दर के बजाए एलईओ

तिथि की विनिमय दर को अपनाया है। विनिमय दर को अपनाने के लिए प्रासंगिक तिथि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारित है।

राजस्व विभाग के प्रत्युत्तर में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सीमा शुल्क मूल्यांकन को संबोधित किया गया था, जिसमें शिपिंग बिल दाखिल करने की तारीख को आईएनआर में एफओबी मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाया जाता है, जबकि लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति लाभों की गणना पर थी। जैसा कि एचबीपी (पैरा 9.12 डी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है, एफटीपी के अंतर्गत लाभों की गणना के लिए, एलईओ दिनांक निर्यात की गणना की तारीख होगी। तद्नुसार, एलईओ दिनांक पर लागू अधिसूचित मासिक दर पर विचार किया जाना चाहिए।

3.13.4 आरओएससीटीएल स्क्रॉल के सृजन में देरी

सीमा शुल्क प्रणाली निदेशालय द्वारा प्रसंस्करण शुरू करने पर, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में एक स्क्रॉल सृजित किया जाएगा। इस स्क्रॉल में शिपिंग बिल का विवरण, शिपिंग बिल के प्रति अनुमत क्रेडिट शुल्क की राशि आदि शामिल होंगे। निर्यातक निर्यात के विशेष सीमा शुल्क स्टेशन पर एक या अधिक स्क्रॉल को क्रेडिट शुल्क को जोड़ सकता है और सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में बनाए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक बहीखाता में एक ई-स्क्रिप्स सृजित कर सकता है।

आरओएससीटीएल योजना के क्रियान्वयन के लिए परामर्श के पैरा-5 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2021 से बैकलॉग शिपिंग बिलों को संसाधित करते समय सिस्टम ओवरलोड से बचने के लिए एक चरणबद्ध समय सारिणी शुरू की गई थी।

लेखापरीक्षा में स्क्रॉल सृजन में 30 से 100 दिनों तक असामान्य देरी देखी गई। बैकलॉग प्रबंधन करने के लिए चरणबद्ध समय-सारिणी के बावजूद, इन देरी से वैध दावों का भुगतान स्थगित हो गया, जिससे निर्यातकों को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ा। दिनांक 01 जनवरी, 2021 से दिनांक 30 नवंबर, 2021 तक के निर्यात के लिए, 12 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[20] के 179 मामलों (स्क्रिप्स राशि ₹24.63 करोड़) में देरी देखी गई **(अनुलग्नक 20 ए)**। इसी तरह, दिनांक

---

[20] *अहमदाबाद, मुंद्रा, जोधपुर, बेंगलुरु (एयरपोर्ट और एयर कार्गो), बेंगलुरु, अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, तुगलकाबाद, हैदराबाद, कोलकाता (एयरपोर्ट और एयर कार्गो) और कोलकाता*

30 नवंबर, 2021 के बाद निर्यात के लिए, नौ सीमा शुल्क आयुक्तालयों[21] के 333 मामलों (स्क्रिप्स राशि ₹57.02 करोड़) में 100 दिनों से अधिक की देरी देखी गई **(अनुलग्नक 20 बी)**।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मार्च-जुलाई 2025), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, अमृतसर और हैदराबाद आयुक्तालयों ने भविष्य में अनुपालन के लिए इस मुद्दे को नोट किया और कहा (जून/सितंबर 2025) कि स्क्रॉल का नियमित सृजन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

अहमदाबाद, जोधपुर, कोलकाता (पत्तन), मुंद्रा, चेन्नई निर्यात-IV, तूतीकोरिन और तुगलकबाद (निर्यात) दिल्ली आयुक्तालयों ने देरी (मई-नवंबर 2025) को निर्यातकों द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत नहीं करने, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतर्गत अस्वीकृति, महानिदेशालय विशलेषण एवं जोखिम प्रबंधन (डीजीएआरएम) / सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन केन्द्र (आरएमसीसी) अलर्ट, के आधार पर आईईसी के निलंबन, ईजीएम फाइलिंग में त्रुटियां, बार-बार आईसीईएस नेटवर्क समस्याएं और सिस्टम गड़बड़ी या तकनीकी समस्याएं, साथ ही संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण या कार्य-परिवर्तन जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया।

सीमा शुल्क आयुक्तालय एनसीएच मंगलौर ने अपने उत्तर (नवंबर 2025) में दिनांक 30 नवंबर 2021 के बाद किए गए निर्यात के लिए स्क्रॉल के सृजन में देरी पर खेद व्यक्त किया।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और एअरपोर्ट) कोलकाता ने (दिसंबर 2025) कहा कि एसबी को डीबीके अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर संसाधित किया गया था और इसलिए, स्क्रॉल सृजन सक्षम करने की अनुसूची को स्क्रॉल तिथि के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।

कोलकाता आयुक्तालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में प्रासंगिक तिथि शिपिंग बिल तिथि होनी चाहिए न कि स्क्रॉल तिथि।

अन्य शेष आयुक्तालयों और मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026) ।

---

[21] *बेंगलुरु (एयरपोर्ट और एयर कार्गो), बेंगलुरु (227 मामले), मंगलुरु (3 मामले), अमृतसर (5 मामले), लुधियाना (425 मामले), चेन्नई (32 मामले), तूतीकोरिन (48 मामले), हैदराबाद (7 मामले) और विशाखापत्तनम (30 मामले)*

अनुशंसा संख्या 7:

विभाग को आरओएससीटीएल लाभों के शीघ्र वितरण की सुविधा के लिए प्रणाली आधारित निगरानी के माध्यम से समय पर स्क्रॉल का सृजन सुनिश्चित करना चाहिए।

राजस्व विभाग ने सूचित किया (मई 2026) कि उन्होंने अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को नोट कर लिया है और तीन दिनों की समय अवधि के भीतर आरओएससीटीएल स्क्रॉल सृजित करने के लिए दिनांक 23 अप्रैल 2026 को एक निर्देश जारी किया है।

3.13.5 अधिकार क्षेत्र के पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों से किए गए निर्यात के लिए आरओएससीटीएल लाभों का अनुदान

दिनांक 24 सितंबर, 2021 को अधिसूचना सं.77/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.) के प्रावधानों के अनुसार, निर्यातकों द्वारा शिपिंग बिल में किए गए क्रेडिट शुल्क के दावे के प्रति, सीमा शुल्क द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2021 को या उसके बाद किए गए निर्यातों के लिए आरओएससीटीएल स्क्रिप्स के रूप में, वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च, 2019 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर, आरओएससीटीएल स्क्रिप्स के रूप में अनुदान दिया जाता है। चूंकि दावा शिपिंग बिल में ही किया जाना आवश्यक है, ऐसे दावों को निर्यात के पत्तन या क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा संसाधित किया जाना है, जैसा भी मान्य हो।

यद्यपि निर्यात आईसीडी, इरुगुर, कोयंबटूर (छः शिपिंग बिल) से किया गया था, लेकिन लुधियाना सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा ₹24.73 लाख की राशि के आरओएससीटीएल लाभ प्रदान किए गए थे, जो इस प्रावधान के अनुरूप नहीं था कि दावे को अधिकार क्षेत्र के प्राधिकारी द्वारा संसाधित किया जाए (**अनुलग्नक 21**)।

मंत्रालय को इस बात की सूचना दी गई (फरवरी 2026) और प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

3.13.6 पहले की निर्यात आय की प्राप्त न होने के बावजूद भी बाद के निर्यात पर आरओएससीटीएल लाभों का अनियमित अनुदान

दिनांक 24 सितंबर 2021 की अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया था कि इस योजना के अंतर्गत अनुमत क्रेडिट शुल्क फेमा 1999 के अंतर्गत अनुमत अवधि के भीतर (नौ महीने के भीतर निर्यात की तारीख से) बिक्री की आय की प्राप्ति के अधीन होगा। यदि बिक्री की आय का एक हिस्सा प्राप्त हो गया है, तो अनुमत क्रेडिट शुल्क की आनुपातिक राशि की वसूली की जा सकती है।

दो[22] सीमा शुल्क आयुक्तालयों में 28 निर्यातकों को गलत तरीके से ₹88.07 लाख के बाद के निर्यात पर आरओएससीटीएल लाभ दिए गए, हालांकि इन्हें पहले दिए गए ₹5.96 करोड़ के आरओएससीटीएल लाभों के प्रति समायोजित करने की आवश्यकता थी, जिसके संबंध में निर्यात आय की प्राप्ति नहीं हुई थी **(अनुलग्नक 22)**।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 2025), चेन्नई निर्यात-IV आयुक्तालय ने उत्तर दिया (मई 2025) कि निर्यात आय की आंशिक प्राप्ति हुई है और इसका उत्तर संबंधित बीआरसी अनुभाग, निर्यात आयुक्तालय से प्राप्त किया जा सकता है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि योजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयुक्तालय के पास थी, जिसने आरओएससीटीएल लाभों की अनुमति दी थी।

तूतीकोरिन सीमा शुल्क आयुक्तालय ने (सितंबर 2025) उत्तर दिया कि जारी किए गए मांग नोटिस और प्राप्त की गई राशि के बीच मिलान किया जाएगा और कमीयुक्त मामलों में एससीएन जारी किए जाएंगे।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2026) ।

---

[22] *चेन्नई (₹21.93 लाख) और तूतीकोरिन (₹66.14 लाख)*

3.14 आंतरिक नियंत्रण

3.14.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के कामकाज के माध्यम से आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत संवीक्षा

परिपत्र सं.22/2021-सीमा शुल्क दिनांक 30 सितंबर, 2021 के अनुसार, आरओएससीटीएल दावों को सीमा शुल्क द्वारा शुल्क प्रतिअदायगी दावों के प्रसंस्करण के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) ढांचे की तर्ज पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर संसाधित किया जाएगा, जैसा कि परिपत्र सं.15/2021-सीमा शुल्क दिनांक 15 जुलाई, 2021 में निर्धारित है।

आरएमएस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों से संबंधित सूचना और अभिलेखों, तथा इस तरह की संवीक्षा के परिणामों के साथ, 22 चयनित सीमा शुल्क आयुक्तालयों से (फरवरी-जून 2025) की मांग की गई थी; हालांकि, अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, अमृतसर, चेन्नई निर्यात-IV और तुतीकोरिन आयुक्तालयों ने उत्तर दिया (मई-जून 2025) कि आरएमएस के अंतर्गत चयनित आरओएससीटीएल मामलों से संबंधित कोई डेटा उन्हें प्राप्त या आवंटित नहीं किया गया है। तुगलकाबाद (निर्यात) दिल्ली आयुक्तालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि आरएमएस द्वारा एसबी का चयन लेखापरीक्षा के लिए नहीं किया जा रहा है। हालांकि, इसने कहा कि इस अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए नोट किया गया था।

अन्य शेष आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2025)।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि संबंधित परिपत्रों में निर्धारित आरओएससीटीएल दावों के प्रसंस्करण के लिए आरएमएस के कार्यान्वयन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था, जो जोखिम-आधारित जांच तंत्र में कमियों का संकेत देता है।

राजस्व विभाग ने (मई 2026) कहा कि विशलेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय, मुंबई के अंतर्गत राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र (एनसीटीसी) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में संरचित जोखिम मापदंडों के माध्यम से आयात और निर्यात शिपमेंट के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे का प्रबंधन करता है। आरओएससीटीएल से संबंधित जोखिम को पहले ही संभावित गलत घोषणा, मूल्यांकन के मुद्दों और अस्वीकार्य निर्यात लाभ के दावों की पहचान करने के लिए

उपयुक्त आरएमएस लक्ष्यों के माध्यम से शामिल किया जा चुका है और लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों के प्रकाश में इसकी समीक्षा जारी रखी जाएगी।

राजस्व विभाग ने यह भी कहा कि निर्यात जोखिम प्रबंधन को पूर्व-निकासी प्रतिबंध और पश्च निकासी, जोखिम-आधारित निर्यात प्रोत्साहन सत्यापन तंत्र दोनों के माध्यम से समर्थन दिया जाता है।

लेखापरीक्षा के लिए शिपिंग बिल के इलेक्ट्रॉनिक चयन के संबंध में, राजस्व विभाग ने कहा कि टीबीए (निर्यात) सहित निर्यात पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा मॉड्यूल का विकास डीजी सिस्टम के साथ शुरू किया गया है और प्रक्रियाधीन है।

3.15 परिणामों का सारांश: सीमा शुल्क विभाग से संबंधित मामले

सीमा शुल्क विभाग द्वारा आरओएससीटीएल योजना के कार्यान्वयन की जांच से पता चला कि:

(i) यद्यपि स्वचालन लागू किया गया था; लेकिन प्रणालीगत कमजोरी बनी रही, जिससे प्रक्रियागत सरलीकरण और व्यापार सुगमता कमजोर हो गई।

(ii) प्रणालीगत मुद्दों में अनियमित/अतिरिक्त स्क्रिप्स जारी करना, ई-स्क्रिप्स सृजन में देरी और लाभों पर प्रतिबंध की कमी शामिल थी, जिसके राजस्व प्रभाव **₹32.77 करोड़** थे।

(iii) अनुपालन में कमियों के कारण निर्यात के गलत वर्गीकरण, देरी से स्क्रॉल सृजन करने, गलत विनिमय दरों को अपनाने और पहले की निर्यात आय की प्राप्ति लंबित होना, के कारण **₹314.06 करोड़** के अनुचित/अनियमित लाभ हुए।

(iv) आंतरिक नियंत्रण की कमियों में आरएमएस के माध्यम से मामलों का चयन नहीं करना, जोखिम आधारित जांच को सीमित करना शामिल था।

3. 16 विभागों के बीच समन्वय और प्रभाव विश्लेषण

3.16.1 वित्तीय प्रबंधन की आवधिक निगरानी न करना

सरकार ने वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित योजना के दिशानिर्देशों और दरों में किसी भी बदलाव के बिना आरओएससीटीएल योजना को उस समय तक (मार्च,

2026 तक) जारी रखने का निर्णय लिया है, जब तक कि यह योजना आरओडीटीईपी योजना के साथ विलय नहीं हो जाती।

दिनांक 13 अगस्त, 2021 को अधिसूचना सं.12015/11/2020-टीटीपी के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय आवंटन राशि से अधिक न हो, इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय और देयता की तिमाही आधार पर व्यय विभाग (डीओई) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी और इसमें आरओएससीटीएल के लिए व्यय को निर्धारित आवंटन के भीतर रखने के लिए डीओआर, डीओसी और वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सीमा शुल्क अपनी प्रणाली पर यह सुनिश्चित करेगा कि इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय आवंटित निधि से अधिक न हो।

राजस्व विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि अक्टूबर 2021 से सितंबर 2024 की अवधि के दौरान आवश्यक 12 बैठकों के बजाय केवल आठ समिति बैठकें आयोजित की गईं। अक्टूबर 2021 से सितंबर 2024 तक आयोजित समिति की बैठकों का विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: समिति की बैठकों का विवरण

समिति की बैठकें	बैठक की तिथि	तिमाही जिसके लिए बैठक आयोजित की गई थी
पहली बैठक	दिनांक 21 दिसंबर 2021	अक्टूबर 2021-दिसंबर 2021
दूसरी बैठक	दिनांक 16 मार्च 2022	जनवरी 2022-मार्च 2022
तीसरी बैठक	दिनांक 12 जुलाई 2022	अप्रैल 2022-जून 2022
चौथी बैठक	दिनांक 25 अक्टूबर 2022	जुलाई 2022-सितंबर 2022
पांचवीं बैठक	दिनांक 14 फरवरी 2023	अक्टूबर 2022-दिसंबर 2022
छठी बैठक	दिनांक 13 जुलाई 2023	जनवरी 2023-मार्च 2023 और अप्रैल 2023-जून 2023
सातवीं बैठक	दिनांक 10 जनवरी 2024	जुलाई 2023-सितंबर 2023 ओर अक्तूबर 2023-दिसंबर 2023
आठवीं बैठक	दिनांक 09 अक्टूबर 2024	जनवरी 2024 से मार्च 2024, अप्रैल 2024 से जून 2024 और जुलाई 2024 से सितंबर 2024

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी 2025), राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में (मई 2026) कहा कि सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली समिति की बैठकें आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत देनदारियों की निगरानी के लिए त्रैमासिक

आधार पर आयोजित की जाती हैं। तदनुसार, विभाग ने तर्क दिया कि यह मुद्दा राजस्व विभाग /सीबीआईसी से संबंधित नहीं है।

वस्त्र मंत्रालय ने बताया (मार्च 2026) कि कुल मिलाकर, दिसंबर 2025 तक 12 बैठकें हुईं, जहां निगरानी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटन और व्यय का विवरण डीजीएफटी/डीओआर से प्राप्त किया जा सकता है।

डीजीएफटी से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026) ।

इस प्रकार, आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत देनदारियों और व्यय की निगरानी की जिम्मेदारी बिखरी हुई प्रतीत होती है क्योंकि किसी भी मंत्रालय ने आरओएससीटीएल योजना के वित्तीय प्रबंधन तथा व्यय की निगरानी के लिए विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं दी हैं।

3.16.2 आरओएससीटीएल योजना का आवधिक मूल्यांकन और वार्षिक प्रभाव विश्लेषण नहीं करना

वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (खंड-II), दिनांक 07 मार्च, 2019 के पैरा 7.1 के अनुसार, मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) को निर्यात और रोजगार में वृद्धि के मापदंडों के आधार पर योजना का आवधिक मूल्यांकन करना आवश्यक था।

इसके अलावा, दिनांक 13 अगस्त, 2021 की फ़ाइल सं. 12015/11/2020-टीटीपी के माध्यम से अधिसूचित आरओएससीटीएल योजना की निरंतरता और कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 7.5 में यह निर्धारित किया गया है कि वस्त्र मंत्रालय आरओएससीटीएल योजना का वार्षिक प्रभाव विश्लेषण करेगा।

लेखापरीक्षा की संवीक्षा से पता चला कि आरओएससीटीएल योजना के लागू होने के पांच वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाने और इसके लिए काफ़ी बजट आवंटित किए जाने के बावजूद, न तो अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने इसका समय-समय पर मूल्यांकन किया और न ही वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने इसके वार्षिक प्रभाव का विश्लेषण किया।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, वस्त्र मंत्रालय ने प्रभाव विश्लेषण के संदर्भ में (मार्च 2026) बताया कि मंत्रालय के स्तर पर नियमित रूप से आरओएससीटीएल

योजना की समीक्षा की जा रही है। यह आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) का भी हिस्सा है, जिसमें वर्ष 2022-23 के बाद से नीति आयोग को तिमाही प्रगति की सूचना दी जाती है।

इसमें कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए निर्यात का मूल्य (अध्याय 61, 62 और 63 में वस्त्र उत्पादों के लिए) वि.व. 22 में ₹1.50 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 25 में ₹1.70 लाख करोड़ हो गया है। यह इन श्रेणियों में भारत के कुल निर्यात का 91 *प्रतिशत* है। जो यह स्थापित करता है कि अधिकांश निर्यातक इस योजना का प्रभावी रूप से उपभोग कर रहे हैं। इसके अलावा, एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ने योजना को लंबे समय तक जारी रखने की अनुशंसा की।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने कहा कि ओओएमएफ के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिणाम संकेतकों में से एक, योजना के अंतर्गत कुल आवंटन में, छूट के लिए उपयोग किए गए निधि का प्रतिशतता[23] है। इस संदर्भ में, वार्षिक व्यय आंकड़ों की अनुपलब्धता ने निधि के उपयोग की सीमा और रिपोर्ट किए गए निर्यात निष्पादन के साथ इसके सहसंबंध का आकलन करने की क्षमता को सीमित कर दिया।

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वित्तीय आंकड़ों को आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आउटकम संकेतकों के साथ एकीकृत किया जाए, जिससे व्यय और निर्यात प्रदर्शन के बीच संबंध का आकलन किया जा सके।

3.17 निष्कर्ष

डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग द्वारा आरओएससीटीएल योजना के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता और समग्र कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए आरओएससीटीएल पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। दिसंबर 2020 तक इस योजना का प्रशासन डीजीएफटी द्वारा किया जाता था और उसके बाद इसका प्रशासन सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता था।

[23] *एक वित वर्ष में बजट के इस्तेमाल का प्रतिशत आवंटित बजट के 95 प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए, ताकि रोल-ओवर कम से कम हो और निर्यातकों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा बनी रहे।*

एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करना स्वचालित किया गया था, फिर भी महत्वपूर्ण कमियां और सत्यापन की कमजोरियां बनी हुई हैं, जो यह दर्शाता है कि स्वचालन प्रक्रियागत सरलीकरण और व्यापार सुगमता के अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

प्रमुख प्रणालीगत कमियों में अनियमित या अत्यधिक स्क्रिप्स जारी करना शामिल है, जिसमें प्रतिबंधित इकाई सूची में डाली गई संस्थाओं को भी शामिल किया गया है, दोहरे निर्यात लाभों का लाभ उठाना, उचित आशय के बिना या वास्तविक अधिकार से परे स्क्रिप्स जारी करना और ई-स्क्रिप्स के सृजन में देरी या प्रतिबंधों की कमी। इन कमियों से राजस्व पर **₹130.39 करोड़** (डीजीएफटी के अंतर्गत ₹97.62 करोड़ और सीमा शुल्क के अंतर्गत ₹32.77 करोड़) का प्रभाव पड़ा।

अनुपालन के परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने निर्यात आय की प्राप्ति को प्राप्त नहीं करने या देरी से प्राप्त करने, निर्यातित उत्पादों की गलत वर्गीकरण, गलत प्रोत्साहन दरों और अनुसूचियों को गलत तरीके से अपनाने, गलत विनिमय दरों को लागू करने तथा स्क्रॉल सृजन में देरी से या गलत तरीके से जारी करने के कारण कुल **₹472.69 करोड़** (डीजीएफटी के अंतर्गत ₹158.63 करोड़ और सीमा शुल्क के अंतर्गत ₹314.06 करोड़) के अनुचित और अनियमित अनुदान की पहचान की।

आंतरिक नियंत्रण कमियों के देखा गया था, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से जांच के लिए मामलों का चयन नहीं करना और आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करना, जोखिम-आधारित जांच तथा पर्यवेक्षण को सीमित करना शामिल है।

कुल मिलाकर, लेखापरीक्षा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वचालितकरण लागू किए जाने के बावजूद, प्रणालीगत, अनुपालन और आंतरिक नियंत्रण की कमीयां बनी रही, जिससे निर्यात को बढ़ावा देने, उचित लाभ आवंटन सुनिश्चित करने और व्यापार सुगमता के लिए आरओएससीटीएल योजना के उद्देश्यों के कमजोर हुए।

3.18 अनुशंसाएं:

(i) **डीजीएफटी को प्रतिबधित इकाई सूची में शामिल इकाईयों को स्क्रिप्स जारी करने से रोकने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षी नियंत्रण को मजबूत करना**

चाहिए तथा उचित आशय के बिना अनियमित जारी करने के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए (पैरा 3.7.1)

(ii) डीजीएफटी प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदनों का प्रसंस्करण केवल क्षेत्राधिकारी आरए द्वारा ही किया जाए। आरओएससीटीएल लाभों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक संभव हो, स्वचालित सत्यापन पर विचार किया जा सकता है जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल और अपवाद रिपोर्टिंग द्वारा का सहारा लिया जाए (पैरा 3.8.4)

(iii) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली को डीजीएफटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है ताकि प्रतिबंधित इकाई सूची में आईईसी के लिए आरओएससीटीएल लाभों को स्वचालित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके, जबकि ऐसे लाभों की अनुमति केवल उन मामलों में दी जा सके जहां एक स्थगन आदेश जारी किया गया है और यह मान्य है (पैरा 3.12.1)।

(iv) फेमा, 1999 के अंतर्गत निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी के लिए अनुवर्ती तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि निर्यात आय की प्राप्ति न होने के मामलों में ब्याज सहित अयोग्य आरओएससीटीएल क्रेडिट की वसूली की सुविधा हो सके (पैरा 3.13.1)।

(v) विभाग गलत वर्गीकरण और अधिक प्रोत्साहन दावों को रोकने के लिए, जहाँ तक संभव है, वैधता नियंत्रण को बेहतर बनाने पर विचार कर सकता है (पैरा 3.13.2)।

(vi) विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि अतिरिक्त भुगतानों को रोकने के लिए आरओएससीटीएल लाभों की गणना करने के लिए ईडीआई प्रणाली एलईओ तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों को लागू करे (पैरा 3.13.3)।

(vii) विभाग को आरओएससीटीएल लाभों के शीघ्र वितरण की सुविधा के लिए प्रणाली आधारित निगरानी के माध्यम से समय पर स्क्रॉल का सृजन सुनिश्चित करना चाहिए (पैरा 3.13.4)।

अध्याय IV

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं और विदेश व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

4.1 प्रस्तावना

सीमा शुल्क, एक अप्रत्यक्ष कर है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत लगाया जाता है। यह अधिनियम मौलिक कानून है जो विभिन्न प्रकार के पोतों, विमानों और वस्तुओं, यात्रियों के देश में प्रवेश एवं निकास को विनियमित करता है। अन्य कर कानूनों की भांति, सीमा शुल्क अधिनियम मुख्यत: शुल्क उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित है, परंतु साथ ही इसके कई अन्य समान महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है, जैसेः (i) आयात एवं निर्यात का विनियमन; (ii) घरेलू उद्योग की सुरक्षा; (iii) तस्करी की रोकथाम, तथा (iv) विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण एवं संवर्धन। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, भारत से आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित दरों पर उद्ग्रहीत किया जाएगा।

4.2 सीमा शुल्क अधिकारियों की निर्धारण भूमिका में विभिन्न अधिसूचनाओं या निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत दावा किए गए किसी भी छूट या लाभ को ध्यान में रखते हुए सही शुल्क देयता निर्धारित करना सम्मिलित है। उन्हें यह भी सत्यापित करना होगा कि क्या आयातित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध तो नहीं हैं और यदि ऐसा है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक अनुमति, लाइसेंस अथवा परमिट प्राप्त किए गए हैं। शुल्क निर्धारण के लिए मुख्यत: आयातित वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ के अंतर्गत सटीक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें व्याख्याओं के नियमों के साथ-साथ भाग एवं अध्याय की टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा इसमें संबंधित छूट अधिसूचनाओं को सही रूप से लागू किया जाना, जहां लागू हो, एवं विदेश व्यापार नीति की प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करना सम्मिलित है।

4.3 लेखापरीक्षा नमूना

वि.व. 24 के दौरान, देश भर के 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में कुल 931 लाख आयात एवं निर्यात संव्यवहार सृजित किए, जिसमें बिल ऑफ एंट्री (बीई) और शिपिंग बिल (एसबी) सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा जांच में 47 आयुक्तालयों को सम्मिलित किया गया, जो एक साथ 109.52 लाख संव्यवहार (बिल ऑफ एंट्री-47.40 लाख और शिपिंग बिल-62.12 लाख) थे, जो कि कुल संव्यवहारों का 11.76 *प्रतिशत* है। लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, 6.48 लाख संव्यवहारों का चयन किया, जो लेखापरीक्षित आयुक्तालयों में सृजित संव्यवहारों का 5.92 *प्रतिशत* था।

4.3.1 सृजित, लेखापरीक्षित अभिलेखों के नमूने और की गई वसूलियां

47 आयुक्तालयों में से जिनकी विस्तृत लेखापरीक्षा की गई, को क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों ने स्थानीय जोखिम विश्लेषण के आधार पर भौतिक लेखापरीक्षा के लिए 4.33 लाख बिल ऑफ एंट्री (9.13 *प्रतिशत*) एवं 2.15 लाख शिपिंग बिल (3.46 *प्रतिशत*) का चयन किया। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क आयुक्तालयों और डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरणों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ वाले 105 महत्वपूर्ण मामलों की पहचान की गई। अन्य छोटी-मोटी अनियमितताओं के बारे में सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित किया गया था।

तालिका 4.1: आयुक्तालयों में सृजित किए गए/लेखापरीक्षित अभिलेख

विवरण	अखिल भारतीय 70 आयुक्तालय (लाख में)	47 आयुक्तालयों का नमूना लिया गया (लाख में)	47 आयुक्तालयों में कुल का *प्रतिशत* (कुल. 3/कॉलम 2)	47 आयुक्तालयों में लेखापरीक्षित अभिलेखों का *प्रतिशत* (पंक्ति 3/पंक्ति 2)
1	2	3	4	5
सृजित अभिलेख (बीई+एसबी)	931	109.52	11.76	
लेखापरीक्षित अभिलेख (बीई+एसबी)		6.48	0.70	5.92

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए गैर-अनुपालन के मामलों को मुख्य रूप से निम्नानुसार समूहीकृत किया जा सकता है:

I. आयात का गलत वर्गीकरण (**पैराग्राफ 4.4.1 से 4.4.15**)।

II. अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग:

क) आईजीएसटी अधिसूचना को लागू करने में त्रुटियां (**पैराग्राफ 4.5.1 से 4.5.4**)।

ख) छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग (**पैराग्राफ 4.5.5 से 4.5.12)**।

III. निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन (**पैराग्राफ 4.6.1 से 4.6.9)**।

IV. अन्य अनियमितताएं (**पैराग्राफ 4.7.1 से 4.7.2**)

नीचे दी गई **तालिका 4.2** में चिन्हित मुद्दों की स्थिति और मार्च 2026 तक की वसूली को दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: आपत्ति, स्वीकृति और वसूली वाले मामले

पैरा समूह	आयातों का गलत वर्गीकरण	अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग	निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन	अन्य अनियमितताएं	कुल
आपत्ति वाले पैरा की संख्या	51	33	15	6	**105**
स्वीकृत पैरा	51	32	15	6	**104**
पैरा के अनुसार वसूली	24	18	11	3	**56**
आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	3,324	1,584	1,322	206	**6,436**
स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	2,556	1,324	1,322	206	**5,408**
वसूली गई राशि (₹ लाख में)	709	478	785	52	**2,024**

मंत्रालयों/विभागों ने 104 पैराग्राफ को स्वीकार किया है तथा एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन सहित ₹54.08 करोड़ के धन मूल्य से संबंधित सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं तथा सीमा शुल्क के गलत निर्धारण से संबंधित 56 मामलों में ₹20.24 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

यद्यपि मंत्रालय ने 104 मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, फिर भी यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि ये केवल सीमित संख्या में नमूना जांच किए गए मामले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि निर्धारण में भूल एवं चूक की ऐसी त्रुटि, बहुत बड़े संव्यवहारों के परिक्षेत्र में सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता मौजूद हो सकती है।

4.4 आयात का गलत वर्गीकरण

आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होता है। लागू शुल्कों का अधिरोपण आयातित वस्तु पर लागू वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 51 मामलों में गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली पाई। इन मामलों में से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व निहितार्थ सम्मिलित था, जो ₹33.24 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव के बराबर है, और इस अध्याय में शामिल किया गया है। ₹10 लाख से कम मूल्य वाले आयातों के गलत वर्गीकरण के मामलों को संबंधित आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया गया है।

22 आयुक्तालयों में पाए गए गलत वर्गीकरण के 51 मामलों में से, 15 मामले जिनमें कुल ₹26.54 करोड़ का राजस्व निहितार्थ सम्मिलित है, की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है, जबकि शेष 36 मामले जिनमें ₹6.71 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ सम्मिलित है, को **अनुलग्नक 23 (ए, बी, सी)** में सूचीबद्ध किया गया है। विभाग ने सभी 51 मामलों को स्वीकार कर लिया था तथा 24 मामलों में ₹7.09 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

4.4.1 'मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरणों के पुर्जों' के रूप में 'मोटर वाहनों के लिए क्लच और पुर्जों का गलत वर्गीकरण'

शीर्ष 8701 से 8705 तक मोटर वाहनों के पुर्ज़े एवं सहायक उपकरण 8708 शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। क्लच एवं उनके पुर्ज़ों को सीटीएच 870893 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यह 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी के अधीन उदग्राहय है (दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (दर), अनुसूची IV, क्रम सं. संख्या 170}।

मेसर्स. 'डी' प्रा. लि. एवं सात अन्य कंपनियों ने चेन्नई II सीमा शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से मोटर वाहनों के लिए विभिन्न प्रकार के क्लच (जैसे एक्ट्यूएटर असेंबली क्लच/ट्यूब कनेक्टर असेंबली क्लच/डैम्पर असेंबली क्लच आदि) की 151 खेपों का आयात किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 8414, 8474, 8482, 8483 (मशीनरी एवं यांत्रिकी उपकरण के पुर्जों को कवर करने वाले) और सीटीएच 870840, 870850, 870899 (अन्य मोटर वाहन पुर्जों को कवर करने वाले) के अंतर्गत सीटीएच 870893 के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकरण करने के स्थान पर गलत वर्गीकृत किया गया था। इन्हें शून्य दर/पांच/6.25/7.5 *प्रतिशत* पर बीसीडी और 18/28 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी लगाते हुए निकासी दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम से आयात के लिए उपलब्ध रियायती बीसीडी दरें सीटीएच 870893 के अंतर्गत वर्गीकृत वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं थीं। परिणामस्वरूप, इस शीर्ष के अंतर्गत आयात 15 *प्रतिशत* पर बीसीडी और 28 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी के अनुप्रयोग योग्य है। इस गलत वर्गीकरण के कारण ₹6.42 करोड़ का कम सीमा शुल्क लगाया गया।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022/जनवरी 2023/फरवरी 2024), विभाग ने सूचना दी (फरवरी 2025) कि दो आयातकों (मेसर्स. 'ई' प्रा. लि. और मेसर्स. 'एफ' लि.) से ₹0.76 लाख की वसूली की गई है, एक आयातक (मेसर्स. 'डी' प्रा. लि.) से ₹1.42 करोड़ की आंशिक मांग की पुष्टि की गई है और पांच आयातकों को एससीएन जारी किए गए हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.4.2 'विटामिन/प्रो-विटामिन' आयात को 'पशु आहार सामग्री' के रूप में गलत वर्गीकरण

सीमा शुल्क टैरिफ की पहली अनुसूची की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के नियम 3 (क) के अनुसार, जब वस्तु दो या अधिक शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वह शीर्ष, जो अधिक विशिष्ट विवरण प्रदान करता है, को अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षों में प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रो-विटामिन, विटामिन और उनके व्युत्पन्न जब विटामिन के रूप में मुख्यत: उपयोग किए जाते हैं, भले ही विलायक के साथ मिश्रित किए गए हों अथवा नहीं, सीमा शुल्क टैरिफ (सीटीएच) के अंतर्गत 2936 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। इस संबंध

में माननीय उच्चतम न्यायालय की वृहद पीठ ने सीमा शुल्क (आयात) आयुक्त, मुंबई बनाम. मेसर्स. 'जी' [2018 (361) ई.एल.टी. 577] ने कहा कि पशु आहार के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट/कच्चा माल अलग-अलग वस्तुएं हैं और उन्हें स्वयं पशु आहार के रूप में माना नहीं जा सकता है। परिणामस्वरूप, केवल जलीय जीवों/कुक्कुट पालन/मवेशियों के लिए तैयार और उपयोग के लिए तैयार आहार उत्पाद सीटीएच 2309 या सीटीएच 2301 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

इसके अलावा, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है, राजस्व विभाग ने अपने परिपत्र सं. 80/54 /2018-जीएसटी, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 क्र.सं. 5, सीटीएच 2309 में अनाज एवं प्रोटीन जैसे अन्य अवयवों के साथ संयोजन में विटामिन का उपयोग करके तैयार किए गए आहार सप्लीमेंट सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, मेसर्स. 'एच' लि. के मामले में सीमा शुल्क अग्रिम निर्णय[24] एवं इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने 2012 (275) ई.एल.टी. 326 (सभी), में अभिलेखित किया कि कि पशु आहार के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च सांद्रता वाले विटामिन (40 *प्रतिशत* से 98 *प्रतिशत* तक) को सीटीएच 2936 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, सीटीएच 2936 के अंतर्गत वर्गीकृत विटामिन/प्रो-विटामिन पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी (अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, क्र.सं. 185 दिनांक 30 जून 2017) और 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी {अधिसूचना सं.1/2017-एकीकृत कर (दर), अनुसूची III, क्र. सं. 40, दिनांक 28 जून 2017} लागू होता है।

मेसर्स. 'आई' प्रा. लि. एवं अन्य ने वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान चेन्नई -II सीमा शुल्क (आयात) आयुक्तालय के माध्यम से 114 बीई से जलीय जीवों/कुक्कुट पालन/मवेशियों के आहार की तैयारी के लिए विटामिन/प्रो-विटामिन का आयात किया। आयातित वस्तुओं को गलत तरीके से सीटीएच 2309 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 20/15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी (उक्त सीमा शुल्क अधिसूचना सं.50/2017 दिनांक 30 जून 2017 के क्र.सं.118 और 119ए) लगाकर

---

[24] *क्रमांक सीएएआर/एमयूआरएन/एआरसी/24/2022 दिनांक 08-07-2022 (मैसर्स. 'जे' लिमिटेड, मुंबई बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (III), मुंबई)*

निकासित किया गया था, साथ ही आईजीएसटी से छूट दी गई थी {आईजीएसटी अधिसूचना सं.02/2017- एकीकृत कर(दर) दिनांक 28 जून 2017 की क्र.सं. 102}। उपरोक्त निर्णयों और सीमा शुल्क अग्रिम प्राधिकरण निर्णय को देखते हुए, आयातित वस्तुओं को सीटीएच 2936 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस पर 7.5 *प्रतिशत* बीसीडी और 18 *प्रतिशत* आईजीएसटी लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप ₹4.37 करोड़ का कम शुल्क वसूल गया, जिसे लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना था।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने (मार्च 2025) बताया कि सभी 15 आयातकों से मांगों की पुष्टि की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.4.3 'आवाज़, छवि अथवा अन्य डेटा के प्रसारण या प्राप्ति के लिए उपकरण' का सेलुलर नेटवर्क के लिए टेलीफोन' के रूप में गलत वर्गीकरण

'आवाज़, छवि अथवा अन्य डेटा के प्रसारण या प्राप्ति के लिए अन्य उपकरण जिनमें वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क में संचार के लिए उपकरण' भी सम्मिलित हैं- सीटीएच 85176990 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और इन पर 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

मेसर्स. 'के' लि. एवं दस अन्य ने एसीसी-आयात, नई दिल्ली के माध्यम से 31 बीई के अंतर्गत (जून 2020 से मार्च 2022) आईपी नेटवर्क टेलीफोन/एसआईपी फोन/आईपी फोन आयात किए। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 85171190/ 85171810/ 85171890 के अंतर्गत गलत तरीके से "सेल्युलर नेटवर्क के लिए टेलीफोन" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उन्हें बीसीडी (सीमा शुल्क अधिसूचना सं. (i) 24/2005-सीमा शुल्क दिनांक 01 मार्च 2005, क्र.सं. 13डी/13बी और (ii) 57/2017, दिनांक 30 जून 2017 क्र.सं. 4)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयातित वस्तुएं अर्थात आईपी नेटवर्क टेलीफोन/एसआईपी फोन/आईपी फोन इंटरनेट जैसे आईपी नेटवर्क पर कॉल करने और प्रसारित करने के लिए वॉयस ओवर आईपी तकनीक का उपयोग करता है। परिणामस्वरूप, इन वस्तुओं को सीटीएच 85176990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जो छूट के बजाय 20 *प्रतिशत* पर बीसीडी लगता है। गलत वर्गीकरण के कारण कुल ₹3.22 करोड़ का शुल्क वसूला गया।

यह इंगित किए जाने पर, (जून 2022**),** वित्त मंत्रालय**,** राजस्व विभाग ने (मार्च 2026**)** छः आयातकों से ब्याज सहित ₹5.63 करोड़ की वसूली की सूचना दी**,** चार आयातकों से पुष्टि की और शेष एक आयातक को एससीएन जारी किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026**)** ।

4.4.4 'भूमिगत खनन के लिए डंपर ट्रक' का 'फ्रंट एंड शोवेल लोडर/मैकेनिकल शोवेल' के रूप में गलत वर्गीकरण

8 टन से अधिक व अधिकतम 10 टन के निवल भार (वहन क्षमता को छोड़कर) की वहन क्षमता वाले डंपर ट्रकों को सीटीएच 87041010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और 40 *प्रतिशत* की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है।

विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा जारी नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) के स्पष्टीकरणात्मक नोट्स के अनुसार, भूमिगत खनन के लिए रूपरेखा तैयार की गई और आठ टन से अधिक वजन वाले डंपर ट्रक को सीटीएच 87041010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वर्गीकरण की पुष्टि दिनांक 11 मार्च, 2021 को अग्रिम निर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण, मुंबई ने अपने निर्णय में की थी।

मेसर्स. 'एल' प्रा. लि. ने कोलकाता (पत्तन) के माध्यम से डंपर ट्रकों की दो खेप (दिसंबर 2021/मार्च 2022) का आयात किया। माल को 84295100/ 84295900 के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था और डंपर ट्रकों के लिए 40 *प्रतिशत* और 28 *प्रतिशत* की सही लागू दर के बजाय 7.5 *प्रतिशत* बीसीडी और 18 *प्रतिशत* आईजीएसटी के भुगतान पर मंजूरी दी गई थी। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹2.82 करोड़ का कम शुल्क वसूल किया गया।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2023) विभाग ने (दिसंबर 2023) सूचित किया कि एससीएन जारी किया गया है (दिसंबर 2023)। एससीएन की अधिनिर्णयन स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.4.5 'सौर पैनलों' को 'अन्य प्रकाश संश्लेषण अर्धचालक उपकरणों' के रूप में गलत वर्गीकरण

फोटोवोल्टिक सेल, चाहे वे मॉड्यूल में लगे हों या पैनल में सम्मिलित हों, सीटीएच 85414200 या 85414300 के अंतर्गत आते हैं और इन पर 40 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी (दिनांक 01 अप्रैल 2022 से) और 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है।

मेसर्स. 'एम' प्रा. लि. ने (फरवरी 2023) चेन्नई II सीमा शुल्क आयुक्त के माध्यम से 'सोलर पैनल' की एक खेप का आयात किया। आयातित वस्तु को सीटीएच 85414900 के अंतर्गत गलत तरीके से "अन्य प्रकाश संश्लेषण अर्धचालक उपकरण" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पांच *प्रतिशत* की दर से "शून्य" बीसीडी (अधिसूचना सं. 24/2005-सीमा शुल्क दिनांक 01 मार्च 2025) और आईजीएसटी को मंजूरी दी गई थी।

यह पाया गया कि सौर मॉड्यूल या सौर पैनल जो मॉड्यूल या पैनल में संकलित फोटोवोल्टिक सेल हैं, उन्हें सीटीएच 85414300 के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये अधिसूचना 24/2005-सीमा शुल्क के अंतर्गत बीसीडी छूट के लिए पात्र नहीं हैं और इसलिए 40 *प्रतिशत* पर बीसीडी और 12 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी लगाया जाता है। गलत वर्गीकरण और छूट का गलत उपयोग करने के परिणामस्वरूप ₹2.77 करोड़ का कम सीमा शुल्क उद्ग्रहण हुआ था।

यह इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने (मार्च 2026) ₹2.88 करोड़ की वसूली की सूचना दी, जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है।

4.4.6. 'इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम)- स्वचालित उपकरण' का 'उपकरणों के पुर्जों एवं सहायक उपकरण' के रूप में गलत वर्गीकरण

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल (ईसीएम) एक स्वचालित ऑनबोर्ड कंप्यूटर को सीटीएच 90328990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। हालांकि, 'स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरणों के पुर्ज़े एवं सहायक उपकरण' पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

मेसर्स. 'एन' प्रा. लि. ने एसीसी-आयात, नई दिल्ली के माध्यम से ईसीएम ए36बी की 41 खेप (मई 2022 से जून 2023) का आयात किया। वस्तुओं को सीटीएच

90329000 के अंतर्गत "स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरणों के अन्य पुर्जों और सहायक उपकरण" के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और उन्हें 15 *प्रतिशत* की लागू दर के बजाय 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी वसूलने के लिए स्वीकृति दी गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तुएं 'ईसीएम ए36बी' वास्तव में मोटर वाहनों में एक या अधिक विद्युत प्रणालियों या उप-प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम) हैं। ये स्वचालित नियंत्रण उपकरण/साधन के रूप में योग्य हैं और इसलिए सीटीएच 90328990 के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत हैं और 'पुर्जों/उपकरणों' के रूप में नहीं। तदनुसार, वस्तुएं 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी देय है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.15 करोड़ का कम शुल्क वसूला गया।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2024), विभाग ने (जुलाई 2024) सूचित किया कि आयातक को एससीएन (मई 2024) जारी किया गया है। एससीएन का अधिनिर्णयन विभाग के पास लंबित था (मई 2026) ।

4.4.7 वेफर बनाने वाली मशीनों को 'अध्याय 84 में गैर-निर्दिष्ट बेकरी मशीनों' के रूप में गलत वर्गीकरण

'खाना पकाने एवं गर्म करने के लिए औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी' को सीटीएच 84198190 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाता है।

मेसर्स. 'ओ' लि. और पांच अन्य ने दिल्ली के आईसीडी, तुगलकाबाद के द्वारा "वेफर बनाने वाली मशीनों" की आठ खेपें (दिसंबर 2020 से सितंबर 2022 के बीच) आयात कीं। आयात की गई वस्तुओं को सीटीएच 84381010/ 84381020 के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया - यानी 'अध्याय 84 में गैर-निर्दिष्ट बेकरी मशीनरी'- और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 50/2017 दिनांक 30 जून 2017, क्र.सं. 458 का लाभ प्रदान करने के बाद पांच *प्रतिशत* बीसीडी लगाकर उन्हें निकासी दी गई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तुएं वेफर बनाने वाली मशीनें हैं, जिसमें ऊष्मा के माध्यम से खाद्य सामग्री पकाना सम्मिलित है। सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 84 के व्याख्यात्मक नोट के अनुसार, खाना पकाने और खाना गर्म करने के लिए मशीनरी और संयंत्र को सीटीएच 8438 के अंतर्गत वर्गीकरण से बाहर रखा गया है और इसके स्थान पर सीटीएच 8419 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तदनुसार, आयातित वस्तुओं को सीटीएच 84198190 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पूर्वोक्त अधिसूचना क्र.सं. 458 के अंतर्गत पांच *प्रतिशत* पर बीसीडी के लिए पात्र नहीं हैं। गलत वर्गीकरण और अधिसूचना लाभ के कारण गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹1.15 करोड़ का कम सीमा शुल्क उदग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2023) विभाग ने दो आयातकों (मेसर्स. 'पी' प्रा. लि. एवं मेसर्स. 'क्यू' प्रा. लि.) से ₹2.67 लाख और ₹1.27 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी, तीन आयातकों से ₹10.73 लाख (मेसर्स. 'आर' लि., मेसर्स 'एस' प्रा. लि. एवं मेसर्स. 'टी' प्रा. लि.) की मांगों की पुष्टि (फरवरी/अप्रैल 2024/जनवरी 2025) की) और मेसर्स. 'ओ' लि. को ₹1.02 करोड़ का एससीएन (मार्च 2024) जारी किया।

4.4.8 'सिग्नल प्राप्त करने, अन्वेषण, संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए प्रणाली' का 'मापने या जांच करने वाले उपकरणों के लिए अन्य मशीनों' के रूप में गलत वर्गीकरण

'सिग्नल प्राप्त करने, अन्वेषण, संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए प्रणाली' को सीटीएच-85176290 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो 'आवाज़, छवियों या अन्य डेटा की प्राप्ति, रूपांतरण और संचरण या पुनर्सृजन के लिए अन्य मशीनों' के रूप में है और 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाता है।

मेसर्स. 'यू' लि. ने एसीसी-आयात, नई दिल्ली के माध्यम से "सिग्नल प्राप्त करने, अन्वेषण, संग्रहण एवं विश्लेषण सहित स्पेयरस के लिए टीसीआई मॉडल 903-2 ब्लैकबर्ड नेक्स्टजेन सिस्टम" की एक खेप (जुलाई 2020) का आयात किया। आयातित वस्तु को सीटीएच 90318000 के अंतर्गत गलत तरीके से 'अन्य उपकरणों, साधनों तथा मापने या जांच करने वाले उपकरणों के लिए मशीनों के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो अध्याय 90 में कहीं और निर्दिष्ट या सम्मिलित

नहीं हैं' और इस पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उद्ग्रहण के साथ स्वीकृति दी गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तु सिग्नल अन्वेषण, पहचान, दृश्यकरण, संग्रहण, वाइडबैंड रिकॉर्डिंग, जियोलोकेशन, विश्लेषण एवं सूचना के लिए एक पूर्णत: एकीकृत प्रणाली है। इस प्रणाली को सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 7.5 *प्रतिशत* के स्थान पर 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाता है। परिणामस्वरूप, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹93.03 लाख का कम सीमा शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने (जुलाई 2023) आयातक से ₹93.03 लाख की मांग की पुष्टि की।

4.4.9 'ईथरनेट स्विच एवं सहायक उपकरण' का 'स्वचालित डेटा प्रसंस्करण मशीनों' के रूप में गलत वर्गीकरण

'डिवाइस सर्वर- ईथरनेट स्विच एवं सहायक उपकरण' को सीटीएच 85176990- के अंतर्गत 'वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क में आवाज़, छवि या अन्य डेटा के प्रसारण या प्राप्ति के लिए अन्य उपकरण' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाना चाहिए।

मेसर्स. 'वी' प्रा. लि. बेंगलुरु, ने बेंगलुरु-एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्तालय के माध्यम से 17 'बिल ऑफ़ एंट्री' के अंतर्गत अलग-अलग 'डिवाइस सर्वर एवं एक्सेसरीज़' का आयात किया (अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक)। इन सामानों का गलत वर्गीकरण किया गया और इन्हें सीटीएच 84715000 के अंतर्गत स्वीकृति दी गई - अर्थात 'प्रसंस्करण इकाईयां, भले ही उनमें एक ही प्रतिष्ठान में संग्रहण इकाईयां, इनपुट इकाईयां और आउटपुट इकाईयां सम्मिलित हों या न हों'। इस वर्गीकरण के आधार पर, आयात की गई वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2005, क्र.सं. 8 दिनांक 01 मार्च 2005 के अंतर्गत बीसीडी से छूट थी।

संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तुओं में ईथरनेट स्विच, ईथरनेट लैन में संचार के लिए बनाई गई वस्तुएं, सीरियल से फाइबर ऑप्टिकल कन्वर्टर आदि सम्मिलित हैं। इन उत्पादों को सीटीएच 85176990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया

जाना चाहिए, जो बीसीडी छूट के लिए पात्र नहीं हैं। परिणामस्वरूप, गलत वर्गीकरण के कारण ₹73.10 लाख का कम शुल्क उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022) विभाग ने (नवंबर 2024) कहा कि सितंबर 2023 में जारी और इसी तरह के अन्य आयातों के साथ इस मामले को कवर करने वाला ₹1.09 करोड़ का एससीएन वर्तमान में निर्णयाधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.4.10 यीस्ट एक्स्ट्रैक्ट का गलत वर्गीकरण

'यीस्ट (सक्रिय अथवा निष्क्रिय); अन्य एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव, मृत (लेकिन शीर्ष 3002 की वैक्सीन सम्मिलित नहीं हैं); तैयार बेकिंग पाउडरः संवर्धन यीस्ट को सीटीएच 21021010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और 30 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

मेसर्स. 'डब्ल्यू' प्रा. लि. ने (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022) जेएनसीएच, मुंबई आयुक्तालय के माध्यम से औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए 'एंजेल यीस्ट एक्सट्रैक्ट-माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडिया' की 16 खेपों का आयात किया और सीटीएच 3821 के अंतर्गत माल को 'सूक्ष्मजीवों (वायरस और इसी प्रकार के) या पौधे, मानव या पशु कोशिकाओं के विकास या रखरखाव के लिए तैयार कल्चर मीडिया' के रूप में घोषित किया।

लेखापरीक्षा से पता चला है कि आयातक मेसर्स. 'डब्ल्यू' प्रा. लि. खाद्य, पोषण एवं व्यक्तिगत देखभाल उद्योग में संलग्न है। उत्पाद विवरणिका के अनुसार, आयातित वस्तु का उपयोग खाद्य उद्योग में विभिन्न उत्पादों में स्वाद एवं ज़ायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। बीई में घोषित मद विवरण में यह भी संकेत दिया गया था कि आयातित वस्तुओं का औद्योगिक अनुप्रयोग उद्देश्य नहीं था। चूंकि वस्तुएं सूक्ष्मजीवों के विकास या रखरखाव के लिए अपेक्षित नहीं है, इसलिए वे सीटीएच 3821 के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं। तदनुसार, उत्पाद को सीटीएच 21021010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिस पर 30 *प्रतिशत* बीसीडी लगाया जाता है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹61.20 लाख की सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022) विभाग ने बताया कि ₹61.20 की मांग की पुष्टि हो चुकी है (फरवरी 2025) और इसके बराबर राशि का जुर्माना भी लगाया गया है।

4.4.11 'रियोलॉजी मॉडिफायर' का 'अन्य चिकनी मिट्टी के रूप में, भले ही कैल्सीकृत मिट्टी है अथवा नहीं' गलत वर्गीकरण

रासायनिक उत्पाद 'रियोलॉजी मॉडिफायर' को सीटीएच 38249900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो कि "रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के अन्य रासायनिक उत्पाद और तैयारियां हैं, जो सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 38 में कहीं और निर्दिष्ट अथवा सम्मिलित नहीं किया गया" है और इस पर 7.5 *प्रतिशत* की बीसीडी और 18 *प्रतिशत* का आईजीएसटी लगाया जाना है।

मेसर्स. 'एक्स' प्रा. लि. ने जेएनसीएच, मुंबई के माध्यम से (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) 'रियोलॉजी मॉडिफायर' की सात खेपों का आयात किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 25081090 के अंतर्गत गलत प्रकार से "अन्य चिकनी मिट्टी, भले ही कैल्सीकृत मिट्टी; मुल्तानी मिट्टी; अग्निरोधी मिट्टी या भट्ठा मिट्टी, जो उच्च तापमान चीनी मिट्टी सामग्री से संबंधित है" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पांच *प्रतिशत* पर बीसीडी और पांच *प्रतिशत* पर आईजीएसटी को मंजूरी दी गई थी।

रियोलॉजी मॉडिफायरस विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सामग्री के प्रवाह गुणों को समायोजित करते हैं, विशेष रूप से उनकी विस्कॉसिटी, और शियर थिनिंग या शियर थिक्निंग व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये गुण विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण हैं, जैसे कोटिंग्स, चिपकने वाले पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन, जहां सामग्री की स्थिरता पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इनकी प्रकृति को देखते हुए, इन उत्पादों को सीटीएच 38249900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹52.78 लाख का कम शुल्क उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022) विभाग ने (जून 2024) ₹73.06 लाख की वसूली की सूचना दी।

4.4.12 'समान संलग्नक में लगाए गए कई लाउडस्पीकर' को 'पृथक संलग्नक में लगाए गए मल्टीमीडिया स्पीकर' के रूप में गलत वर्गीकरण

पृथक संलग्नको में लगाए गए लाउडस्पीकर को सीटीएच 85182900- "लाउडस्पीकर, चाहे उनके संलग्नकों में लगाए गए है अथवा नहीं-अन्य" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है और 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाना है।

मेसर्स. 'वाई' प्रा. लि. और छः अन्य लोगों ने कोचीन सी पत्तन के माध्यम से 42 बिल ऑफ़ एंट्री के अंतर्गत '5.1 मल्टीमीडिया स्पीकर (पृथक संलग्नकों में लगे हुए)' का आयात किया (फ़रवरी 2018 से अप्रैल 2019 तक)। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 85182200 के अंतर्गत "एक ही संलग्नक में लगाए गए कई लाउडस्पीकर" में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया गया था। विभिन्न संलग्नकों में लगाए गए लाउडस्पीकर होने के कारण इन वस्तुओं को सीटीएच 85182900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹49.62 लाख के कम सीमा शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने आयातकों से कुल ₹49.62 लाख की मांगों (जुलाई 2022 से मई 2023) की पुष्टि की।

4.4.13 'निष्क्रिय ड्राइड यीस्ट' के आयात का गलत वर्गीकरण

'निष्क्रिय ड्राइड यीस्ट को सीटीएच 21022000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इन पर 30 *प्रतिशत* बीसीडी तथा 12 *प्रतिशत* एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लगता है {आईजीएसटी अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), अनुसूची II, क्र. सं. 43 दिनांक 28 जून 2017}।

मेसर्स. 'ज़ेड' प्रा. लि. और मेसर्स. 'एए' प्रा. लि. ने कोलकाता समुद्री पत्तन के माध्यम से (अप्रैल 2020 से जनवरी 2022) 'निष्क्रिय ड्राइड यीस्ट' की नौ खेप आयात की। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 23099090 के अंतर्गत गलत तरीके से "पशुओं के आहार में इस्तेमाल होने वाले अन्य प्रकार के तैयार पदार्थ" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 20/15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को स्वीकृति दी गई थी (दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा शुल्क की

क्र.सं. 118 एवं 119 ए) तथा आईजीएसटी (अधिसूचना सं. 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 की क्र.सं. 102}।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 23 के नोट 1 के अनुसार, सीटीएच 2309 में पशुओं के भोजन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के प्रकार को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें कहीं और निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किया गया है। हालांकि, आयातित माल विशेष रूप से सीटीएच 21022000 के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, यह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी), चेन्नई द्वारा मेसर्स. 'एबी' प्रा. लि. बनाम चेन्नई पत्तन (आयात) (दिनांक 26 नवंबर, 2019) के मामले में न्यायिक रूप से निर्णीत किया गया था कि 'निष्क्रिय ड्राइड यीस्ट (पशु आहार पूरक)' को इसकी विशिष्ट प्रविष्टि सीटीएच 21022000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था न कि सीटीएच 2309 के अंतर्गत अवशिष्ट वर्गीकरण प्रविष्टि में। तदनुसार, आयातित वस्तुओं पर क्रमशः 30 *प्रतिशत* एवं 12 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और आईजीएसटी लगाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप ₹45.12 लाख का कम शुल्क उद्ग्रहण किया गया।

यह इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2021 और जून 2022), विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2023/दिसंबर 2025) कि आयातकों को एससीएन जारी किए गए थे, जिन पर निर्णय दिया जा चुका है। एक मामले में, आयुक्त (अपील) ने आयातक के पक्ष में (अगस्त 2025) निर्णय किया, जिसके खिलाफ विभाग ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर कर रहा है। दूसरे मामले में, आयातक ने निर्णय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026) ।

4.4.14 'केक के औद्योगिक उत्पादन हेतु मशीनरी' को 'खाद्य पदार्थ या पेय तैयार करने की मशीनरी' के रूप में गलत वर्गीकरण

'घरेलू उपयोग के अलावा गर्म करने, पकाने, भूनने, आसवन, वाष्पीकरण और सांद्रता जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सामग्री के संसाधन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी को सीटीएच 84198190 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और 10 *प्रतिशत* पर बीसीडी लगाया जाता है। तदनुसार, केक के औद्योगिक उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी सीटीएच 84198190 के अंतर्गत आती है।

मेसर्स. 'एसी' प्रा. लि. ने आईसीडी, तुगलकबाद-दिल्ली के माध्यम से (मार्च 2022) एक 'केक के उत्पादन के लिए अर्ध-स्वचालित संयंत्र प्रणाली मॉडल आईएसए-800' का आयात किया। वस्तुओं को सीटीएच 84381010 के अंतर्गत 'अध्याय 84 में गैर-निर्दिष्ट बेकरी मशीनरी' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और बीसीडी को पांच *प्रतिशत* पर लगाया गया।

अध्याय 84 के व्याख्यात्मक नोट के अनुसार खाना पकाने और खाना गर्म करने के लिए मशीनरी और संयंत्र को सीटीएच 8438 के अंतर्गत वर्गीकरण से बाहर रखा गया है और सीटीएच 8419 के अंतर्गत कवर किया गया है। तदनुसार, आयातित वस्तुओं को सीटीएच 8419 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और लागू पांच *प्रतिशत* के स्थान पर 10 *प्रतिशत* बीसीडी लगाया जाना चाहिए। आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹44.77 लाख के कम सीमा शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2023) विभाग ने (अप्रैल 2024) **₹**44.77 लाख की मांग की पुष्टि की और आयातक पर ₹चार लाख का जुर्माना भी लगाया।

4.4.15 'इन्फ्रारेड थर्मोमीटर' के गलत वर्गीकरण के कारण बीसीडी का कम उदग्रहण

'डिजिटल थर्मामीटरों' को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 90251910 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और 10 *प्रतिशत* की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया जाता है।

मेसर्स. 'एडी' प्रा. लि. और 31 अन्य कंपनियों ने चेन्नई-एआर सीमा शुल्क के माध्यम से 'इन्फ्रारेड थर्मामीटर[25]' की 37 खेप (अप्रैल से दिसंबर 2020 तक) आयात की थी। इन वस्तुओं को सीटीएच 90182000/90181290/90251990/ 90258090 के अंतर्गत "अल्ट्रा-वायलेट किरण उपकरण/अन्य थर्मामीटर" के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और 7.5 *प्रतिशत* पर बीसीडी के लिए मूल्यांकन किया गया था। आयातित वस्तुएं 'डिजिटल थर्मामीटर' होने के कारण विशिष्ट सीटीएच 90251910 के अंतर्गत वर्गीकरण की पात्र है और इनपर 10 *प्रतिशत* बीसीडी

---

[25]इन्फ्रारेड थर्मामीटर एक तरह का डिजिटल थर्मामीटर है जो ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। आस-पास के तापमान में बदलाव के हिसाब से स्थिर करने के बाद, यह सिग्नल तापमान की यूनिट में दिखाया जाता है।

लगाया जाता है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹44.05 लाख के कम सीमा शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने 24 आयातकों से ब्याज के रूप में ₹0.32 लाख सहित ₹24.25 लाख की वसूली (मार्च 2026) की सूचना दी। विभाग ने यह भी कहा कि चार अतिरिक्त आयातकों को मांगों की पुष्टि की गई थी, जबकि शेष आयातकों को मांग पत्र जारी किए गए थे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.5 अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

परीक्षण जांच में 33 मामलों में विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुचित आवेदन का पता चला, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल था। कुल राजस्व प्रभाव ₹15.84 करोड़ था। ₹10 लाख से कम मूल्य की अधिसूचनाओं के अनुचित कार्यान्वयन के व्यक्तिगत मामलों की रिपोर्ट क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थानीय आयुक्तालयों को दी गई है। विभाग ने 32 मामलों को स्वीकार किया और ब्याज सहित 18 मामलों में ₹4.78 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

33 अभ्युक्तियों को दो श्रेणियों में समूहीकृत किया गया है- 'आईजीएसटी अधिसूचनाओं के अनुप्रयोग में त्रुटियां और छूट अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग'। इन दो श्रेणियों (आईजीएसटी अधिसूचना-चार मामले और छूट अधिसूचना-आठ मामले) में ₹11.69 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 12 मामलों की अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन दो श्रेणियों के ₹4.16 करोड़ के कुल राजस्व वाले शेष 21 मामलों का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक 24** (**ए, बी, सी**) -15 मामलों और **अनुलग्नक 25** (**ए, बी, सी**)-6 मामलें, में दिया गया है।

आईजीएसटी अधिसूचना के अनुप्रयोग में त्रुटियां

सभी आयातों को आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अंतरराज्यीय आपूर्ति माना जाता है और तदनुसार, आईजीएसटी लागू सीमा शुल्क के अलावा आयात पर लगाया जाता है। भारत में आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य पर लगाया जाता है जो उसी अधिनियम के अंतर्गत लागू होने के समय तय किया किया जाता है।

4.5.1 नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर गलत आईजीएसटी दर का अनुप्रयोग

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों के निर्माण के लिए पुर्ज़े; सौर ऊर्जा जनरेटर; ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों के लिए अपशिष्ट; सौर लालटेन/सौर लैंप; आदि जिन्हें सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 84, 85 या 94 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, पर 12 *प्रतिशत* (अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), अनुसूची II; क्र.सं. 201ए दिनांक 28 जून 2017, यथासंशोधित) की दर से आईजीएसटी लगाया जाता है।

मेसर्स. 'एई' प्रा. लि. और तीन अन्य कंपनियों ने (अक्तूबर से नवंबर 2021) अहमदाबाद आयुक्तालाय के अंतर्गत आईसीडी, खोदियार के माध्यम से सीटीएच 85044090 के अंतर्गत वर्गीकृत 'ट्रांसफॉर्मर माइनस पीवी इन्वर्टर'/सोलर इन्वर्टर/पीवी ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर' की सात खेप आयात की। उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I के क्र. सं. 234ए और 234बी के अंतर्गत, पांच *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का भुगतान करके वस्तुओं को निकासित किया गया।

हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पांच *प्रतिशत* आईजीएसटी की दर सिर्फ़ 'ई-वेस्ट/इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन' पर लागू होती है। आयातित वस्तुओं जैसे 'ट्रांसफॉर्मर-लेस पीवी इनवर्टर'/सोलर इनवर्टर/पीवी ग्रिड कनेक्टेड इनवर्टर' अधिसूचना की अनुसूची-II, क्र. सं. 201ए के अंतर्गत आते हैं और इसलिए इन पर 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। इसके परिणामस्वरूप ₹58.56 लाख का कम शुल्क उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2022) विभाग ने तीन आयातकों (मेसर्स. 'एएफ' प्रा. लि. , मेसर्स. 'एजी' प्रा. लि. और मेसर्स. 'एएच' प्रा. लि. - कुल छः बीई)) से ₹53.11 लाख की वसूली की सूचना (नवंबर 2023) दी और शेष आयातक (एक बीई को शामिल करते हुए) से ₹11.54 लाख की मांग की पुष्टि की।

4.5.2 गैर-औषधीय उपयोग के लिए 'मदुरामाइसिन अमोनियम प्योर' के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

दिनांक 28 जून 2017 की आईजीएसटी अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) की "अनुसूची I, II, IV, V या VI में सम्मिलित नहीं की गई वस्तुओं" पर,

अधिसूचना की अनुसूची III, क्र.सं. 453 के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है।

मेसर्स. 'एआई' लि. ने जेएनसीएच आयुक्तालय के माध्यम से 'मदुरामाइसिन अमोनियम प्यूर (गैर-औषधीय के लिए उपयोग-कैप्टिव खपत)' की 12 खेप (अप्रैल 2020 से फरवरी 2022) का आयात किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 30039090 के अंतर्गत "दो या दो से अधिक अवयवों से युक्त अन्य दवाओं" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी के भुगतान पर स्वीकृति दी गई थी (अनुसूची II, पूर्वोक्त अधिसूचना की क्र.सं. 62)।

संवीक्षा जांच से पता चला कि 12 *प्रतिशत* की आईजीएसटी दर दवाओं पर लागू होती है। हालांकि, आयातित वस्तुएं औषधीय उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है और वे केवल कैप्टिव खपत के लिए अभिप्रेत हैं, जिससे ये दवाओं के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अयोग्य मानी गई है। तदनुसार, उक्त अधिसूचना की अनुसूची III, क्र.सं. 453 के अंतर्गत इन वस्तुओं पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप ₹55.94 लाख के कम सीमा शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022) मंत्रालय/विभाग ने (नवंबर 2023/मार्च 2026) ₹55.94 लाख की वसूली के साथ-साथ ₹29.07 लाख के जुर्माने और ब्याज की वसूली की सूचना दी।

4.5.3 डाईसोडियम टेट्राबोरेट (बोरेक्स) के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

“सभी अकार्बनिक रसायन (जो छूट प्राप्त वस्तुओं के लिए अनुसूची या उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड सहित वस्तुओं के लिए अन्य दर अनुसूचियों में निर्दिष्ट हैं) पर 18 *प्रतिशत* (दिनांक 28 जून 2017 की आईजीएसटी अधिसूचना सं. 01/2017 एकीकृत कर (दर), अनुसूची III, क्र.सं. 39) की दर से आईजीएसटी लगता है।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 के दौरान एनएस-I आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुंबई (ज़ोन-II) के माध्यम से ₹2,286 लाख की कीमत वाले "रिफाइंड बोरेक्स- डाइसोडियम टेट्रा बोरेट (नियोबोर बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट)" के आयात से जुड़े

43 बिल ऑफ़ एंट्री (बीई) का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि 15 बीई में ₹54.46 लाख का कम शुल्क उद्ग्रहण किया गया था।

मेसर्स. 'एजे' प्रा. लि. और एक अन्य ने (अप्रैल 2022 से सितंबर 2023) एनएस-I आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुंबई (जोन-II) के माध्यम से डाईसोडियम टेट्राबोरेट की 15 खेप आयात किए। वस्तुओं को सीटीएच 2840 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया और उक्त आईजीएसटी अधिसूचना की अनुसूची II के क्र.सं. 56 के अंतर्गत 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अधिसूचना की क्र.सं. 56 केवल उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर लागू होती है जो 'फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, 1985' के क्र.सं. 1(जी), अनुसूची I, भाग (ए) में वर्णित हैं और जिन्हें उसी आदेश के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा उत्पादित किया गया है। हालांकि, आयातित वस्तुएं 'डायनाडियम टेट्राबोरेट' उर्वरक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं हैं जो उक्त के अंतर्गत आते हैं। तदनुसार, 12 *प्रतिशत* आईजीएसटी का अनुप्रयोग गलत था और आईजीएसटी अधिसूचना की अनुसूची III के अंतर्गत वस्तुओं पर 18 *प्रतिशत* का आईजीएसटी उद्ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार, आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹54.46 लाख का कम शुल्क उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (फरवरी 2024) विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और (अप्रैल 2024) कहा कि विभेदक शुल्क के भुगतान के लिए आयातकों को परामर्शी पत्र जारी किए गए हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026) ।

4.5.4 रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव और रोलिंग मटेरियल के लिए पुर्जों के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

सीटीएच 8607 के अंतर्गत वर्गीकृत रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक के लिए पुर्जों के आयात पर क्रमशः दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 और दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 से 12/18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है।

मेसर्स. 'एके' लि. ने कोलकाता (समुद्री) पत्तन के माध्यम से सीटीएच 8607 के अंतर्गत वर्गीकृत 'रेलवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के पुर्ज़े' की तीन खेप (अप्रैल 2020 से जनवरी 2022) आयात की। माल को 12/18 *प्रतिशत* की लागू दर के

स्थान पर पांच *प्रतिशत*/12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उद्ग्रहण करते हुए निकासी दी गई थी। गलत आईजीएसटी दर के अनुप्रयोग के कारण का ₹54.36 लाख की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022) विभाग ने (जनवरी 2024) ₹54.36 लाख की वसूली की सूचना दी।

छूट की अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

4.5.5 'सब्सक्राइबर एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट' के आयात पर अधिसूचना लाभ का गलत अनुप्रयोग

मल्टीपल-इनपुट-मल्टीपल-आउटपुट (एमआईएमओ) उत्पादों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) को सब्सक्राइबर एंड नेटवर्किंग उपकरण में उपयोग करने के लिए सीटीएच 85177910 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और 10 *प्रतिशत* (दिनांक 30 जून 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 57/2017 की क्र.सं. 22) की दर से बीसीडी लगाया जाता है।

मेसर्स. 'एएल' प्रा. लि. और मेसर्स. 'एएम' लि. ने (फरवरी से जुलाई 2022) एसीसी-आयात, नई दिल्ली के माध्यम से "सब्सक्राइबर एंड नेटवर्किंग उपकरण" के पीसीबीए की 13 खेपों का आयात किया। वस्तुओं को सीटीएच 85177910 के अंतर्गत सही प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन दिनांक 01 मार्च 2005 की अधिसूचना सं. 24/2005-सीमा शुल्क के अंतर्गत बीसीडी से गलत प्रकार से छूट दी गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एमआईएमओ के लिए पीसीबीए को अधिसूचना के क्र.स. 13एस के अंतर्गत मिलने वाली छूट के लाभ से स्पष्टतया: पृथक रखा गया है। तदनुसार, आयातित वस्तुएं पर 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी देय हैं।

इसके अलावा, अधिसूचना सं.24/2005-सीमा शुल्क दिनांक 01 मार्च 2005 के अंतर्गत छूट, इस शर्त के अधीन है कि आयातक सीमा शुल्क (छूट शुल्क दर पर वस्तुओं का आयात) नियमावली 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हैं और आयात के समय छूट का लाभ लेने के लिए एक प्रतिबद्धता प्रदान करते हैं। हालांकि, इन प्रेषणों के लिए न तो प्रमाण पत्र का विवरण और न ही प्रमाण पत्र ईडीआई प्रणाली में उपलब्ध है। इस प्रकार, अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹3.16 करोड़ का कम शुल्क उद्ग्रहण किया गया।

यह भी संज्ञान में आया कि एक आयातक (मेसर्स. 'एएल' प्रा. लि.) ने दिसंबर 2020 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान समान आयात पर 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी का भुगतान किया था।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने (अप्रैल 2023) मेसर्स. 'एएल' प्रा. लि. को पूर्व-परामर्श नोटि जारी किया और अगस्त 2024 में एक अन्य आयातक (मेसर्स. 'एएम' लि.) को भी एससीएन जारी किया गया। अधिनिर्णयन की अग्रेत्तर स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.5.6 अधिसूचना लाभ के गलत अनुप्रयोग के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण

'ब्लैक टाइगर झींगा' को सीमा शुल्क टैरिफ (सीटीएच) शीर्षक 0306 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन वस्तुओं पर दिनांक 1 जनवरी, 2022 तक 30 *प्रतिशत* बीसीडी लगता है (यथासंशोधित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017)।

मेसर्स. 'एएन' प्रा. लि. और मेसर्स. 'एओ' लि. ने (जून 2021 से जनवरी 2022) चेन्नई-एअर सीमा शुल्क, आयुक्तालय VII, चेन्नई के माध्यम से ब्लैक टाइगर झींगा की सात खेपों का आयात किया। वस्तुओं को सीटीएच 03061690 के अंतर्गत सही प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना स.50/2017-सीमा शुल्क के अंतर्गत 10 *प्रतिशत* की कम बीसीडी को लागू कर निकासी दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2022 तक कम बीसीडी दर केवल 'व्हाइट टाइगर[26] झींगा' पर लागू थी और 'ब्लैक टाइगर झींगा' पर नहीं। तदनुसार, जनवरी 2022 तक 'ब्लैक टाइगर झींगा' के आयात पर 30 *प्रतिशत* बीसीडी लगाया गया था। इस प्रकार, अधिसूचना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को गलत तरीके से लागू करने के परिणामस्वरूप ₹1.37 करोड़ की राशि के कम शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

[26] *व्हाइट टाइगर झींगा, झींगा की ही एक और प्रजाति है, जो स्लेटी या हरे रंग की होती है और इसका शरीर लंबा होता है।*

यह इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022) विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (सितंबर 2022) एक आयातक- मेसर्स. 'एएन' प्रा. लि. से ₹26.22 लाख की वसूली की सूचना दी। एक अन्य आयातक के संबंध में वसूली प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.5.7 अधिसूचना लाभ के अनुचित अनुदान के कारण ऑटोमोबाइल पुर्जों के आयात पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

'मोटर वाहनों (सीटीएच 8702), मोटर कारों (सीटीएच 8703) और मोटरसाइकिलों (सीटीएच 8711) में उपयोग के लिए उपयुक्त सीटीएच 90318000 के अंतर्गत वर्गीकृत अन्य उपकरण, यंत्र और मशीनों पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता हैं। हालांकि, इस शीर्ष के अंतर्गत आने वाली अन्य वस्तुएं, जो मोटर वाहनों/मोटर कारों/मोटरसाइकिलों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, 7.5 *प्रतिशत* (दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017 (सीमा शुल्क), क्र.सं. 581बी) की कम दर से बीसीडी पर प्रभार्य हैं ।

मेसर्स. 'एपी' प्रा. लि. और सात अन्य ने चेन्नई II सीमा शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से विभिन्न ऑटोमोटिव पुर्जों की 140 खेपों का (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) आयात किया। इन वस्तुओं को सीटीएच 90318000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 7.5 *प्रतिशत* की कम बीसीडी दर लागू करके निकासी दी गई थी।

संवीक्षा जांच से पता चला कि आयातक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनके द्वारा आयातित वस्तुएं मोटर कारों/मोटर वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। तदनुसार, 7.5 *प्रतिशत* की बीसीडी दर स्वीकार्य नहीं थी। इन वस्तुओं पर 15 *प्रतिशत* की मानक दर पर बीसीडी प्रभार्य था। कम दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹1.34 करोड़ का कम शुल्क उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2023/फरवरी 2024) विभाग ने (फरवरी 2025) सात आयातकों को ₹1.32 करोड़ की वसूली के लिए एससीएन जारी करने और दो आयातकों से ₹1.47 लाख के विभेदक शुल्क की आंशिक वसूली की सूचना दी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.5.8 अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण ऑटोमोटिव उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स के आयात पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

'इलेक्ट्रिक मोटर्स जिनमें यूनिवर्सल एसी/डीसी मोटर्स सम्मिलित हैं, जो सीटीएच 8501 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और मोटर वाहनों (सीटीएच 8702 या 8704), मोटर कारों (सीटीएच 8703) या मोटरसाइकिलों (सीटीएच 8711) में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, इनपर 15 *प्रतिशत* बीसीडी लगता हैं। हालांकि, सीटीएच 8501 के अंतर्गत वर्गीकृत इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो मोटर वाहनों/मोटर कारों/मोटरसाइकिलों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, 10 *प्रतिशत* की बीसीडी दर के लिए पात्र हैं (दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, क्र.सं. 485ए)।

मेसर्स. 'एक्यू' प्रा. लि. और 19 अन्य ने चेन्नई II सीमा शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से ऑटोमोटिव इस्तेमाल (सीटीएच 8501) के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स की 102 खेपें (2021-22) आयात कीं। इन सामानों को सीटीएच 8501 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया और उपरोक्त अधिसूचना की क्र.स. 485ए के अंतर्गत 10 *प्रतिशत* की बीसीडी दर लागू करके निकासित किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल मूल रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग में उपयोग के लिए थे, क्योंकि आयातक मोटर वाहनों/मोटर कारों के निर्माता और आपूर्तिकर्ता हैं। तदनुसार, ये वस्तुएँ उन विद्युत मोटरों पर लागू 10 *प्रतिशत* बीसीडी दर के लिए पात्र नहीं हैं, जो 'मोटर वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं'। इसके स्थान पर, इन वस्तुओं पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाना चाहिए। अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹1.09 करोड़ के कम सीमा शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (मई 2023/अप्रैल 2024) विभाग ने (मई 2024) कहा कि 20 आयातकों को एससीएन/मांग पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें ब्याज के साथ ₹1.48 करोड़ के कम उद्ग्रहण की मांग प्रस्तुत की गई है। जारी किए गए एससीएन/मांग पत्र पर आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.5.9 'ऑटोमोटिव उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल/बोर्ड' के आयात पर अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

मोटर वाहनों (सीटीएच 8702 या 8704), मोटर कारों (सीटीएच 8703) तथा मोटरसाइकिलों (सीटीएच 8711) में उपयोग के लिए उपयुक्त एवं सीटीएच 8537 के अंतर्गत वर्गीकृत 'विद्युत नियंत्रण के लिए बोर्ड, पैनल, कंसोलस' पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल नियंत्रण जो मोटर वाहनों/मोटर कारों/मोटरसाइकिलों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, 7.5 *प्रतिशत* (दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, क्र.सं. 490) की कम दर पर बीसीडी के लिए पात्र हैं।

मेसर्स. 'एआर' प्रा. लि. और अन्य ने चेन्नई II सीमा शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से ऑटोमोटिव उपयोग के लिए 'कंट्रोल पैनल/बोर्ड' की 92 खेपों का (2021-22) आयात किया। इन वस्तुओं को सीटीएच 8537 के अंतर्गत वर्गीकृत तथा पूर्वोक्त अधिसूचना की क्र.सं. 490 के अंतर्गत 7.5 *प्रतिशत* की बीसीडी दर लागू करते हुए निकासित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल ऑटोमोबाइल उद्योग में उपयोग के लिए थे, क्योंकि आयातक मोटर वाहनों/मोटर कारों के निर्माता और आपूर्तिकर्ता हैं। तदनुसार, माल 7.5 *प्रतिशत* की बीसीडी दर के लिए पात्र नहीं हैं जो मोटर वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बल्कि इन वस्तुओं पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹82.40 लाख के कम सीमा शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (मई 2023/मार्च 2024) विभाग ने (मई 2024) बताया कि सात आयातकों को एससीएन/मांग पत्र जारी किए गए हैं, जिनसे ₹47.40 लाख के कम उद्ग्रहण की मांग की गई है और ₹2.77 लाख अन्य तीन आयातकों से वसूल किए गए हैं। शेष पांच आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2026)।

4.5.10 झींगा फ़ीड के आयात पर अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

'सीटीएच 2309 के तहत आने वाले 'पशुओं के आहार' (कुत्ते या बिल्ली के आहार-सीटीएच 23091000 को छोड़कर) पर 15 *प्रतिशत* बीसीडी लगता है (दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क क्र.सं. 119ए,

यथासंशोधित)। हालांकि, 'झींगे के लार्वा आहार' पर पांच *प्रतिशत* (पूर्वोक्त अधिसूचना की क्र.सं. 119) बीसीडी की कम दर लागू होती है ।

मेसर्स. 'एएस' प्रा. लि. एवं तीन अन्य कंपनियों ने (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) चेन्नई II सीमा शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से 'बायो-मरीन डाइजेस्टेबल फीड', 'झींगा हैचरी फीड', 'प्रजनन स्टॉक तथा परिपक्वता झींगा आहार', 'बूस्टर प्रो' आदि की 12 खेप आयात कीं। इन वस्तुओं को सीटीएच 23099031 के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पूर्वोक्त अधिसूचना के क्र.सं. 119 के अनुप्रयोग द्वारा पांच *प्रतिशत* की कम बीसीडी दर लागू करके निकासित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयातित माल 'झींगे का लार्वा आहार' अधिसूचना के क्र.सं. 119 के अंतर्गत पांच *प्रतिशत* की बीसीडी दर के योग्य नहीं है। इसके बजाय, आयातित माल पर अधिसूचना के क्र.सं. 119ए के अंतर्गत 15 प्रतिशत की बीसीडी दर लागू होती है। इसके कारण ₹72.38 लाख का कम सीमा शुल्क उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2023) विभाग ने (जनवरी 2025) बताया कि चार आयातकों के प्रति ₹66.41 लाख की मांग की पुष्टि की गई थी और एक आयातक से ₹3.04 लाख की वसूली की गई थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.5.11 गायों और बकरियों के लिए ऊर्जा पूरक आहार के आयात पर अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

'नुट्राकोर-88' गायों और बकरियों के लिए एक संकेंद्रित ऊर्जा फ़ीड सप्लीमेंट जैसे डेयरी मसाले हैं एवं इसे सीटीएच 23091000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। मलेशिया से नुट्राकोर-88 के आयात दिनांक 1 जून 2011 की अधिसूचना 46/2011-सीमा शुल्क (क्र.स.187) के अंतर्गत बीसीडी छूट के पात्र नहीं है तथा इन पर 20 या 15 *प्रतिशत* की दर, या जैसा भी लागू हो बीसीडी लगाया जाता है। जबकि, कुत्तों या बिल्ली का आहार, जब उसी सीटीएच 23091000 के अंतर्गत खुदरा बिक्री के लिए तैयार किया जाता है, को मलेशिया से आयात किए जाने पर बीसीडी छूट दी जाती है।

मेसर्स. 'एटी' प्रा. लि. ने दिनांक 01 जून 2011 की अधिसूचना 46/2011-सीमा शुल्क, क्र.सं. 187 के अंतर्गत बीसीडी छूट का लाभ उठाते हुए, कोलकाता सी पत्तन के द्वारा मलेशिया से 'नुट्राकोर -88' का आयात किया।

संवीक्षा जांच से पता चला कि बीसीडी से यह छूट कुत्ते या बिल्ली के आहार के लिए उपलब्ध थी और आयातित उत्पाद छूट लाभ के लिए पात्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹50.83 लाख का शुल्क उद्ग्रहण नहीं हो पाया।

यह इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2021/जून 2022) विभाग ने (सितंबर 2023) बताया कि आयातक ने छः बीई के प्रति ₹12.25 लाख का आंशिक भुगतान किया है और शेष बकाया का जल्द ही भुगतान किया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.5.12 'ऑटोमोटिव उपयोग के लिए इंजन नियंत्रण मॉड्यूल-ईसीएम' के आयात पर अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

'अशोक लीलैंड सीएनजी वाहन इंजन का हिस्सा**-** मॉड्यूल ओएच6 उत्पादन नियंत्रण**'** को सीटीएच 90328990 के अंतर्गत **'**अन्य ऑटोमैटिक विनियमित या नियंत्रित उपकरण**'** के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और इस पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। हालांकि**,** सीटीएच 8702**,** 8703**,** 8704 और 8711 के अंतर्गत वर्गीकृत मोटर वाहनों में इस्तेमाल न होने वाले इसी तरह की वस्तुओं पर अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क क्र.सं. 494ए दिनांक 30 जून 2017 के अंतर्गत 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाता है।

मेसर्स. 'एयू' प्रा. लि. ने एसीसी-आयात, नई दिल्ली के माध्यम से 'अशोक लीलैंड ओएच6 उत्पादन नियंत्रण-गैस इंजनों के पुर्जों' के लिए ईसीएम मॉड्यूल की सात खेप (अक्तूबर 2021 से जून 2022) का आयात किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 90328990 के अंतर्गत सही प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अधिसूचना के क्र.सं. 494ए का लाभ के अनुप्रयोग के बाद 7.5 *प्रतिशत* बीसीडी का उद्ग्रहण कर निकासित किया गया था।

आयातक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, आयातित वस्तुएं मोटर वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली हैं, जिनमें ट्रक, बसें और मालगाड़ी सम्मिलित हैं, जिन्हें सीटीएच 8702 व 8704 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

इसलिए, आयातित वस्तुएं पूर्वोक्त अधिसूचना के क्र.सं. 494ए के अंतर्गत 7.5 *प्रतिशत* की बीसीडी दर के लिए पात्र नहीं हैं। तदनुसार, इन आयातों पर लागू बीसीडी 15 *प्रतिशत* था। इसके परिणामस्वरूप ₹43.60 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

यह भी पता चला कि इस आयातक ने एक अन्य अवसर पर भी समान आयातित वस्तुओं पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी का भुगतान किया था।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024/जनवरी 2025) विभाग ने (अक्तूबर 2024) प्रस्तुत किया कि आयातक को एक एससीएन जारी किया गया है। एससीएन के अधिनिर्णयन पर आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.6 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) व्यापार सुविधा एवं व्यापार सुगमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। एफटीपी 2015-2020 को केंद्र सरकार द्वारा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।

लेखापरीक्षा में 15 मामलों में निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने का पता चला**,** जिसमें ₹13.22 करोड़ का राजस्व प्रभाव सम्मिलित है**,** जिसमें 'अपात्र सेवा निर्यात के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स की अनियमित स्वीकृति**,** 'निर्यात दायित्व की गैर-पूर्ति', 'डीटीए निकासी पर शुल्क का कम उदग्रहण और 'निर्यात आय प्राप्ति नहीं होने पर प्रतिअदायगी की वसूली' सम्मिलित है। मंत्रालय/विभाग ने सभी 15 मामलों को स्वीकार कर लिया था और 11 मामलों में मार्च 2026 तक ₹7.85 करोड़ (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी थी। निम्नलिखित पैराग्राफ में नौ मामलों पर चर्चा की गई है और छः अतिरिक्त मामलों का विवरण **अनुलग्नक 26** (**ए और बी**) में दिया गया है।

भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)

एसईआईएस का उद्देश्य भारत से अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। भारत में स्थित अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित शर्तों की

पूर्ति करने पर भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

पात्र सेवाओं के सेवा प्रदाता परिशिष्ट 3 डी में दरों पर निवल विदेशी मुद्रा अर्जित पर 'क्रेडिट शुल्क स्क्रिप' का हकदार होगा। अनुच्छेद 9.51 (**i**) और 9.51 (**ii**) में बताई गई रीति से प्रदान की गई सेवाएं ही केवल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र होंगी। एफटीपी के अनुसार**,** पैरा 9.51 (i) और (ii) के अंतर्गत सेवाओं को परिभाषित किया गया हैः

(i) भारत से किसी अन्य देश को सेवा की आपूर्ति; (प्रकार 1**-** सीमा पार व्यापार)**;**

(ii) किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ताओं को भारत से सेवा की आपूर्ति; (प्रकार 2- विदेश में उपभोग)

पैरा 9.5 (iii) और 9.5 (iv)[27] के अंतर्गत प्रदान की गई किसी अन्य प्रकार से प्रदान की गई 'सेवाएं' योजना के अंतर्गत क्रेडिट शुल्क के लिए अपात्र होंगी।

4.6.1 ईओयू द्वारा सेवा निर्यात के लिए एसईआईएस स्क्रिप की अनियमित स्वीकृति

विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के परिशिष्ट 3 डी (संशोधित) सहपठित पैराग्राफ 3.09 निर्धारित करता है कि 'निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना के अंतर्गत संचालित इकाईयों की सेवाओं से संबंधित निर्यात कारोबार या ऐसी इकाईयों को की गई सेवाओं की आपूर्ति' एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा जांच से पता चला कि फाल्टा विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईज़ेड) के विकास आयुक्त (डीसी) ने मेसर्स. 'एवी' प्रा. लि. (एक 100 *प्रतिशत* ईओयू) और एक अन्य ईओयू को, वर्ष 2015-16 और वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए सेवा निर्यात के लिए क्रमशः ₹254.30 लाख और ₹2.90 लाख मूल्य के दो एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी किए (जनवरी/अप्रैल 2019 में)। सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक

[27]*(iii) किसी अन्य देश में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से भारत से 'सेवा' की आपूर्ति (प्रकार-3 वाणिज्यिक उपस्थिति)*

(iv) किसी अन्य देश में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के माध्यम से भारत से 'सेवा' की आपूर्ति (प्रकार-4 व्यक्ति की उपस्थिति -वाणिज्यिक)

डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली से लेखापरीक्षा सत्यापन में यह पुष्टि हुई कि सभी स्क्रिप का पूर्णत: इस्तेमाल कर लिया गया था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि एसईआईएस लाभ इन ईओयू द्वारा किए गए सेवा निर्यात के संबंध में प्रदान किए गए थे, जो उपरोक्त एफटीपी के अनुच्छेद 3.09 के साथ पठित परिशिष्ट 3 डी के अनुसार एसईआईएस लाभ के लिए पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹2.57 करोड़ के एसईआईएस स्क्रिप्स की अनियमित अनुदान किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, डीजीएफटी ने बताया (दिसंबर 2025) कि मेसर्स. 'एवी' प्रा. लि. से ₹2.55 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है और एक अन्य ईओयू मेसर्स. 'एडब्ल्यू' प्रा. लि.), जिससे ₹2.90 लाख वसूल किया जाना हैं, ने मामले के समाधान के लिए कुछ समय का अनुरोध किया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

4.6.2 मोड 4 के अंतर्गत प्रदान की गई अयोग्य सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप का गलत अनुदान

वि.व. 2020 के दौरान जेडीजीएफटी द्वारा स्वीकृति ₹23.22 करोड़ के 56 एसईआईएस स्क्रिप्स में से ₹10.37 करोड़ के 25 स्क्रिप्स की लेखापरीक्षा में जांच की गई थी और दो स्क्रिप्स में ₹58.87 लाख का अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट अनुदान देखा गया।

मेसर्स. 'एएक्स' प्रा. लि. कोयंबटूर ने, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान 'निर्माण एवं संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं-स्थापना तथा संयोजन कार्य (सीपीसी 514)' के अंतर्गत मोजाम्बिक में दो प्रमुख परियोजनाओं को क्रियान्वियत किया। जेडीजीएफटी, कोयंबटूर ने ₹1.90 करोड़ और ₹58.90 लाख के दो एसईआईएस स्क्रिप्स प्रदान किए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा जांच से पता चला है कि मोजाम्बिक में प्रकार-4 के अंतर्गत निष्पादित अपात्र सिविल एवं निर्माण सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा अर्थात् 'भूमि विकास/फेंसिंग व सीमा दीवार/आंतरिक सड़कों/पैदल मार्गों/पार्किंग क्षेत्रों के लिए पूर्वनिर्मित सामग्री के निर्माण और स्थापना की लागत, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना' एसईआईएस लाभ के लिए अपात्र हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹58.87 लाख

(₹44.61 लाख + ₹14.26 लाख) की अतिरिक्त कुल राशि की एसईआईएस स्क्रिप्स का अनुदान किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, डीजीएफटी ने (अक्टूबर 2025) ₹86.51 लाख की वसूली की सूचना दी जिसमें ₹27.64 लाख का ब्याज सम्मिलित था।

4.6.3 संग्रहीत करों को शामिल करने के कारण एसईआईएस स्क्रिप का अधिक अनुदान

व्यापार सूचना सं.11 दिनांक 21 जुलाई, 2016 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि सेवा कर, वैट, बिक्री कर, या सेवा प्रभारों के साथ संग्रहीत किया गया कोई अन्य कर एसईआईएस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

मेसर्स. 'एवाई' प्रा. लि. ने वि.व. 18 के दौरान कोलकाता पत्तन न्यास को कई पत्तन सेवाएं प्रदान कीं और लागू शुल्क एवं करों सहित बीजक जारी किए। फरवरी 2019 में, कंपनी ने वि.व. 18 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए ₹4.97 करोड़ (यूएस $1=₹64.15) के बराबर यूएस $7.74 लाख के एसईआईएस पुरस्कारों के लिए डीजीएफटी, मुंबई में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें समुद्री परिवहन सेवाओं की श्रेणी के अंतर्गत यूएस $1.35 करोड़ की एनएफई घोषित की गई। आवेदन में वि.व. 19 के दौरान प्रदान की गई यूएस $10.53 लाख की सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया। विभाग ने वि.व. 19 से संबंधित सेवाओं के अंश को अस्वीकार कर दिया और यूएस $1.24 करोड़ (यूएस $1.35 करोड़ - यूएस $0.11 करोड़) के एनएफई पर ₹4.49 करोड़ का एसईआईएस स्क्रिप प्रदान किया।

ई-बीआरसी और दावों के विवरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आवेदक को कुल ₹79.80 करोड़ प्राप्त हुए थे, जिसमें संग्रहीत शुल्क और कर सम्मिलित थे। एसईआईएस के प्रावधानों के अनुसार, पात्र विदेशी मुद्रा प्राप्ति की गणना करते समय करों व उपकरों को शामिल नहीं किया जाता है। लागू करों व उपकरों को छोड़कर, प्रदान की गई सेवाओं के लिए वास्तविक प्राप्त राशि केवल ₹73.18 करोड़ थी। तदनुसार, स्वीकार्य पात्रता ₹3.84 करोड़ की थी, जबकि विभाग ने ₹79.80 करोड़ की सकल प्राप्त राशि को ध्यान में रखते हुए गलत तरीके से ₹4.49 करोड़ के एसईआईएस पुरस्कारों की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹65.40 लाख की एसईआईएस स्क्रिप्स का अतिरिक्त अनुदान किया गया।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021), डीजीएफटी ने (अक्टूबर 2025) ₹65.40 लाख व ₹41.09 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी।

अग्रिम प्राधिकार योजना

अग्रिम प्राधिकार योजना निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिए निर्यात दायित्व की पूर्ति करने पर आवश्यक इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है। यह उत्पादन लागत को कम करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद करता है और भारत की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत डीजीएफटी द्वारा प्रशासित किया जाता है।

4.6.4 अग्रिम प्राधिकार धारक द्वारा निर्यात दायित्व की पूर्ति नहीं करना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के पैराग्राफ 4.22 सहपठित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी) (पैराग्राफ 4.20 और 4.44) और अधिसूचना सं. 18/2015-सीमा शुल्क दिनांक 01 अप्रैल 2025 यह निर्धारित करता है कि अग्रिम प्राधिकार (एए) के प्रति निर्धारित समय सीमा (18 महीने) के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफलता और उसके बाद दो महीने के भीतर निर्यात साक्ष्य जमा न करने की स्थिति में, प्राधिकार धारक (एएच) ब्याज सहित आयातित सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

आरए बेंगलुरु ने मेसर्स. 'एज़ेड' प्रा. लि. को "फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टैंक के सामान" के आयात के लिए ₹7.09 करोड़ की सीआईएफ मूल्य वाला अग्रिम प्राधिकार जारी किया (अप्रैल 2019)। यह इस शर्त पर जारी किया गया था कि लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 18 महीनों के भीतर (यानी सितंबर 2020 तक) ₹8.52 करोड़ कीमत का तैयार माल निर्यात किया जाएगा। इस प्राधिकार के अंतर्गत वहन परित्यक्त शुल्क ₹1.94 करोड़ था।

प्राधिकार धारक ने इनलैंड कंटेनर डिपो, बेंगलुरु के माध्यम से वस्तुओं (अप्रैल 2019) का आयात किया और ₹1.94 करोड़ के शुल्क लाभ का लाभ उठाया। हालांकि, ईओ अवधि (सितंबर 2020) की समाप्ति के बाद दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी प्राधिकार धारक निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, प्राधिकार धारक पर लागू ब्याज के साथ ₹1.94 करोड़ के सीमा शुल्क का भुगतान देय था।

यह इंगित किए जाने पर डीजीएफटी ने (दिसंबर 2025) बताया कि आरए, बैंगलोर ने प्राधिकार धारक को एससीएन जारी किया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026) ।

4.6.5 अग्रिम प्राधिकार धारक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा न करना

आरए बेंगलुरु ने मैसर्स. 'एएए' प्रा. लि. को, ₹2.72 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के "एलडीपीई ग्रैन्यूल" के आयात के लिए एक अग्रिम प्राधिकार दिनांक 30 सितम्बर 2019 जारी किया, जिससे लाइसेंस जारी करने की दिनांक से 18 महीनों (मार्च 2021 तक) के भीतर ₹3.75 करोड़ का तैयार माल निर्यात किए जाने की शर्त थी।

प्राधिकार धारक ने इनलैंड कंटेनर डिपो, बेंगलुरु के माध्यम से दिनांत 30 सितंबर, 2019 को ईडीआई बॉड के अंतर्गत माल का आयात किया और ₹45 लाख की राशि के शुल्क लाभ का लाभ उठाया। प्राधिकार धारक मार्च 2021 में ईओ अवधि की समाप्ति के दो वर्ष से अधिक समय के बाद भी निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। तदनुसार, प्राधिकार धारक ब्याज़ सहित ₹45 लाख के सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। विभाग ने शुल्क और ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2023) डीजीएफटी ने (दिसंबर 2025) बताया कि आरए, बैंगलोर ने प्राधिकार धारक को एससीएन जारी किया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

निर्यातोन्मुख इकाईयां (ईओयू)

जो इकाईयां अपनी सभी वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात करने में सक्रिय हैं (घरेलू टैरिफ क्षेत्र-डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर), उन्हें 'निर्यातोन्मुख इकाई' (ईओयू) योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है। इन योजनाओं का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाना, निर्यात उत्पादन के लिए निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है। व्यापारिक इकाईयां इस योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं।

4.6.6 डीटीए में निकासी पर छूट अधिसूचना के गलत लाभ लेने के कारण मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) का कम उद्ग्रहण

एफटीपी 2015-20 के पैरा 6.08 में कहा गया है कि ईओयू को डीटीए में स्वत: निर्मित माल को निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 *प्रतिशत* तक बेचने की अनुमति है, जो सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जित (एनएफई) और लागू छूट शुल्क के भुगतान के अधीन है। सॉफ्टवेयर इकाईयों सहित सेवा निर्यातकों को प्राप्त विदेशी मुद्रा का 50 *प्रतिशत* तक डीटीए बिक्री करने की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो।

संवीक्षा में पता चला कि मेसर्स. 'एएबी' प्रा. लि. और केएएसईज़ेड, गांधीधाम के अंतर्गत आने वाली तीन अन्य इकाईयों ने "कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट की कोइल्स (जे3 ग्रेड)" के डीटीए में 167 निकासी की। निकासित वस्तुओं को सीटीएच 72209022 के अंतर्गत 'स्टील स्ट्रिप्स निकेल क्रोमियम ऑस्टेनिक' के रूप[28] में वर्गीकृत किया गया था। इन डीटीए निकासी पर सीमा शुल्क का भुगतान दिनांक 30 जून 2018 की छूट अधिसूचना सं. 50/2018-सीमा शुल्क, क्र.सं. 734 का लाभ उठाते हुए 4.125 *प्रतिशत* की रियायती दर पर किया गया था।

हालांकि, आयात दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (मिल नमूना प्रमाण पत्र) की जांच से पता चला कि निकासी प्राप्त वस्तुओं में निकल (एनआई) 1.03-1.07 *प्रतिशत*, क्रोमियम (सीआर) 12.4-12.5 *प्रतिशत* एवं मैंगनीज (एमएन) 9.2-9.4 *प्रतिशत* था। ये *प्रतिशत* निकेल क्रोमियम प्रकार के ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील की निर्धारित संयोजन से बहुत कम हैं। तदनुसार, वे सीटीएच-72209022 के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य नहीं थे। इसके स्थान पर, वस्तुओं को अधिक उपयुक्त रूप से सीटीएच 72209090- के अंतर्गत "अन्य स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स" में वर्गीकरण के योग्य थी और इसलिए उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत बीसीडी की रियायती दर के लिए पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.80 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

---

[28] आईएस 6911:1992 के अनुसार, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस-स्टील ग्रेड में मुख्य रूप से क्रोमियम 16-19 प्रतिशत और निकेल (एनआई) 3.5-6 प्रतिशत (वजन के हिसाब से) एलॉयिंग तत्व होते हैं।

इसके अलावा यह पता चला कि इसी अवधि के दौरान इन इकाईयों द्वारा डीटीए के द्वारा समान निकासित वस्तुओं को कुछ मामलों में सीटीएच 72209090 के अंतर्गत सही प्रकार वर्गीकृत किया था और लागू शुल्क का भुगतान किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर डीजीएफटी ने (दिसंबर 2025) बताया कि एक इकाई-मेसर्स. 'एएबी' प्रा. लि ने ₹5.87 लाख के ब्याज सहित ₹17 लाख का शुल्क जमा किया था एवं मेसर्स. 'एएसी' प्रा. लि. तथा मेसर्स. 'एएडी' प्रा. लि. के सापेक्ष अधिनिर्णयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष इकाई मेसर्स. 'एएई' प्रा. लि. के मामले में, एससीएन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2026)।

4.6.7 डीटीए की बिक्री पर सीमा शुल्क का गैर भुगतान/कम भुगतान

सॉफ्टवेयर इकाईयों सहित सेवा निर्यातकों को डीटीए को अर्जित विदेशी मुद्रा का 50 *प्रतिशत* तक बेचने की भी अनुमति है, जहां ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

संवीक्षा जांच में पता चला कि मेसर्स. 'एएएफ' प्रा. लि. (इकाई ए), और मेसर्स. 'एएजी' प्रा. लि. (इकाई बी), सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में लगे ईओयूएस ने क्रमशः वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 और वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹167.82 करोड़ और ₹8.67 करोड़ की डीटीए बिक्री की।

इकाई ए ने संबंधित अवधि के दौरान ₹275.53 करोड़ मूल्य का निर्यात किया और इसलिए, यह ₹137.76 करोड़ (निर्यात के एफओबी मूल्य का 50 *प्रतिशत*) तक की डीटीए बिक्री करने हेतु पात्र थी। हालांकि, अनुमेय सीमा के सापेक्ष इकाई ने ₹167.82 करोड़ की डीटीए बिक्री की, जो ₹30.06 करोड़ (₹167.82 करोड़ - ₹137.76 करोड़) से अधिक थी। परिणामस्वरूप, इकाई अतिरिक्त डीटीए बिक्री पर लागू ब्याज (₹0.55 करोड़) के साथ ₹1.23 करोड़ का शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी।

इस प्रकार यह संज्ञान में आया कि विनिर्माण में लगी ईओयू इकाई 'बी' ने ₹29.64 लाख की देय सीमा शुल्क राशि का भुगतान किए बिना ₹8.67 करोड़ की डीटीए बिक्री की, जो ब्याज (₹5.99 लाख) के साथ वसूली योग्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सीएसईज़ेड) के विकास आयुक्त ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि (नवंबर 2025) इकाई ए से ₹1.78 करोड़ (ब्याज सहित) और इकाई बी से ₹35.63 लाख (ब्याज सहित) की वसूली की गई।

निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी)

यह योजना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने पर, शून्य या छूट शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है। ईपीसीजी योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करना तथा भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

4.6.8 निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा न करना

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 (पैराग्राफ 5.01) के अंतर्गत आयातित ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर रियायती दर से सीमा शुल्क देकर उनका आयात किया जा सकता है, जिसके लिए लाइसेंस जारी करने की दिनांक से छः वर्ष की अवधि के भीतर ब्लॉक-वॉर (प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका (2015-20) के पैराग्राफ 5.8.3) आधार पर निर्यात दायित्व पूरा करना होता है, जो पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क का छः गुणा होता है। गैर-पूर्ति के मामले में, लाइसेंसधारक ब्लॉक वर्षों से तीन महीने के भीतर, ब्याज के साथ निर्यात दायित्व के गैर-पूर्ति वाले भाग पर सीमा शुल्क का भुगतान करेगा।

आरए बेंगलुरु ने (अप्रैल 2016) मेसर्स. 'एएएच' प्रा. लि., बेंगलुरु को 'तैयार वस्त्र स्वेटर के विनिर्माण और निर्यात के लिए एक बुनाई मशीन' के आयात के लिए ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया था। ₹70 लाख की बचत शुल्क राशि के सापेक्ष, प्राधिकार धारक को लाइसेंस जारी करने की दिनांक से छः वर्ष की अवधि जोकि अप्रैल 2022 तक है, के भीतर ₹4.20 करोड़ (बचत शुल्क का छः गुना) के निर्यात दायित्व को पूरा करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राधिकार धारक ने इनलैंड कंटेनर डिपो, बेंगलुरु के माध्यम से माल का आयात किया था, लेकिन निर्धारित ईओ अवधि की समाप्ति के बाद भी निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, प्राधिकार

धारक लागू ब्याज के साथ ₹70 लाख की सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया।

यह इंगित किए जाने पर डीजीएफटी ने (फरवरी 2026) सूचित किया कि आरए, बेंगलुरु ने (जनवरी 2026) प्राधिकार धारक को एससीएन जारी किया है। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु के सीमा शुल्क आयुक्तालय ने (सितंबर 2023) बांड लागू करने के लिए एक प्रवर्तन आदेश जारी किया था। हालांकि, इस बांड को लागू करने के लिए कृत कार्रवाई का विवरण नहीं दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026) ।

शुल्क प्रतिअदायगी योजना

शुल्क प्रतिअदायगी योजना निर्यातित वस्तुओं में उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे निर्यात लागत कम होती है। निर्यातक वास्तविक भुगतान किए गए शुल्क के आधार पर अधिसूचित दरों पर प्रतिअदायगी का दावा कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य घरेलू कर बोझ को बेअसर करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

4.6.9 निर्यात आय की प्राप्ति न होने पर प्रतिअदायगी की वसूली न करना

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियम, 2006/2017 (यथा संशोधित) के नियम 16ए/नियम 18 में कहा गया है कि निर्यातित वस्तुओं पर भुगतान किया गया प्रतिअदायगी शुल्क वसूली योग्य है यदि निर्यात आय को नौ महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता है जो कि फेमा, 1999 के अंतर्गत निर्धारित है। यदि निर्यातक निर्धारित समय के भीतर बिक्री का प्रमाण देने में विफल रहता है, तो एससीएन जारी किया जाता है। सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे प्रमाण के अभाव में, सहायक/उप-सीमा शुल्क आयुक्त प्रतिअदायगी राशि की वसूली का आदेश देगा, जिसे आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर वापस किया जाना चाहिए।

आईसीडी-आगरा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2,852 बैंक सत्यापन प्रमाण पत्र (बीआरसी), निर्यात आय की प्राप्ति का प्रमाण देते हुए, फेमा के अंतर्गत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बावजूद जनवरी 2015 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान किए गए निर्यात के प्रति लंबित थे। विभाग ने प्रतिअदायगी नियमों के

अंतर्गत वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की थी, भले ही निर्यातकों ने आवश्यक बीआरसी जमा नहीं की थी। इन अपूर्ण निर्यात आय के संबंध में ₹28.86 करोड़ के प्रतिअदायगी शुल्क का भुगतान किया गया था।

बीआरसी की देय तिथि से तीन से दस वर्ष तक की लंबित राशि चूककर्ताओं के प्रति समय पर कार्रवाई शुरू करने में विभाग की ओर से चूक को इंगित करती है, जिसके परिणामस्वरूप ₹28.86 करोड़ के राजस्व की गैर-वसूली हुई है जो नीचे **तालिका 4.1** में विस्तृत है।

तालिका 4.1: आईसीडी, आगरा के बीआरसी में लंबित मामलों का समय-वार विवरण

क्र. सं.	एलईओ वर्ष	एसबी की संख्या	सम्मिलित डीबीके (₹ करोड़ में)	विश्लेषण के संदर्भ में बीआरसी प्रस्तुत करने की अपेक्षित तिथि	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	2015	17	0.26	09 मामलों में 1 जुलाई, 2015	10 वर्ष से अधिक समय से लंबित
				08 मामलों में 1 जनवरी, 2016	9 वर्ष से अधिक समय से लंबित
2	2016	6	0.03	04 मामलों में 1 जुलाई, 2017	8 वर्ष से अधिक समय से लंबित
				02 मामलों में 1 जनवरी, 2018	7 वर्ष से अधिक समय से लंबित
3	2017	64	0.53	29 मामलों में 1 जुलाई, 2018	7 वर्ष से अधिक समय से लंबित
				35 मामलों में 1 जनवरी, 2019	6 वर्ष से अधिक समय से लंबित
4	2018	128	0.64	72 मामलों में 1 जुलाई, 2019	6 वर्ष से अधिक समय से लंबित
				56 मामलों में 1 जनवरी, 2020	5 वर्ष से अधिक समय से लंबित
5	2019	355	3.25	179 मामलों में 1 जुलाई, 2020	5 वर्ष से अधिक समय से लंबित
				176 मामलों में 1 जनवरी, 2021	4 वर्ष से अधिक समय से लंबित
6	2020	2,282	24.15	967 मामलों में 1 जुलाई, 2021	4 वर्ष से अधिक समय से लंबित
				1,315 मामलों में 1 जनवरी, 2022	3 महीने से अधिक समय से लंबित
	कुल	**2,852**	**28.86**		

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर-दिसंबर 2022), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2023/दिसंबर 2025) बताया कि 2,852 मामलों में से 1,703 मामलों में निर्यातकों से बीआरसी प्राप्त किए गए थे और शेष 1,149 मामलों में 127 एससीएन जारी किए गए थे। इन 127 एससीएन में से आठ को ड्रॉप कर दिया गया था, 118 का अधिनिर्णयन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹1.54 करोड़ की मांग की गई थी, जबकि एक एससीएन का निर्णय लंबित है (मई 2026)।

इस उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि विभाग फेमा के अंतर्गत निर्धारित नौ महीने की अवधि की समाप्ति के बाद वसूली की कार्यवाही शुरू करने में विफल रहा, और इस मामले को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के माध्यम से उजागर करने के बाद ही कार्रवाई की गई।

इसके अलावा, अगस्त-सितंबर 2023 के दौरान जारी किए गए एससीएन, जिनमें ₹1.97 करोड़ की राशि सम्मिलित है, का निर्णय मार्च 2025 में ही लिया गया था। यह देरी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो अधिसूचना जारी करने की तारीख से छः महीने से एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्णय लेने का आदेश देता है।

4.7 अन्य अनियमितताएं

सीबीआईसी परिपत्र सं. 02/2021- सीमा शुल्क दिनांक 19 जनवरी 2021 में यह प्रावधान किया गया है कि तैनात सीमा शुल्क कार्मिकों के लिए लागत वसूली प्रभारों (सीआरसी) का भुगतान संचालकों द्वारा पद की औसत मासिक लागत के 1.85 गुना पर किया जाएगा, जिसमें लागू भत्ते भी सम्मिलित हैं। सीआरसी की गणना करते समय, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, बकाया राशि सहित, को वसूला जाएगा जैसा स्वीकृत हो और मकान किराया भत्ता को सैद्धांतिक आधार पर सम्मिलित किया जाएगा, भले ही वह वास्तव में आहरित नहीं किया गया हो।

4.7.1 लागत वसूली प्रभारों (सीआरसी) की कम वसूली

मेसर्स. 'एएआई' लि. को प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (एअरपोर्ट) ज़ोन-III मुंबई द्वारा विशेष वेयरहाउसिंग लाइसेंस सं. एफ.एन. एस/15-01/08एसीसी दिनांक 16 अगस्त 2016 प्रदान किया गया था, जिसका उद्देश्य लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अनुसार विमानों के भंडार के लिए आपूर्ति करना था।

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए सीआरसी की लेखापरीक्षा की जांच से पता चला है मेसर्स. 'एएआई' लि. की दो इकाईयों के संबंध में, वसूले गए प्रभारों में डीए और एचआरए में वृद्धि के कारण बकाया राशि को सम्मिलित नहीं किया। डीए और एचआरए बकाया राशि की मांग न करने के परिणामस्वरूप ₹39.71 लाख की सीआरसी की कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/ आयुक्तालय ने इन इकाईयों से ₹39.71 लाख के संपूर्ण प्रभारों की वसूली की सूचना दी (मार्च 2026)।

4.7.2 आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी न लगाना

चीन और थाईलैंड में उत्पन्न अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले 'पॉलीटेट्राफ्लूओरेथिलिन', '0.2 मिमी (सीटीएच 76069290) से अधिक मोटाई की एल्यूमीनियम प्रिंटिंग प्लेट्स', 'असंसाधित स्मोक्ड सिलिका (सीटीएच 28112200)' और 'सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए' (सीटीएच 28421000) के आयातों पर निर्धारित दरों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है।

मेसर्स. 'एएजे' लि. और दस अन्य ने (अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023) न्यू कस्टम हाउस, मुंबई और जेएनसीएच, मुंबई के माध्यम से इन वस्तुओं की 21 खेपों को लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी के बिना निकासी की जिसके परिणामस्वरूप ₹1.66 करोड़ के शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हो पाया।

यह इंगित किए जाने पर, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (मार्च 2026) ने एक आयातक से ₹12.39 लाख (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी और चार आयातकों को लागू ब्याज के साथ एडीडी की वसूली के लिए परामर्शी पत्र जारी किए। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2026)।

नई दिल्ली **(स्मिता गोपाल)**
दिनांक: 28 जुलाई 2026 **प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 29 जुलाई 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

विशेष आर्थिक ज़ोन पर तथ्य पत्रक

दिनांक 01 अप्रैल 2024 तक **(संदर्भ पैरा 1.9)**

औपचारिक स्वीकृतियों की संख्या	423		
अधिसूचित एसईज़ेड की संख्या	375 प्लस 7 केंद्र सरकार प्लस 12 राज्य/निजी एसईज़ेड		
परिचालित एसईज़ेड	280		
एसईज़ेड में स्वीकृत इकाईयाँ	6,279		
निवेश	**निवेश (फ़रवरी 2006 तक)**	**क्रमिक निवेश**	**कुल निवेश (01 अप्रैल 2024 तक)**
केंद्र सरकार एसईज़ेड	₹2,279.20 करोड़	₹30,059.82 करोड़	₹32,339.02 करोड़
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी एसईज़ेड	₹1,756.73 करोड़	₹19,086.84 करोड़	₹20,843.15 करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईज़ेड	-	₹6,54,159.43 करोड़	₹6,54,159.43 करोड़
कुल	**₹4,035.93 करोड़**	**₹7,03,306.09 करोड़**	**₹7,07,341.60 करोड़**
रोज़गार	**रोज़गार (फ़रवरी 2006 तक)**	**क्रमिक रोज़गार**	**कुल रोज़गार (01 अप्रैल 2022 तक)**
केंद्र सरकार एसईज़ेड	1,22,236 व्यक्ति	89,258 व्यक्ति	2,11,494 व्यक्ति
2006 से पहले स्थापित राज्य/ निजी एसईज़ेड	12,468 व्यक्ति	1,10,801 व्यक्ति	1,23,269 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईज़ेड	-	28,59,341 व्यक्ति	28,59,341 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**30,59,400 व्यक्ति**	**31,94,104 व्यक्ति**
निर्यात प्रदर्शन			
वर्ष	**निर्यात (₹ करोड़ में)**		**वृद्धि प्रतिशतता**
वि.व. 20	7,96,669		14
वि.व. 21	7,59,524		(-)5
वि.व. 22	9,90,747		30
वि.व. 23	12,63,578		28
वि.व. 24	13,55,220		7.25

कुल निवेश (₹ करोड़ में)	**वि.व. 20**	**वि.व. 21**	**वि.व. 22**	**वि.व. 23**	**वि.व. 24**
केंद्र सरकार के एसईज़ेड	20,557	21,505	23,113	24,233	32,339
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी एसईज़ेड	13,534	15,194	14,153	13,475	20,843
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईज़ेड	5,37,644	5,80,800	6,12,439	6,22,476	6,54,159
कुल	**5,71,735**	**6,17,499**	**6,49,705**	**6,60,184**	**7,07,341**
रोज़गार (व्यक्तियों में)	**वि.व. 20**	**वि.व. 21**	**वि.व. 22**	**वि.व. 23**	**वि.व. 24**
केंद्र सरकार के एसईज़ेड	1,97,777	1,87,879	1,95,967	1,93,815	2,11,494
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी एसईज़ेड	1,09,124	1,06,553	1,09,905	1,08,690	1,23,269
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईज़ेड	19,31,404	20,63,704	23,90,308	25,93,107	28,59,341
कुल	**22,38,305**	**23,58,136**	**26,96,180**	**28,95,612**	**31,94,104**

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का पत्र संख्या के-43015(18)/2019-एसईज़ेड, दिनांक 11.05.2025

अनुलग्नक 2

डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवंचन के मामले (योजना-वार)

(संदर्भ पैरा 1.13.1)

क्र. सं.	योजना	वि.व. 20	वि.व. 21	वि.व. 22	वि.व. 23	वि.व. 24
		मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या
		शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)
1	एंड-यूज़ एवं अन्य अधिसूचना शर्तों का गलत प्रयोग	17	39	46	59	52
		117.90	691.29	765.94	200.95	488.51
2	ईपीसीजी का गलत प्रयोग	77	45	28	25	6
		389.42	161.60	113.11	47.42	21.80
3	कम मूल्यांकन	45	34	37	47	58
		106.85	201.33	139.32	547.19	329.99
4	गलत बयानी	179	425	205	201	204
		349.45	1,419.30	1,626.02	1,497.20	1,865.56
5	प्रतिअदायगी योजना का प्रयोग	83	53	47	13	10
		257.71	66.64	23.85	18.28	77.59
6	ईओयू/ईपीज़ेड /एसईज़ेड का गलत इस्तेमाल	2	5	3	4	4
		1.57	7.05	4.83	32.75	32.75
7	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का गलत प्रयोग	70	34	26	29	29
		335.73	220.28	434.12	102.10	278.02
8	अन्य	288	170	213	204	198
		624.80	720.69	1,497.04	1,810.29	2,547.29
	कुल	**761**	**805**	**605**	**582**	**532**
		2,183.43	**3,488.19**	**4,604.24**	**4,256.19**	**5,608.75**

स्रोतः वित्त मंत्रालय का पत्र क्र.सं.. वि.व. 23 एवं वि.व. 24 के लिए एफ.नं.307/46/2022-(पीएसी-सीयूएस) दिनांक 07.03.2025

अनुलग्नक 3: प्रतिबंधित इकाई सूची में सूचीबद्ध आईईसी धारकों को स्क्रिप्स जारी किए जाने का विवरण

(संदर्भ पैरा सं. 3.7.1)

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए बेंगलुरु	3	1	124.57
2	आरए लुधियाना	12	3	265.57
3	आरए पानीपत	13	1	93.56
	कुल	**28**	**5**	**483.70**

अनुलग्नक 4: आरओएससीटीएल क्रेडिट शुल्क का अतिरिक्त अनुदान

(संदर्भ पैरा सं. 3.7.2)

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए चेन्नई	1	1	1.46
2	आरए कोयंबटूर	40	7	19.98
3	आरए कोलकाता	5	4	1.61
	कुल	**46**	**12**	**23.05**

अनुलग्नक 5: बिना आशय के आरओएससीटीएल लाभों का गलत अनुदान

(संदर्भ पैरा सं. 3.7.3)

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए अहमदाबाद	1	1	1	2.18
2	आरए सूरत	1	1	1	1.03
3	आरए जयपुर	7	3	14	8.87
4	आरए बेंगलुरु	5	4	5	1.89
5	आरए लुधियाना	74	29	204	122.63
6	आरए पानीपत	51	39	173	58.83
7	आरए चेन्नई	23	21	33	13.11
8	आरए कोयंबटूर	194	155	297	216.50
9	आरए कोच्चि	4	4	4	1.80
10	आरए दिल्ली	754	460	1513	688.15
11	आरए इंदौर	21	2	3	0.38
12	आरए हैदराबाद	1	1	5	7.87

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
13	आरए कोलकाता	105	62	322	136.17
14	आरए कानपुर	4	3	4	0.83
15	आरए मुंबई	8	7	13	38.77
16	आरए पुणे	2	2	34	84.36
	कुल	1,255	794	2,626	1,383.38

अनुलग्नक 6 ए: समान शिपिंग बिल का उपयोग कर जारी किए गए अनेक आरओएससीटीएल स्क्रिप्स

{संदर्भ पैरा सं. 3.7.4 (क)}

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या (पहली स्क्रिप)	स्क्रिप्स की संख्या (दूसरी स्क्रिप)	स्क्रिप्स की संख्या (तीसरी स्क्रिप)	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए बेंगलुरु	2	2		1	96	158.45
2	आरए लुधियाना	1	1		1	1	8.37
3	आरए पानीपत	1	1		1	2	1.37
4	आरए कोयंबटूर	1	1		1	1	0.06
5	आरए दिल्ली	14	13	1	11	73	115.63
	कुल	19	18	1	15	173	283.89

अनुलग्नक 6 बी: समान शिपिंग बिलों के आधार पर जारी की गई अनेक आरओएससीटीएल स्क्रिप्स

{संदर्भ पैरा सं. 3.7.4 (ख)}

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए लुधियाना	6	2	89	236.60
	कुल	6	2	89	236.60

अनुलग्नक 7: अनियमित रूप से प्राप्त किए गए एमईआईएस लाभों की गैर-वसूली

(संदर्भ पैरा सं. 3.7.5)

क्र. सं.	आरए का नाम	आईईसी धारकों की संख्या	वसूली के लिए लंबित राशि (₹ लाख में)
1	आरए अहमदाबाद	3	12.96
2	आरए बेंगलुरु	5	657.36
3	आरए चेन्नई	8	14.96
4	आरए कोयंबटूर	34	136.84
5	आरए दिल्ली	68	269.27
6	आरए इंदौर	1	0.50
7	आरए जयपुर	12	13.31
8	आरए कानपुर	2	4.15
9	आरए कोलकाता	27	273.21
10	आरए लुधियाना	8	4.92
11	आरए मुंबई	29	5,786.79
12	आरए पानीपत	7	27.39
13	आरए राजकोट	1	2.46
14	आरए श्रीनगर	26	83.83
15	आरए सूरत	12	32.65
16	आरए वडोदरा	1	9.14
17	आरए वाराणसी	1	0.05
18	आरए विशाखापत्तनम	3	21.32
	कुल	**248**	**7,351.10**

अनुलग्नक 8 ए: बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्रों की गैर-प्राप्ति

(संदर्भ पैरा सं. 3.8.1)

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए अहमदाबाद	8	6	13	26.43
2	आरए सूरत	9	8	25	75.38
3	आरए जयपुर	26	18	77	319.27
4	आरए बेंगलुरु	6	1	10	62.55
5	आरए लुधियाना	549	152	1626	5,250.09
6	आरए पानीपत	174	78	415	452.31
7	आरए कोच्चि	11	9	75	133.96
8	आरए दिल्ली	87	58	1332	5,758.60

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
9	आरए इंदौर	6	2	11	124.75
10	आरए भोपाल	1	1	3	4.74
11	आरए हैदराबाद	6	3	6	2.94
12	आरए कानपुर	91	30	1,822	985.06
13	आरए वाराणसी	81	28	991	1,318.45
14	आरए मुंबई	76	36	741	809.82
15	आरए पुणे	2	2	6	13.23
	कुल	**1,133**	**432**	**7,153**	**15,337.58**

अनुलग्नक 8 बी: आरओएससीटीएल स्क्रिप का विवरण, जिनकी निर्यात आय आंशिक रूप से प्राप्त हुई

(संदर्भ पैरा सं. 3.8.1)

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए अहमदाबाद	11	4	17	6.67
2	आरए बेंगलुरु	13	7	20	18.08
3	आरए हैदराबाद	7	2	9	3.59
	कुल	**31**	**13**	**46**	**28.34**

अनुलग्नक 9: क्षेत्राधिकार वाले आरए के प्रावधान के तहत आरओएससीटीएल स्क्रिप जारी करना

(संदर्भ पैरा सं.. 3.8.2)

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए दिल्ली	1	1	27	65.64
	कुल	**1**	**1**	**27**	**65.64**

अनुलग्नक 10 ए: गलत वर्गीकरण के कारण आरओएससीटीएल प्रोत्साहनों का अधिक अनुदान

{संदर्भ पैरा सं. 3.8.3(क)}

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए अहमदाबाद	12	6	32	13.69
2	आरए सूरत	6	4	18	3.87
3	आरए जयपुर	1	1	1	0.97
4	आरए बेंगलुरु	32	7	85	16.87
5	आरए लुधियाना	66	3	370	78.94
6	आरए पानीपत	596	117	2,337	81.42
7	आरए चेन्नई	2	2	2	0.18
8	आरए कोयंबटूर	42	41	56	3.30
9	आरए कोच्चि	43	15	186	36.40
10	आरए दिल्ली	55	24	96	13.39
11	आरए इंदौर	2	1	6	1.33
12	आरए हैदराबाद	13	5	35	1.76
13	आरए कोलकाता	83	28	226	37.20
14	आरए मुंबई	18	15	36	7.63
15	आरए पुणे	1	1	3	0.01
	कुल	**972**	**270**	**3,489**	**296.97**

अनुलग्नक 10 ख: गलत वर्गीकरण के कारण आरओएससीटीएल प्रोत्साहन का अतिरिक्त अनुदान

{संदर्भ पैरा सं. 3.8.3(ख)}

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए दिल्ली	10	7	15	1.36
2	आरए कोलकाता	9	3	19	3.91
	कुल	**19**	**10**	**34**	**5.27**

अनुलग्नक 11 ए: गलत अनुसूचियों के अनुप्रयोग से आरओएससीटीएल लाभों का अतिरिक्त अनुदान

{संदर्भ पैरा सं. 3.8.4(क)}

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए लुधियाना	11	9	20	3.40
2	आरए कोच्चि	5	2	5	0.22
3	आरए दिल्ली	147	106	215	54.93
4	आरए कोलकाता	11	7	53	20.63
	कुल	**174**	**124**	**293**	**79.18**

अनुलग्नक 11 बी: गलत अनुसूचियों के अनुप्रयोग से आरओएससीटीएल लाभों का अतिरिक्त अनुदान

{संदर्भ पैरा सं. 3.8.4(ख)}

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए लुधियाना	2	2	4	0.07
	कुल	**2**	**2**	**4**	**0.07**

अनुलग्नक 12 क: आरओएससीटीएल लाभों की गणना हेतु विनिमय दर का गलत अपनाना

{संदर्भ पैरा सं. 3.8.5(क)}

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए बेंगलुरु	25	6	35	2.11
2	आरए लुधियाना	611	107	1,492	23.38
3	आरए पानीपत	39	8	110	2.98
4	आरए दिल्ली	41	21	121	3.96
5	आरए कोलकाता	228	97	378	5.41

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
6	आरए मुंबई	107	68	528	9.54
7	आरए पुणे	6	5	12	0.17
	कुल	**1,057**	**312**	**2,676**	**47.56**

अनुलग्नक 12 बी: आरओएससीटीएल लाभों की गणना हेतु विनिमय दर का गलत अपनाना

{संदर्भ पैरा सं. 3.8.5(ख)}

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	आरए बेंगलुरु	24	8	61	0.13
2	आरए लुधियाना	147	67	291	1.52
3	आरए दिल्ली	13	8	32	0.29
	कुल	**184**	**83**	**384**	**1.95**

अनुलग्नक 13: डीईएल में सम्मिलित आईईसी धारकों को आरओएससीटीएल लाभों का गलत भुगतान

(संदर्भ पैरा सं. 3.12.1)

क्र. सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी (निर्यात-IV), चेन्नई	6	3	7	16.76
2	सीसी, तूतीकोरिन	33	7	57	142.08
	कुल	**39**	**10**	**64**	**158.84**

अनुलग्नक 14: नियामक समय-सीमा के भीतर ई-स्क्रिप सृजित न करना

(संदर्भ पैरा सं. 3.12.2)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	ई-स्क्रिप्स सृजन में लगा समय			
		एक माह तक	एक से तीन माह	तीन से छः माह	छः माह से ज़्यादा
1	एसीसी मुंबई	40	16	24	5
2	अहमदाबाद	23	12	1	5
3	चेन्नई (निर्यात IV)	147	125	48	60
4	सीसी सामान्य दिल्ली	188	58	49	51

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	ई-स्क्रिप्स सृजन में लगा समय			
5	सीसी पी अमृतसर	2	0	1	0
6	सीसी कोच्चि	28	20	13	26
7	सीसी लुधियाना	6	4	5	4
8	एनएस-II मुंबई	633	399	243	163
9	सीसी जोधपुर	31	32	25	21
10	सीसी मुंद्रा	23	18	5	8
11	सीसी एअरपोर्ट और एयर कार्गो कोलकाता	6	0	8	1
12	सीसी पत्तन कोलकाता	14	4	3	9
13	सीसी हैदराबाद	3	2	0	0
14	सीसी आईसीडी तुगलकाबाद	65	25	16	33
15	सीसी तूतीकोरिन	80	49	26	22
	कुल	**1,289**	**764**	**467**	**408**

अनुलग्नक 15: पूर्वव्यापी मामलों में आरओएससीटीएल छूट का अनियमित अनुदान

(संदर्भ पैरा सं. 3.12.3)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी अहमदाबाद	4	4	6	15.93
2	सीसी सामान्य दिल्ली	20	13	285	752.25
3	सीसी लुधियाना	10	8	18	54.22
4	सीसी जोधपुर	5	2	28	12.01
5	सीसी मूंद्रा	2	2	2	7.25
6	सीसी पत्तन कोलकाता	53	34	97	334.06
7	सीसी आईसीडी तुगलकाबाद	44	32	419	1,781.19
	कुल	**138**	**95**	**855**	**2,956.91**

अनुलग्नक 16: बाज़ार मूल्य की सीमा का पालन न करने के कारण आरओएससीटीएल लाभों का अतिरिक्त अनुदान

(संदर्भ पैरा सं. 3.12.4)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी बेंगलुरु	13	3	27	12.97
2	सीसी मैंगलोर	1	1	1	2.77
3	सीसी लुधियाना	144	17	234	125.41
4	सीसी एयरपोर्ट एयरकार्गो बेंगलुरु	12	10	16	2.77
	कुल	**170**	**31**	**278**	143.91

अनुलग्नक 17 ए: अप्राप्त निर्यात आय पर निर्यात लाभों की गैर-वसूली

{संदर्भ पैरा सं. 3.13.1(क)}

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी अहमदाबाद	3	2	3	26.07
2	सीसी (आयात-IV) चेन्नई	494	242	895	2422.36
3	सीसी सामान्य दिल्ली	23	12	95	124.06
4	सीसी (पी) अमृतसर	5	3	5	4.76
5	सीसी बेंगलुरु शहर	14	5	93	644.89
6	सीसी मैंगलोर	2	1	10	98.26
7	सीसी (एयरपोर्ट और एसीसी) कोलकाता	19	14	30	64.80
8	सीसी लुधियाना	127	36	198	894.11
9	सीसी जोधपुर	8	5	11	45.37
10	सीसी लखनऊ	56	11	100	353.67
11	सीसी नोएडा	81	23	508	2744.00
12	सीसी पत्तन कोलकाता	71	34	113	507.99
13	सीसी एयरपोर्ट और एसीसी बेंगलुरु	30	16	72	225.70
14	सीसी तुगलकाबाद दिल्ली	74	47	652	4833.07
15	सीसी विशाखापत्तनम	4	2	8	38.10
16	सीसी तूतीकोरिन	966	463	1624	6521.64
17	सीसी एनएस II जेएनसीएच मुंबई	55	16	197	755.81
18	सीसी एसीसी मुंबई	22	20	676	615.68
	कुल	**2,034**	**952**	**5,290**	**20,920.34**

अनुलग्नक 17 बी: अप्राप्त निर्यात आय पर निर्यात लाभ की गैर-वसूली

{संदर्भ पैरा सं. 3.13.1(ख)}

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी अहमदाबाद	4	2	13	2.35
2	सीसी (आयात -IV) चेन्नई	182	91	240	478.21
3	सीसी (एयरपोर्ट और एसीसी) कोलकाता	4	4	4	4.04
4	सीसी बेंगलुरु सिटी	2	1	3	61.71
5	सीसी जोधपुर	3	3	4	0.94
6	सीसी लखनऊ	15	7	22	7.98
7	सीसी मुंद्रा	10	4	38	47.72
8	सीसी नोएडा	20	11	33	36.69
9	सीसी पत्तन कोलकाता	6	5	6	6.79
10	सीसी एयरपोर्ट और एयर कार्गो बेंगलुरु	6	3	6	145.46
11	सीसी तूतीकोरिन	343	192	461	946.08
12	सीसी विशाखापत्तनम	6	1	19	64.41
13	सीसी इंदौर	5	1	6	2.90
	कुल	**606**	**325**	**855**	**1,805.27**

अनुलग्नक 18: गलत वर्गीकरण के कारण आरओएससीटीएल प्रोत्साहन राशि का अधिक अनुदान

(संदर्भ पैरा सं. 3.13.2)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी (आयात -IV) (समुद्री) चेन्नई	105	80	156	23.99
2	सीसी (सामान्य), दिल्ली	139	88	160	23.88
3	सीसी बेंगलुरु सिटी	5	3	5	2.56
4	सीसी कोच्चि	13	4	27	18.49
5	सीसी इंदौर	2	1	2	0.31
6	सीसी अमृतसर	3	3	3	0.43
7	सीसी लुधियाना	80	8	329	175.16
8	सीसी जोधपुर	11	8	20	2.07

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
9	सीसी एयरपोर्ट और कार्गो कोलकाता	5	3	5	4.16
10	सीसी अहमदाबाद	6	4	10	3.26
11	सीसी एयरपोर्ट बेंगलुरु	16	9	36	21.06
12	सीसी हैदराबाद	1	1	1	0.31
13	सीसी तुगलकाबाद	59	44	72	23.98
14	सीसी मुंद्रा	4	1	19	12.57
15	सीसी विशाखापत्तनम	5	1	9	4.70
16	सीसी तूतीकोरिन	225	147	296	48.56
	कुल	**679**	**405**	**1,150**	**365.50**

अनुलग्नक 19 ए: गलत विनिमय दर अनुप्रयोग के कारण आरओएससीटीएल का अतिरिक्त अनुदान

{संदर्भ पैरा सं. 3.13.3 (क)}

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या		
1	सीसी एयरपोर्ट और एसीसी कोलकाता	10	6	11	0.34
2	सीसी (पत्तन) कोलकाता	69	28	86	2.79
	कुल	**79**	**34**	**97**	**3.12**

अनुलग्नक 19 बी: गलत विनिमय दर अनुप्रयोग के कारण आरओएससीटीएल का अतिरिक्त अनुदान

{संदर्भ पैरा सं. 3.13.3(ख)}

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी आयात-IV चेन्नई	8	7	8	0.69
2	तूतीकोरिन कस्टम्स	17	17	19	6.86
	कुल	**25**	**24**	**27**	**7.55**

अनुलग्नक 20 ए: आरओएससीटीएल स्क्रॉल सृजन में देरी

(संदर्भ पैरा सं. 3.13.4)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी (सामान्य), दिल्ली	11	9	48	130.07
2	सीसी (पी) अमृतसर	6	3	11	12.93
3	सीसी बेंगलुरु सिटी	7	2	74	338.21
4	सीसी लुधियाना	58	26	106	502.81
5	सीसी जोधपुर	1	1	2	7.74
6	सीसी एयरपोर्ट और एयर कार्गो कोलकाता	14	8	32	68.62
7	सीसी पत्तन कोलकाता	22	13	34	125.37
8	सीसी अहमदाबाद	3	3	9	32.50
9	सीसी एयरपोर्ट बेंगलुरु	32	22	153	416.87
10	सीसी हैदराबाद	4	4	15	35.62
11	सीसी तुगलकाबाद	15	9	56	319.27
12	सीसी मुंद्रा	6	3	59	472.92
	कुल	**179**	**103**	**599**	**2,462.93**

अनुलग्नक 20 बी: आरओएससीटीएल स्क्रॉल तैयार करने में देरी

(संदर्भ पैरा सं. 3.13.4)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी आयात -IV चेन्नई	7	4	32	309.04
2	सीसी (पी) अमृतसर	2	2	5	8.08
3	सीसी बेंगलुरु सिटी	20	7	227	1,415.17
4	सीसी मंगलुरु	1	1	3	13.81
5	सीसी लुधियाना	191	59	406	1,990.97
6	सीसी एयरपोर्ट बेंगलुरु	63	23	591	1,634.13
7	सीसी हैदराबाद	3	2	7	15.29
8	सीसी विशाखापत्तनम	6	2	30	149.54
9	सीसी तूतीकोरिन	40	37	48	165.99
	कुल	**333**	**137**	**1,349**	**5,702.01**

अनुलग्नक 21: अधिकार-क्षेत्र वाले पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों से किए गए निर्यात के लिए आरओएससीटीएल अनुदान

(संदर्भ पैरा सं.. 3.13.5)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)
1	सीसी लुधियाना	4	3	6	24.73
	कुल	**4**	**3**	**6**	**24.73**

अनुलग्नक 22: पिछली निर्यात आय राशि प्राप्ति के बावजूद अनुवर्ती आरओएससीटीएल लाभों की अनियमित स्वीकृति

(संदर्भ पैरा सं. 3.13.6)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	स्क्रिप की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	आपत्ति वाली राशि (₹ लाख में)
1	सीसी (निर्यात IV) चेन्नई	29	9	9	21.93
2	सीसी तूतीकोरिन	37	19	19	66.14
	कुल	**66**	**28**	**28**	**88.07**

अनुलग्नक 23 एः आयात का गलत वर्गीकरण, जहां शुल्क की वसूली की गई

(संदर्भ पैरा 4.4)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	3	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	10.00	10.00	10.00	एसीसी, कोलकाता	मेडिकल कामों में इस्तेमाल होने वाले सहायक उपकरण वाले कैमरे
2	6	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	24.70	24.70	35.78	कोलकाता (समुद्र)	सोलर पावर बनाने वाला सिस्टम
3	13	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	11.31	11.31	14.59	मुंद्रा	नॉन-वोवन जियो टेक्सटाइल्स
4	17	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	16.15	16.15	20.57	एनसीएच, मुंबई	252 केवी गैस इंसुलेटेड स्विचगियर
5	24	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	12.18	12.18	12.18	एसीसी, शमशाबाद	ग्रेपफ्रूट के बीज का अर्क
6	28	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	25.86	25.86	29.64	पिपावाव	2-मिथाइलसल्फोनिल-4, 6-डाइमेथॉक्सी पाइरीमिडीन
7	29	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	20.58	20.58	26.79	एसीसी, बेंगलुरु	मानक सहायक उपकरण लाइका टीसीएस एसपी8 माइक्रोस्कोप
8	30	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	16.22	16.22	42.95	दाहेज	डाइ क्लोरो बेंजीन का मिश्रण
9	31	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	15.52	13.77	23.58	आईसीडी, पटपड़गंज, दिल्ली	नायलॉन टैफेटा रिबन/टेप और पॉलिएस्टर वेबिंग
10	32	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	12.60	12.60	12.60	एसीसी, बेंगलुरु	3डी बायो प्लॉटर मैन्युफैक्चरर सीरीज़

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
11	34	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	12.49	12.49	17.12	आईसीडी, पटपड़गंज, दिल्ली	नायलॉन टैफेटा रिबन/टेप और पॉलिएस्टर वेबिंग
12	37	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	15.00	15.00	19.05	विजयवाड़ा सीमा शुल्क	लिथियम बैटरी
13	82	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	11.38	11.38	13.00	कोलकाता पत्तन	मीडियम गैसोलीन इंजन/डीज़ल इंजन
		कुल	**203.99**	**202.24**	**277.85**		

अनुलग्नक 23 बी - आयात के गलत वर्गीकरण, जहां शुल्क मांग की पुष्टि की गई

(संदर्भ पैरा 4.4)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	9	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	14.52	14.52	0	जेएनसीएच, मुंबई	फ्रायर
2	19	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	37.84	37.84	0	जेएनसीएच, मुंबई	कैपस्टोन एफएस-93
3	35	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	13.32	13.32	0.08	आईसीडी, तुगलकाबाद-दिल्ली	ओद्योगिक प्रयोग के लिए फ्रायर
4	44	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	12.33	12.33	9.53	हैदराबाद सीमा शुल्क	मिल्क एंड हनी गोल्ड शैम्पू
5	49	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	10.18	10.18	0.56	आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली	फ्राइड इंस्टेंट नूडल लाइन एवं इलेक्ट्रिक नूडल कुकिंग मशीन
6	58	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	25.36	25.36	0	आईसीडी-तुगलकाबाद, दिल्ली	फ्लैट पैनल डिटेक्टर रेडियोग्राफी इक्विपमेंट

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
7	60	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	18.74	18.74	0	आईसीडी-तुगलकाबाद, दिल्ली	कच्चे माल की अनलोडिंग सिस्टम/कन्वेइंग सिस्टम
8	64	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	35.74	35.74	0	आईसीडी-तुगलकाबाद, दिल्ली	स्टील लगेज ट्रॉली (मॉडिफाइड)
9	68	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	18.12	18.12	0	आईसीडी पटपड़गंज दिल्ली	रिटेल बिक्री के लिए कैन में मेंटोफिन एवं ओरेगो-स्टिम लिक्विड/पाउडर
10	71	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	39.16	39.16	0	तूतीकोरिन कस्टम्स	पावर सप्लाई यूनिट और सीधे संचार के लिए पैनल
11	87	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	22.05	22.05	0	एनसीएच, मुंबई, ज़ोन-I	फ्रायर
12	106	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	31.74	31.74	0	आईसीडी तलेगांव, पुणे	वेरिएबल स्पीड ब्लोअर
13	109	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	11.84	11.84	0	आईसीडी तलेगांव, पुणे	इलेक्ट्रिक हीटिंग रेसिस्टर
		कुल	**290.94**	**290.94**	**10.17**		

अनुलग्नक 23 सी - आयात के गलत वर्गीकरण से जहां शुल्क मांगें स्वीकृत की गईं

(संदर्भ पैरा 4.4)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	50	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	11.03	2.55	1.96	आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली	स्टील के डस्टबिन, बाल्टियाँ; बोतलें, ऐशट्रे, हैंगर
2	54	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	11.18	11.18	0	एसीसी-आयात, नई दिल्ली	पीडब्ल्यूबी विज़ुअल इंस्पेक्शन मशीन मॉडल आरवी-2-3डीएच और जूकी ऑटोमैटिक टेस्ट और इंस्पेक्शन हाई-स्पीड पीडब्ल्यूबी मॉडल आरवी-2
3	55	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	32.51	32.51	0	एसीसी, बेंगलुरु	बेरीज़ के साथ एल-ग्लूटामाइन
4	67	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	24.84	24.84	0.32	एसीसी-आयात, नई दिल्ली	ऑटोमोबाइल एसी कंप्रेसर सब-असेंबली
5	70	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	10.64	10.64	0	चेन्नई II सीमा शुल्क के तहत कट्टुपल्ली पत्तन	पिस्टन, पिस्टन गाइड, पिस्टन रिंग्स, पिस्टन असेंबली
6	79	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	19.21	19.21	0	एसीसी-आयात, नई दिल्ली	आरईएफ स्लिम ट्यूब सिस्टम-एसटीएस 700 (पुर्ज़ों और एक्सेसरीज़ सहित)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
7	84	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	11.28	11.28	0	एसीसी, मुंबई	वाटर मीटर
8	85	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	13.09	13.09	0	एसीसी, मुंबई	सोरबिटोल सोरबिटन सॉल्यूशन
9	86	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	20.69	20.69	0	एसीसी, मुंबई	ऐप्पल वॉच बैंड
10	**89**	गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क उद्ग्रहण	**21.22**	**21.22**	**0**	एनसीएच, मुंबई	कंडक्टर रेल्स
	कुल		**175.69**	**167.21**	**2.28**		

अनुलग्नक 24 ए - आईजीएसटी अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग, जहां वसूली की गई

(संदर्भ पैरा 4.5)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	21	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	17.59	17.59	17.59	मुंद्रा	कई तरह की मशीनें जैसे 'स्पेयर पुर्जों के साथ बीड मिल, पल्वराइज़र के स्पेयर पार्ट्स, इंटेलिजेंट फ़ीडर चेक यूनिट'
2	27	आईजीएसटी का गैर-उद्ग्रहण	21.51	21.51	33.84	मुंद्रा	स्टेनलेस स्टील सीमलेस हॉट फ़िनिश पाइप
3	38	आयात पर एकीकृत कर से गलत छूट	32.00	32.00	20.87	तूतीकोरिन	खजूर
4	39	आईजीएसटी दर गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.36	11.36	9.38	एसीसी (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली	कई तरह के फ़्यूल/कूलिंग पंप
5	45	गलत दर अनुप्रयोग के कारण आईजीएसटी का कम शुल्क उद्ग्रहण	12.42	12.42	14.28	कोलकाता (समुद्र)	इनऑर्गेनिक केमिकल - अमोनियम बाइकार्बोनेट, कोटेड और अनकोटेड कैल्शियम कार्बोनेट
6	74	एकीकृत कर का कम उद्ग्रहण	39.18	39.18	51.14	चेन्नई-II, सीमा शुल्क	अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई (यूपीएस) - बिना बैटरी के
7	94	आईजीएसटी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	39.10	39.10	41.15	जेएनसीएच, मुंबई	स्टेराइल ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड
		कुल	**173.16**	**173.16**	**188.25**		

अनुलग्नक 24 बी- आईजीएसटी अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग, जहां शुल्क मांग की पुष्टि की गई

(संदर्भ पैरा 4.5)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	4	छूट की अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	16.85	16.85	0	कोलकाता, पत्तन	कुत्ते का या भोजन/कुत्ते के लिए आहार
2	25	आईजीएसटी छूट का गलत अनुप्रयोग	12.58	12.58	5.25	कोचीन (समुद्री)	खजूर
3	63	गलत आईजीएसटी दरों का अनुप्रयोग	30.57	30.57	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	कम्प्रेस्ड मास्क शीट, फेशियल मास्क
4	75	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	26.62	26.62	0	कोलकाता (समुद्री)	ड्राइड/ प्रसंस्कृत खजूर
5	103	आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	19.77	19.77	0	जेएनसीएच, मुंबई	टीएलसी सिलिका जेल, एल्युमीनियम शीट
		कुल	**106.39**	**106.39**	**5.25**		

अनुलग्नक 24 सी - आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग, जहां शुल्क मांग स्वीकृत की गई

(संदर्भ पैरा 4.5)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	48	आईजीएसटी दर का गलत अनुप्रयोग	12.40	12.40	2.84	एसीसी (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली	विभिन्न मशीनें/पुर्ज़े
2	95	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	26.62	0	0	जेएनसीएच, मुंबई	ऑर्गेनिक सर्फेस-एक्टिव एजेंट/ प्रिंटिंग उद्योग के लिए सफाई वाले सॉल्वेंट/ सफाई के लिए तैयार उत्पाद
3	96	आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	14.49	14.49	0	जेएनसीएच, मुंबई	(क) पेपर टेप आईबीएस-स्पेशल ब्राउन, (ख) लॉलीपॉप पेपर स्टिक, (ग) इनसोल शीट, और (घ) गिफ्ट रैपिंग पेपर
		कुल	**53.51**	**26.89**	**2.84**		

अनुलग्नक 25 ए - छूट संबंधी अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग, जहां वसूली की गई

(संदर्भ पैरा 4.5)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	2	अधिसूचना लाभ के गलत अनुप्रयोग से शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.79	10.79	11.21	कोलकाता (समुद्री)	स्क्रू, वॉशर, बोल्ट, नट
2	76	हाई स्पीड डीज़ल पर कम शुल्क उद्ग्रहण	12.47	12.47	12.47	कोलकाता (समुद्री)	हाई-स्पीड डीज़ल (एचएस़डी)
3	101	अधिसूचना लाभ के गलत अनुप्रयोग से शुल्क का कम उद्ग्रहण	13.24	13.24	15.63	एसीसी (आयात) नई दिल्ली	कैमरा मॉड्यूल
		कुल	**36.50**	**36.50**	**39.31**		

अनुलग्नक 25 बी - छूट संबंधी अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग, जहां शुल्क मांग की पुष्टि की गई

(संदर्भ पैरा 4.5)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	59	अधिसूचना लाभ के गलत अनुप्रयोग से शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.80	10.80	0	एसीसी (आयात) नई दिल्ली	एक्स-रे कोलिमेटर
2	73	अधिसूचना लाभ के गलत अनुप्रयोग से शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.46	10.46	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए डिस्प्ले असेंबली
		कुल	**21.26**	**21.26**	**0**		

अनुलग्नक 25 सी - छूट संबंधी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

(संदर्भ पैरा 4.5)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	61	अधिसूचना लाभ के गलत अनुप्रयोग से शुल्क का कम उद्ग्रहण	25.07	25.07	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	1जीई के लिए सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट का पीसीबीए (नेटवर्किंग प्रोडक्ट के पार्ट्स)
		कुल	**25.07**	**25.07**	**0**		

अनुलग्नक 26 ए - निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का पालन न करना

(संदर्भ पैरा 4.6)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	33	गलत वर्गीकरण के कारण प्रतिदाय का अधिक भुगतान	10.28	10.28	11.17	आईसीडी, बल्लभगढ़	महिलाओं की बुनी हुई पोशाकें
2	40	डीटीए निकासी पर आईजीएसटी का गैर-उद्ग्रहण	31.39	31.39	42.95	एपीएसईज़ेड, मुंद्रा	सीटी ट्रैक्टर-ट्रेलर ऑयल वेल इक्विपमेंट
3	41	डीटीए में वस्तुओं की बिक्री पर कम शुल्क उद्ग्रहण	10.81	10.81	11.04	फाल्टा सेज, कोलकाता	वेस्ट/स्क्रैप, (ई-वेस्ट) एल्युमीनियम स्क्रैप
4	46	ईओयू द्वारा मसालों के आयात की शर्तों को पूरा न करना	10.10	10.10	10.11	सीमा शुल्क निवारक, कोच्चि	इलायची एवं पिंक मिर्च
5	69	ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग सहायता (टीएमए) का अनियमित रूप से दिया जाना	20.66	20.66	24.38	डीजीएफटी, कोलकाता	चाय
		कुल	**83.24**	**83.24**	**99.65**		

अनुलग्नक 26 बी - निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का पालन न करना

(संदर्भ पैरा 4.6)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	42	ब्याज के भुगतान पर होने वाला परिहार्य व्यय	17.65	17.65	0	आईसीडी मंडीदीप, ग्वालियर	जींस
		कुल	**17.65**	**17.65**	**0**		

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-25-of-2026